सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राजस्थान में अवैध खनन

पर

निष्पादन लेखापरीक्षा



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 8

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्थान में अवैध खनन

पर

निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 8

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
कार्यकारी सारांश		v
सिफारिशें		ix
अध्याय I : प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
हमने यह विषय क्यों चुना?	1.2	3
संगठनात्मक व्यवस्था	1.3	4
अध्याय II : लेखापरीक्षा संरचना		
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.1	7
लेखापरीक्षा के मानदण्ड	2.2	7
लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली	2.3	7
खनिज और अवैध खनन प्रकरणों से राजस्व	2.4	8
आभार	2.5	9
अध्याय III : प्रौद्योगिकी का उपयोग		
अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग न करना	3.1	12
रवन्नों का दुरुपयोग	3.2	23
खननपट्टों का सीमांकन एवं आवंटन	3.3	26
त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली	3.4	29
वाहनों में जीपीएस उपकरणों को लगाना	3.5	38
लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश	3.6	39
सिफारिशें	3.7	40
अध्याय IV : आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली		
ई-रवन्ना और तुला पुल	4.1	41
पंचनामा	4.2	59
अवैध रूप से उत्खनित खनिज का निर्धारण	4.3	63

लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश	4.4	66
सिफारिशें	4.5	67
अध्याय V : निगरानी और मूल्यांकन		
विवरणियां	5.1	69
निरीक्षण	5.2	72
लंबित अधिशुल्क निर्धारण	5.3	73
लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश	5.4	73
सिफारिशें	5.5	74
अध्याय VI : पर्यावरणीय मुद्दे		
पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण	6.1	75
भूमि को हुए नुकसान का आकलन	6.2	76
न्यायालय/अधिकरण के आदेशों का पालन न करना	6.3	77
लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश	6.4	78
सिफारिशें	6.5	78
अध्याय VII : मानव शक्ति संसाधनों का प्रबंधन		
मानव शक्ति की कमी	7.1	79
सतर्कता विंग की कार्यप्रणाली	7.2	80
प्रशिक्षण और तकनीक का उपयोग	7.3	81
लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश	7.4	83
सिफारिशें	7.5	83
अध्याय VIII : निष्कर्ष और सिफारिशें		
लेखापरीक्षा उद्देश्य I		85
लेखापरीक्षा उद्देश्य II		87
लेखापरीक्षा उद्देश्य III		88

प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन जो राजस्थान में अवैध खनन के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम पर आधारित है, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राजस्थान में अवैध खनन पर आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा, समय-समय पर संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत किया गया है।

इसमें वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि को शामिल किया गया है, हालांकि, खान एवं भूविज्ञान विभाग के कामकाज में सुधार की नमूना जांच माह अक्टूबर 2021 तक की गई है। इस प्रतिवेदन में राजस्थान में अवैध खनन पर आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों, 2017 के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित और गैर-नवीकरणीय हैं; इसलिए, उनका दोहन दीर्घकालिक लक्ष्यों और परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। राजस्थान को 81 प्रकार के खनिजों का वरदान प्राप्त है, जिनमें से 57 का व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा रहा है। देश में सर्वाधिक संख्या में खननपट्टे राजस्थान में हैं। खनिजों के बड़े पैमाने पर अवैध खनन के संबंध में मीडिया में लगातार खबरें आती रही है। विभाग ने स्वयं वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के 48,486 प्रकरणों की पहचान की। वर्ष 2019-20 के दौरान अवैध खनन के प्रकरणों में 2015-16 की तुलना में 169 प्रतिशत् की वृद्धि हुई। यह निष्पादन लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है और उपलब्ध रिमोट सेंसिंग डाटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके राज्य में अवैध खनन के मामलों की पहचान/जांच कर रही है।

(अनुच्छेद 1.1 एवं 1.2)

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का दायरा अवैध खनन गतिविधियों को पता लगाने के लिए स्थापित तंत्र एवं खान व भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये सुधारात्मक कार्यवाही की जांच करना है। हमने अवैध खनन के मामलों की जांच के लिए विभाग के पास संसाधनों की उपलब्धता के प्रश्न का समाधान करने का प्रयास किया है। लेखापरीक्षा ने गुगल अर्थ प्रो के माध्यम से रिमोट सेंसिंग डाटा और जी.आई.एस. तकनीक का उपयोग किया है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के लिए की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा में खननपट्टों/अवैध खनन स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के साथ-साथ राज्य के 12 खनि कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच भी शामिल है। लेखापरीक्षा ने इन चयनित कार्यालयों में खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के क्षेत्र का पता लगाने के लिए अभिलेखों और उपग्रह चित्रों के माध्यम से एक स्वतंत्र जांच की है।

(अनुच्छेद 2.3)

निष्पादन लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मुफ्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया। लेखापरीक्षा ने खननपट्टों की ओवरलैपिंग और खननपट्टों के बीच रिक्त क्षेत्रों का आवंटन/नीलामी न करना इत्यादि जैसी अनियमितताएं पायी। संबंधित अधिकारियों द्वारा खानों के अपर्याप्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप इन अनियमितताओं की पहचान नहीं हो सकी।

रिमोट सेंसिंग डाटा एवं जीआईएस तकनीक के उपयोग से, लेखापरीक्षा ने कुल 49 खण्ड कार्यालयों में से पांच चयनित खण्ड कार्यालयों के अन्तर्गत चयनित पांच तहसीलों में स्वीकृत खननपट्टों के नजदीक 122 प्रकरणों (नमूना जांच किये गये खननपट्टों का 34 प्रतिशत) में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान की। 83.25 हेक्टेयर में अवैध खनन की पहचान की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 खननपट्टों में खनिज का उत्खनन नहीं किया गया था, तथापि 22,854 ई-रवन्नों[1] का दुरुपयोग करके 5.20 लाख मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किया गया।

(अनुच्छेद 3.1 एवं 3.2)

[1] खनन विभाग द्वारा जारी इलेक्ट्रोनिक चालान, खननपट्टा क्षेत्र के निर्गमन हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

विभाग ने खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए 10 अक्टूबर 2017 से एक वेब-आधारित एप्लिकेशन 'डीएमजीओएमएस' की शुरुआत की थी । तथापि, विभाग प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा । अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित 53 प्रकरणों में मांग राशि (₹ 71.20 करोड़) को डीएमजीओएमएस में संधारित मांग रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया था । खननपट्टों से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र/संचालन सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का निर्गमन पाया गया परन्तु अनुमत्त मात्रा से अधिक खनिज के निर्गमन को रोकने के लिए प्रणाली में कोई नियंत्रण नहीं था । विभाग द्वारा 38 खननपट्टों में खनिजों की अधिक/अनाधिकृत मात्रा के उत्खनन पर ₹ 13.99 करोड़ की शास्ति अरोपित नहीं की गयी थी ।

(अनुच्छेद 3.4.1 एवं 3.4.2)

राजस्थान में अधिशुल्क की दरें कुछ विशिष्ट खनिजों को छोड़कर खनिज के वजन पर आधारित होती हैं । तुला पुलों के संचालन की समीक्षा में चयनित तुला पुलों में से 81.68 प्रतिशत् तुला पुलों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं । 33.28 प्रतिशत् ई-रवन्नों की पुष्टि के लिए एक ही वाहन के फोटो का कई बार उपयोग किया गया । यह प्रदर्शित करता है कि जिन वाहनों के लिए ई-रवन्ना जारी किये गये थे, वे या तो तुला पुल तक नहीं पहुंचे या बिना वजन करवाये ही चले गए । ये प्रकरण दर्शाते हैं कि वाहन के वास्तविक वजन के बिना ई-रवन्ना की पुष्टि की गई थी । विभाग तुला पुलों के संचालन की निगरानी करने में विफल रहा, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के राजकोष हेतु अधिशुल्क संग्रहण पर पड़ा ।

(अनुच्छेद 4.1)

विभाग के पास मुद्रित क्रमांक पंचनामों के उपयोग की कोई व्यवस्था नहीं थी । विभागीय कर्मियों द्वारा हाथ से क्रमांक लिखकर पंचनामें तैयार किये जाते हैं । इसके अलावा, 511 पंचनामों को डीएमजीओएमएस पर अपलोड नहीं किया गया था और उच्च अधिकारियों को भी नंबरिंग की इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण अवैध खनन गतिविधियों से अवगत नहीं कराया गया । इसके अतिरिक्त, खनिजों के अवैध निर्गमन के 1,121 प्रकरणों के संबंध में अवैध खनन के स्रोतों/स्थलों की जांच नहीं की गई थी ।

(अनुच्छेद 4.2.1 एवं 4.2.3)

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिशुल्क के निर्धारण को आवश्यक सावधानियों के साथ अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 28 प्रकरणों में अधिशुल्क, खनिज कीमत और प्रशमन शुल्क की राशि ₹ 14.20 करोड़ का गलत निर्धारण हुआ ।

(अनुच्छेद 4.3)

खनन पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उत्खनित एवं निर्गमित खनिज को दर्शाने वाली निर्धारित मासिक एवं वार्षिक विवरणियों की निगरानी विभाग द्वारा नहीं की जा रही थी । डीलरों के स्टॉक से अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों के निर्गमन की जांच के लिए कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गयी थी । इसके अलावा, खदान अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा किए गए खनिजों के निर्गमन की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं पाया गया ।

(अनुच्छेद 5.1)

अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सरकारी राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के पास एक सतर्कता शाखा है । वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान, सतर्कता कार्यालयों ने 956 प्रकरणों की पहचान की, जबकि समान क्षेत्राधिकार वाले खण्ड कार्यालयों ने अपने नियमित कार्य के अलावा अवैध खनन गतिविधियों के 2,434 प्रकरणों की पहचान की । यह इंगित करता है कि सतर्कता शाखा का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं था और अवैध खनन गतिविधियों की पहचान के लिए विशेष शाखा की स्थापना का उद्देश्य भी एक हद तक विफल रहा ।

(अनुच्छेद 7.2)

संक्षेप में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रणाली को मजबूत करने हेतु सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है । इस संबंध में, उपलब्ध आंकड़ों और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकार के लिए एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकते हैं ।

सिफारिशें

सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

1. *अवैध खनन गतिविधियों की पहचान में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग/जीआईएस तकनीक जैसे गूगल अर्थ प्रो के साथ अन्य आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करना;*
2. *खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सभी मौजूदा खननपट्टों का मानचित्रण करना;*
3. *नीलामी नहीं किए गए गैप क्षेत्रों के लिए अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना और गैप क्षेत्रों की नीलामी के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा निर्धारित करना;*
4. *जब भी उत्खनित मात्रा ईसी द्वारा अनुमत्त सीमा को पार करे तो डीएमजीओएमएस प्रणाली में रवन्ना जारी को प्रतिबंधित करने के लिए ऑटो ब्लॉक की व्यवस्था संस्थापित करना, साथ ही अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के लिए राशि की वसूली में तेजी लाना;*
5. *ऑनलाइन मांग और संग्रहण लेखा में मांग को अपलोड करने के बाद ही मांग नोटिस जारी करने के लिए डीएमजीओएमएस में एक प्रणाली संस्थापित करना;*
6. *खनन की अनुमति दिये गये सभी एसटीपी का मानचित्रण करना एवं निर्देशांक को अपलोड करना;*
7. *ई-रवन्ना में प्रेषण के स्थान और गंतव्य के बीच की दूरी को मापने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना;*
8. *वाहनों में जीपीएस संस्थापन और आरएफआईडी प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी अच्छी तकनीक को अपनाना जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा शुरू की गई है और खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान द्वारा प्रस्तावित है;*
9. *कदाचार को रोकने के लिए राज्य भर में तुला पुलों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एकल सॉफ्टवेयर का विकास या अनुमोदन जिस पर विभाग का समग्र नियंत्रण हो;*
10. *आईटी प्रणाली के माध्यम से एक केन्द्रीकृत केन्द्र पर तुला पुलों की निगरानी को सुदृढ करना;*
11. *अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के प्रकरणों को परिवहन विभाग के पास कार्यवाही के लिए भेजना ताकि वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके;*
12. *अवैध खनन पर शिकायतों की जांच के लिए डीएमजीओएमएस में उपलब्ध दिनांक और तस्वीरों का बेहतर उपयोग करना तथा कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना ताकि एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके;*
13. *राजस्थान के परिवहन विभाग द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंचनामों को मुद्रित क्रमांकों के साथ उपयोग करने की अच्छी प्रथा को अपनाना;*
14. *विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/विलंब से दाखिल करने वालों की रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें प्रणाली द्वारा स्वतः नोटिस जारी करने के लिए प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना;*
15. *अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों की आवाजाही की प्रभावी निगरानी के लिए डीलरों के लिए आवधिक विवरणी के प्रावधान करना;*

16. *खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए माह में विवरणियों की नमूना जांच किया जाने के प्रावधान करना;*
17. *खदान अनुज्ञप्ति से प्रत्येक निर्गमन के लिए खनिज के स्रोत का पता लगाने के लिए खनिज के साथ एक अनिवार्य वैध दस्तावेज का प्रावधान करना;*
18. *खनन पट्टों के निरीक्षण के समय लिए गए फोटो सहित निरीक्षणों का विवरण डीएमजीओएमएस पर ऑनलाइन संधारित किये जाने के प्रावधान करना । इसके अलावा, निरीक्षण के लिए पट्टों का चयन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे ताकि एक निश्चित समयावधि के भीतर एक खण्ड के सभी पट्टों का निरीक्षण किया जा सके;*
19. *पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीमकाथाना के पट्टाधारकों द्वारा शुरू किए गए सफल वृक्षारोपण की अच्छी प्रथा को अपनाएं;*
20. *माननीय न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करें;*
21. *दोहराव से बचने और उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खण्ड कार्यालयों और सतर्कता कार्यालयों के अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों की समीक्षा करें और सतर्कता विंग के कामकाज को मजबूत करने के उपाय करें;*
22. *उत्खनित खनिजों की मात्रा मापने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाएं ।*

अध्याय–I

प्रस्तावना

अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

'खनिज' जिसे खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 3एए के तहत परिभाषित किया है, उसमें खनिज तेलों को छोड़कर सभी खनिज सम्मिलित हैं। राजस्थान राज्य में खनिजों की 81 किस्म हैं, जिनमें से 57 का व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा रहा है। खनन न केवल राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि सरकार के लिये राजस्व का प्रमुख स्रोत भी है, इसलिये राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

देश में सर्वाधिक खनन पट्टे राजस्थान में हैं। राज्य में 01 अप्रेल 2020 को प्रधान खनिज[1] के कुल 301 खनन पट्टे, अप्रधान खनिज[2] के 22,242 खनन पट्टे तथा 23,106 खदान अनुज्ञप्तियां[3] थी[4] । राज्य ने 2019-20 में खनिजों से ₹ 4,579.09 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और इस क्षेत्र ने राज्य के राजस्व में 6.11 प्रतिशत का योगदान दिया ।

हालांकि राज्य को इस क्षेत्र में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। यहां अवैध खनन के कई मामले हैं और कई अध्ययन रिपोर्टों ने खनन के कारण अरावली क्षेत्र में हुये पर्यावरणीय नुकसान को उजागर किया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि राज्य के कई क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है।

खनन और अवैध खनन का विनियमनः

एमएमडीआर अधिनियम खानों एवं खनिजों के विकास के नियमन के लिये कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह खनन कार्यों के तरीके और प्रणाली, खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास और इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड का भी प्रावधान करता है।

अधिनियम की धारा 13 केन्द्र सरकार को खनिजों के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 15 राज्य सरकारों को अप्रधान खनिजों के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। तदनुसार राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अप्रधान खनिजों के संबंध में खदान अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतों को विनियमित करने के लिये और इससे जुड़े उद्देश्यों के लिये नियम बना सकती है। खनिजों से प्राप्तियों में मुख्य घटक अधिशुल्क होता है जो

[1] 'प्रधान खनिजों' से तात्पर्य ऐस्बेस्टोस, बेराइट्स, बॉक्साईट, कैडमियम, कोयला, तांबा, सीसा, मैंगनीज, निकल, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, वोसास्टोनाइट, जिंक आदि जैसे खनिज से है जैसा कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के साथ संलग्न दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है ।

[2] 'अप्रधान खनिजों' से तात्पर्य है, पत्थरों, बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण मिट्टी के अलावा अन्य मिट्टी जिसका निर्धारित उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है, और अन्य कोई खनिज जिसे केन्द्र सरकार अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अप्रधान खनिज घोषित कर सकती है ।

[3] 'खदान अनुज्ञप्तियों' से तात्पर्य है, इन नियमों के तहत दी गयी अनुज्ञप्ति, जो निश्चित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क पर खनिज उत्खनन के लिये दिया जाता है, जिसमें अधिशुल्क शामिल नहीं है । खनन पट्टा एक हैक्टेयर से कम क्षेत्र के लिये नहीं दिया जा सकता है, जबकि खदान अनुज्ञप्ति 0.18 हैक्टेयर तक पर दी जा सकती है (अगस्त 2018 तक) ।

[4] स्रोत विभागीय वेब-साईट (https://mines.rajasthan.gov.in/).

खानों से निकाली गयी या खपत की गयी खनिज की मात्रा पर लगाया जाता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 को मंजूरी दी थी, जिसे संशोधित कर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो 1 मार्च 2017 से लागू है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 2 (XXX) के अनुसार "**अवैध खनन**" से तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा, इन नियमों के अधीन स्वीकृत या अनुज्ञात कोई भी खनिज रियायत, अनुज्ञापत्र या कोई भी अन्य अनुज्ञा धारण किये बिना या, यथास्थिति, किसी भी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में की गयी कोई भी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं अभिप्रेत है। इस खण्ड के प्रयोजन के लिये आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(क) वैध खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या इन नियमों के तहत दी गई किसी अन्य अनुमति के अधिकार के तहत किसी भी क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन कार्यों के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन अवैध खनन नहीं माना जाएगा;

(ख) इन नियमों के अधीन स्वीकृत खनिज रियायत अनुज्ञापत्र या, एक अनुज्ञा के अधीन स्वीकृत किसी भी क्षेत्र को, जैसा भी मामला हो, अवैध खनन की सीमा अवधारित करते समय, ऐसे पट्टे, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा, विधिपूर्ण प्राधिकार के साथ धारित क्षेत्र माना जायेगा; और

(ग) महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों द्वारा अपने क्षेत्र के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में किए गए किसी भी शोध कार्य या क्षेत्र के अध्ययन को अवैध खनन नहीं माना जाएगा,

इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 में प्रावधान है कि:

(1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं नहीं करेगा और खानों से खनिज का प्रेषण खदान अनुज्ञप्त क्षेत्र या ईंटों को छोड़कर विधिमान्य रवन्ना[5] या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, कोई व्यक्ति किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही खनिजों का परिवहन या संग्रहण करने का कारण बनेगा।

(3) जो कोई भी उप-नियम (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

तथापि सक्षम प्राधिकारी या तो अभियोजन शुरू करने से पहले या बाद में नियमों के उल्लंघन में किये गये अपराध को खनिज की कीमत और कम्पाउण्ड शुल्क के भुगतान पर प्रशमन कर सकता

[5] 'रवन्ना' से तात्पर्य है कि विभाग द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया रवन्ना या विभाग के वेब पोर्टल से इलैक्ट्रोनिक रूप से जनित रवन्ना या ई-रवन्ना से अभिप्रेत है और इसमें खनिज के प्रेषण, उपभोग या प्रसंस्करण के लिये या किसी खनिज रियायत या अनुज्ञापत्र के अधीन मंजूर विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अतिभार के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य प्रणाली सम्मिलित है । 'ट्रांजिट पास' से तात्पर्य है, अधिशुल्क संदत्त खनिज के विधिपूर्ण परिवहन के लिए पट्टेधारी, स्टाकिस्ट, व्यापारी, व्यवहारी इत्यादि को विभाग द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया या ऑनलाइन जनित ई-ट्रांजिट पास सहित कोई पास अभिप्रेत है ।

है। खनिज की कीमत अधिशुल्क का दस गुना ली जायेगी जो कि किराया, अधिशुल्क, पर्यावरणीय अवनति हेतु क्षतिपूर्ति और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कब्जा की गई भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में होगी ।

1.2 हमने यह विषय क्यों चुना?

राज्य में खनिजों के अवैध खनन के संबंध में समाचार पत्रों में अक्सर खबरें आती रहती थी । खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक राजस्थान में अवैध खनन के 48,486 मामले थे। वर्ष 2019-20 को छोड़कर पिछले वर्षों के दौरान अवैध खनन के मामलों में (जैसा की अनुच्छेद संख्या 2.4 की तालिका 2.1 में दिया गया है) लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति थी। 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुच्छेद संख्या 6.7.6) और 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुच्छेद संख्या 7.4.11.1) आदि में राज्य में अवैध खनन की मात्रा को दर्शाया है। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा की गयी नियमित लेखापरीक्षा में भी अवैध खनन के मामलों को उजागर किया गया था । राजस्थान राज्य खनिज नीति, 2015 और आरएमएमसी नियम, 2017 राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये हैं। इन नीति/नये नियमों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरूआत की गया थी । तथापि, एक जिले में 43 पट्टों के ड्रोन सर्वेक्षण को छोड़कर वैध तथा अवैध खनन का आंकलन करने के लिये विभाग द्वारा नई तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था। नियमित लेखापरीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा पट्टों का अपर्याप्त निरीक्षण करना पाया गया ।

विभाग ने रायल्टी की चोरी रोकने, प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कागज रहित पर्यावरण अनुकूल तथा कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से खनिजों के निर्गमन के लिए नवंबर 2017 से विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से रवन्ना/ट्रांजिट पास को ऑनलाइन जारी करने के लिए एक नई प्रणाली भी शुरू की । इस प्रणाली की शुरूआत से पहले और बाद में खनन की अवैध गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.1 और तालिका 1.2 में दिखाया गया है:

तालिका 1.1

ई-रवन्ना प्रणाली की शुरूआत से पहले विभाग द्वारा पहचानी गई अवैध खनन गतिविधियां

अवधि	अवैध खनन के मामले	अवैध परिवहन के मामले	अवैध भण्डारण के मामले	कुल
2015-16	625	4,159	125	4,909
2016-17	452	4,426	105	4,983
4/2017 से 10/2017	242	2,667	40	2,949
कुल मामले	1,319	11,252	270	12,841
2 साल 7 महीने में अवैध खनन गतिविधियों के कुल 12,841 मामलों की पहचान की गई ।				

तालिका 1.2

ऑनलाईन ई-रवन्ना व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग द्वारा चिन्हित की गई अवैध खनन गतिविधियां

अवधि	अवैध खनन के मामले	अवैध परिवहन के मामले	अवैध भण्डारण के मामले	कुल
11/2017 से 3/2018	237	5,292	46	5,575
2018-19	631	15,977	245	16,853
2019-20	606	12,141	470	13,217

कुल मामले	1,474	33,410	761	**35,645**
2 साल 5 महीने में अवैध खनन गतिविधियों के कुल 35,645 मामलों की पहचान की गई ।				

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि ई-रवन्ना की शुरूआत होने के बाद अवैध खनन गतिविधियों की पहचान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। तथापि, ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास की शुरूआत के बाद भी अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान कमियां देखी गई थी।

इसलिए, अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए विभागीय निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता और खनिजों के अवैध उत्खनन की जांच के लिए आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा[6] और भौगोलिक सूचना प्रणाली[7] (जीआईएस) के उपयोग की जांच के लिए इस विषय का चयन किया गया था।

1.3 संगठनात्मक व्यवस्था

समग्र रुप में राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए निदेशक, खान और भूविज्ञान (डीएमजी) जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 33 (4) के अनुसार वन पदाधिकारी, वन भूमि में किसी भी अवैध खनन के खिलाफ वन नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे । खान और भूविज्ञान विभाग के पासः

(i) खण्ड स्तर पर 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय है जोः

- अनधिकृत खनन की जांच/राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए उचित निगरानी और उचित उपाय करते है और
- एमएमडीआर अधिनियम 1957 और अप्रधान खनिज रियायत नियमों के प्रावधानों के अनुसार चैक पोस्टों के साथ-साथ प्रोसेसर, निर्माता, डीलर या व्यापारी या उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी अनुज्ञा पत्र धारक के खनिज भण्डार का निरीक्षण करते है ।

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को खनि कार्यदेशक और सर्वेयर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के पर्यवेक्षण और खनिजों के अनाधिकृत निर्गमन पर नजर रखने के लिए वृत्त स्तर पर नौ अधीक्षण खनि अभियंता (एसएमई) हैं।

(iii) संभाग स्तर पर चार अतिरिक्त निदेशक खान (एडीएम), अधीक्षण खनि अभियंता और उनके अधीनस्थों के कामकाज की निगरानी करते हैं।

(iv) इसके अलावा, विभाग के पास एक विशेष सतर्कता शाखा है जिसमें 32 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय शामिल हैं जोः

- अनाधिकृत खनन या अनाधिकृत उत्खनन और अनाधिकृत रुप से खनिजों को हटाने के विरुद्ध गहन जाँच करते है;

[6] रिमोट सेंसिंग दूर से जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है जिसका उपयोग पृथ्वी की कुछ विशेषताओं का आंकलन करने के लिये किया जा सकता है ।

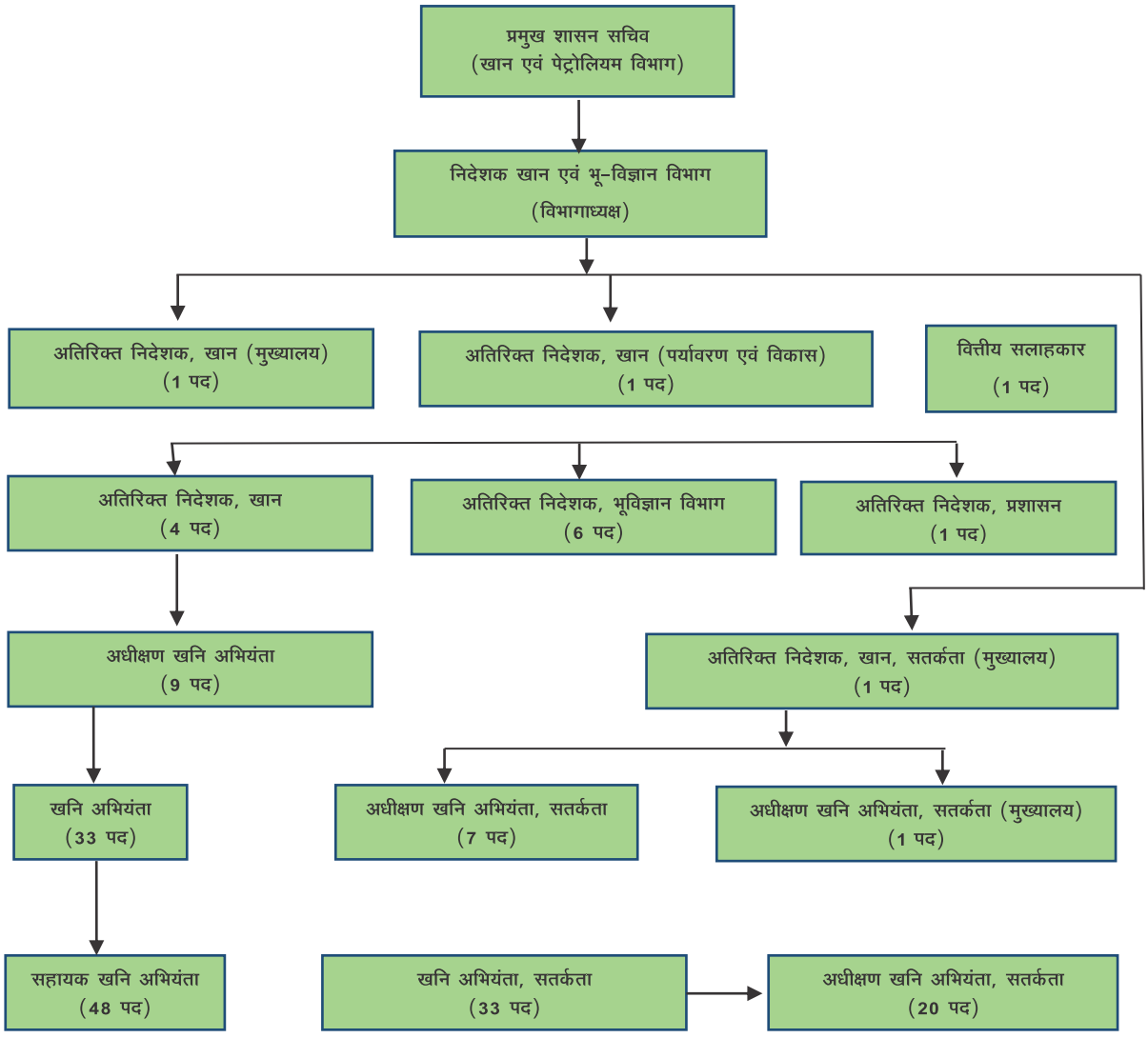
[7] भौगोलिक सूचना प्रणाली एक अवधारणात्मक ढांचा है जो स्थानिक और भौगोलिक डेटा को पकड़ने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है ।

- सरकारी राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में विभागीय चैक पोस्टों का बार-बार निरीक्षण करते है;
- यह सुनिश्चित करते है कि प्रोसेसर/निर्माताओं/स्टॉकिस्टों द्वारा उचित रिकॉर्ड रखा जाता है ।

(v) सतर्कता शाखा के खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के पर्यवेक्षण एवं निगरानी वृत्त स्तर पर सात अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) और निदेशालय में एक अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) द्वारा की जाती है।

प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम शासन स्तर पर प्रशासन तथा संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

विभाग के संपूर्ण संगठनात्मक संरचना को दर्शाने वाला एक मानचित्र नीचे दिया गया है:



अध्याय–II

लेखापरीक्षा संरचना

अध्याय II : लेखापरीक्षा संरचना

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

(i) विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन, कुशल आईटी प्रणाली है और अवैध खनन की जांच और रोकथाम के लिये नवीनतम तकनीक और जानकारी का उपयोग किया गया है;

(ii) अवैध खनन की जांच और रोकथाम के लिए खान और खनिजों के प्रशासन को नियमित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा था और

(iii) खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी नियंत्रण मौजूद थे जिससे कि पर्यावरण और पारिस्थितिक विषयों का ठीक से निपटान किया जा सके।

2.2 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957,
- खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017,
- खनिज रियायत नियम, 1960,
- परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के अलावा अन्य खनिज रियायत नियम 2016,
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986,
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017,
- राजस्थान खनिज नीति,
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986,
- राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2007,
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्थापना के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति और
- इनके तहत जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र आदि तथा खान मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश।

2.3 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र रेत खनन के प्रकरणों को छोडकर अप्रधान खनिजों के अवैध खनन की गतिविधियों का पता लगाने के लिये मौजूदा तंत्र एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा शुरू किये गये उपचारात्मक कार्यो की जांच करना है। गूगल अर्थ प्रो का उपयोग करते हुए रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक के उपयोग के माध्यम से अवैध खनन के मामलों की पहचान की गई। विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों और अवैध खनन की पहचान के आंकड़े एकत्र करने के अलावा, उपग्रह चित्रों से देखे गए खनन क्षेत्रों का सरकार द्वारा दिए गए खनन पट्टों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

अवैध खनन के प्रकरणों की संख्या और आरोपित शास्ति के आधार पर 49 खण्ड कार्यालयों में से, पांच खण्ड कार्यालयों[1] के एक नमूने का चयन, जांच के लिए किया गया । चयनित खण्डों में से, पांच तहसीलों को उपग्रह चित्रों (प्रत्येक चयनित खण्ड कार्यालय से एक तहसील) के माध्यम से स्थानिक अध्ययन के लिए चुना गया। इसके अलावा विभाग के कार्यकरण की जांच के लिए सतर्कता कार्यालयों[2] और अधीक्षण खनि अभियंता कार्यालयों[3] का भी चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने चयनित खण्डों के कुल 1,762 पट्टों में से 514 अर्थात् 29 प्रतिशत पट्टों की नमूना जाँच की।

विभाग द्वारा पता लगाये गये मामलों और मौजूद प्रणाली से संबंधित फाइलों/सूचनाओं के आंकड़ों की समीक्षा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए की गई । इसके अलावा विभागीय ऑनलाइन प्रणाली की सहायता से माह अक्टूबर 2021 तक विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की जांच की गई और इस रिपोर्ट में शामिल किया गया । चयनित तहसीलों में खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के क्षेत्र की पहचान करने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया गया ।

इसके अलावा, उपग्रह चित्रों की मदद से चिन्हित अवैध खनन बिंदुओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) विभाग के प्रतिनिधियों के साथ किया गया । अवैध खनन को रोकने के लिये मौजूदा प्रणाली, इस उद्देश्य के लिए स्टाफ की तैनाती और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों की भी समीक्षा लेखापरीक्षा ने की ।

प्रमुख शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम के साथ एक प्रारम्भिक बैठक 18 जनवरी 2021 को आयोजित की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया ।

उप शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम,डीएमजी और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक समापन बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों और सिफारिशों पर चर्चा की गई । समापन बैठक के दौरान और बाद में ड्राफ्ट रिपोर्ट (फरवरी 2022) के जवाब में प्राप्त विभाग/सरकार के उत्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है ।

2.4 खनिज और अवैध खनन के प्रकरणों से राजस्व

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्व संग्रहण की चर्चा तालिका 2.1 में की गई है:

तालिका 2.1

राजस्व और अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	#राज्य सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व	#राज्य को खनिज से प्राप्त कुल राजस्व	कुल राजस्व में प्राप्त राजस्व का प्रतिशत	*अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के मामले
2015-16	53,640.79	3,782.13	7.05	4,909
2016-17	55,987.23	4,233.74	7.56	4,983

[1] खण्ड कार्यालयः अलवर, कोटपूतली, मकराना, नीमकाथाना और सीकर ।

[2] सतर्कता कार्यालयः अलवर, कोटपूतली, मकराना, नीमकाथाना, सीकर और तिजारा ।

[3] अधीक्षण खनि अभियन्ता कार्यालय जयपुर ।

वर्ष	#राज्य सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व	#राज्य को खनिज से प्राप्त कुल राजस्व	कुल राजस्व में प्राप्त राजस्व का प्रतिशत	*अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के मामले
2017-18	66,339.13	4,521.52	6.81	8,524
2018-19	75,983.35	5,301.48	6.97	16,853
2019-20	74,959.14	4,579.09	6.11	13,217
योग	**3,26,909.64**	**22,417.96**	**6.86**	**48,486**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

***** स्रोतः खान एवं खनिज विभाग का वेब पोर्टल (डीएमजीओएमएस)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल राजस्व में प्राप्त राजस्व का प्रतिशत 7.56 और 6.11 के बीच था । वर्ष 2019-20 को छोड़कर अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है । यह दर्शाता है कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने की प्रणाली में कमियां हैं और इन पर विभाग को उचित ध्यान देने और प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है ।

2.5 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में खान एवं भूविज्ञान विभाग, इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है ।

अध्याय–III

प्रौद्योगिकी का उपयोग

अध्याय III : प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग ने 10 अक्टूबर 2017 से खान और भूविज्ञान ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (डीएमजीओएमएस) नामक एक वेब-आधारित एप्लिकेशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्यः

- खनिज रियायत के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना,
- सभी सरकारी बकाया जमा करना,
- मांग पंजिकाओं का संधारण,
- खननपट्टों की जानकारी,
- जारी किए गए परमिटों का डेटा संधारण,
- अवैध खनन के मामले का लेखा संधारण एवं
- तुला पुलों के एम्पैनेलमेन्ट इत्यादि की सूचना संधारण आदि

डीएमजीओएमएस खननपट्टों एवं अन्य मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। खननपट्टों की प्रभावी निगरानी के साथ-साथ कर्मियों के कामकाज के लिए डीएमजीओएमएस में सूचनाओं को समय पर अद्यतन करना आवश्यक है। इस एप्लिकेशन पर खननपट्टों के निर्देशांक भी अपलोड किए गए हैं। अधिशुल्क की अपवंचना को रोकने, प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कागज रहित पर्यावरण के अनुकूल कार्य को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से खनिजों के निर्गमन के लिए डीएमजीओएमएस के माध्यम से रवन्ना/ट्रांजिट पास का ऑनलाइन जारी किया जाना नवम्बर 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था। भारत सरकार ने भी अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) अक्टूबर 2016 में शुरू की।

अवैध खनन की जांच एवं उस पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट आधारित तकनीक अर्थात रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक पारदर्शी प्रणाली है जिसका निवारक प्रभाव होता है क्योंकि उपग्रह डेटा से निरंतर निगरानी की जा सकती है। यह पूर्वाग्रह मुक्त एवं स्वतंत्र प्रणाली है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी आधारित साक्ष्य पर बनी है। इस प्रणाली में त्वरित प्रतिक्रिया एवं कार्रवाई निहित है क्योंकि खनन क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जा सकती है और संवेदनशील क्षेत्रों की अधिक बार निगरानी की जा सकती है।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों और डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं की जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1 अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग न करना

राजस्थान खनिज नीति, 2015 के पैरा 7.5.1 के अनुसार अतिक्रमण और अवैध खनन का पता लगाने के लिए विभाग उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संभाग कार्यलयों के सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता;

- अनाधिकृत खनन और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए उचित निगरानी रखेंगे एवं उचित उपाय करेंगे और अपने अधिकार क्षेत्र में चेक पोस्ट के साथ-साथ खनिज के प्रोसेसर, निर्माता, डीलर और व्यापारी के स्टॉक का भी निरीक्षण करेंगे।
- अपने क्षेत्र में सभी खनन और खनिज गतिविधियों पर नजर रखेंगे और उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी देंगे।

इसके अतिरिक्त, सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता (सतर्कता) को भी निम्नलिखित कार्य सौंपे गए:

- अनाधिकृत खनन या अनाधिकृत उत्खनन के विरुद्ध सघन जॉच करना;
- खनन क्षेत्रों का निरीक्षण जहां कहीं भी खननपट्टा क्षेत्रों के बाहर खनन करने के बारे में कोई संदेह हो;
- अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज ले जाने वाले वाहनों की विशेष रूप से जहां रॉयल्टी की अपवंचना की संभावना हो वहां लगातार जांच करना।

सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता को फोरमैन और सर्वेयर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इन्हें क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर नजर रखनी होती है और जब भी, किसी भी खनिज के अनाधिकृत कार्यकरण का पता चलता है, तो मामले की सूचना तुरंत संबंधित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता को देंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रों में राजस्व का कोई रिसाव न हो और वे चेक पोस्ट और खनिज ढोने वाले वाहनों का निरीक्षण करेंगे। वे संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रावधान के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज के प्रोसेसर, निर्माता, डीलर, व्यापारी के स्टॉक का निरीक्षण करेंगे।

चयनित पांच संभाग कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य में खनन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात जीआईएस तकनीक लागू नहीं की जा रही थी, सिवाय कुछ मामलों में जहां भारत सरकार ने उपग्रह चित्रों की मदद अवैध खनन स्थलों को चिन्हित किया था। लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा आवंटित खननपट्टों

के आस-पास अवैध खनन का पता लगाने के लिए गुगल अर्थ प्रो एप्लिकेशन[1] का उपयोग किया। लेखापरीक्षा ने चयनित क्षेत्र में 122 अवैध खनन बिन्दुओं/क्षेत्रों (अवैध खनन क्षेत्रों) की पहचान की। इन अवैध खनन क्षेत्रों के पास सभी पट्टे अप्रधान खनिजों यानि मैसनरीस्टोन, सोपस्टोन, संगमरमर, फेल्सपार, क्वाट्र्ज और सिलिका सैंड के थे। इन खननपट्टों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि तीन कार्यालयों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग या तो रिमोट सेंसिंग डाटा/जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से या खननपट्टों के भौतिक निरीक्षण के माध्यम से अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने में असमर्थ रहा। विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1

गुगल अर्थ प्रो के माध्यम से पहचाने गए अवैध खनित बिन्दुओं का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम एवं खननपट्टों की संख्या	चयनित तहसील का नाम	तहसील में खननपट्टों की कुल संख्या	चयनित खननपट्टों की संख्या (खननपट्टों का क्षेत्र हेक्टेयर में)	पहचाने गए अवैध खनन क्षेत्रों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों का क्षेत्र हेक्टेयर में	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों में कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खनि अभियंता सीकर (251)	दांतारामगढ़	137	113 (123.44)	35	21.85	48	6
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली (370)	कोटपूतली	249	100 (620.30)	29	32.76	44	1
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (493)	नीमकाथाना	493	100 (146.41)	8	6.09	12	0

1 गूगल अर्थ प्रो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पृथ्वी का एक थ्री-डी परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जो मुख्य रूप से उपग्रह इमेजरी पर आधारित है । यह एक मुफ्त ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है।

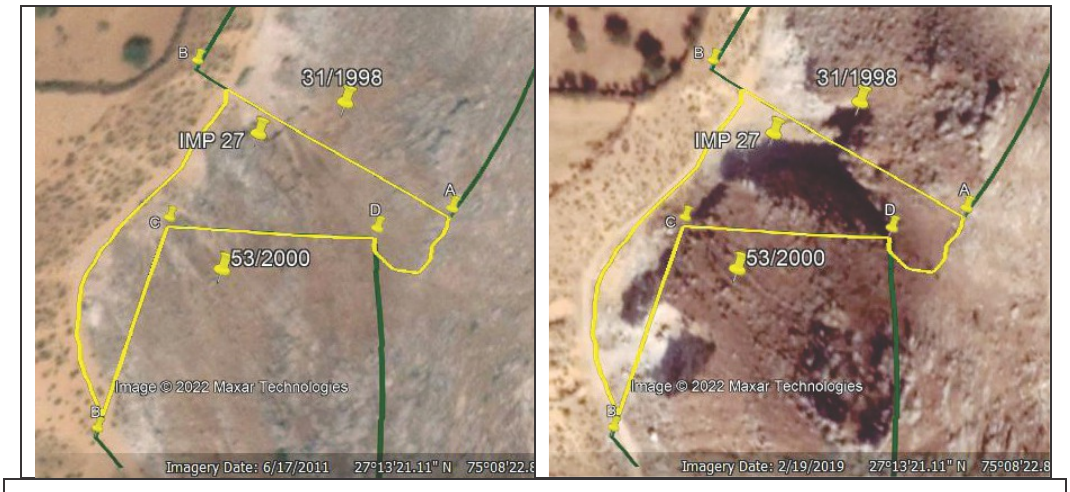
क्र.सं.	कार्यालय का नाम एवं खननपट्टों की संख्या	चयनित तहसील का नाम	तहसील में खननपट्टों की कुल संख्या	चयनित खननपट्टों की संख्या (खननपट्टों का क्षेत्र हेक्टेयर में)	पहचाने गए अवैध खनन क्षेत्रों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों का क्षेत्र हेक्टेयर में	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों में कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	खनि अभियंता अलवर (451)	राजगढ़	147	100 (346.07)	15	7.68	21	0
5	खनि अभियंता मकराना (197)	परबतसर	101	101 (112.43)	35	14.87	50	0
योग	**(1762)**		**1,127**	**514 (1,348.95)**	**122**	**83.25**	**175**	**7**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 34.04 प्रतिशत् चयनित खननपट्टों अर्थात 514 में से 175 खननपट्टों के आस-पास अवैध खनन गतिविधियां की जा रही थी। 83.25 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन की पहचान की गयी है। यह इंगित करता है कि आवंटित खननपट्टों के पास बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जाता रहा और इसकी जानकारी विभाग को नहीं रही। इसके अलावा, निरीक्षण भी प्रभावी नहीं थे क्योंकि खननपट्टों के आस-पास अवैध खनन गतिविधियों का उल्लेख किसी भी क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया था। यह अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त और अप्रभावी निरीक्षण को दर्शाता है।

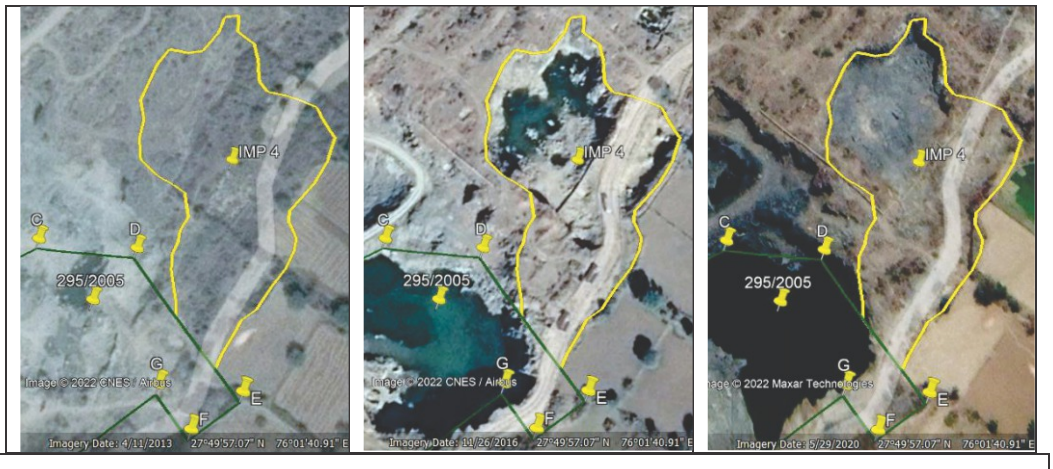
लेखापरीक्षा ने रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से वर्षों के दौरान क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण किया। नीचे दिए गए चित्र कुछ वर्षों के अंतराल के साथ लिए गए हैं और इनकी अद्यतन छवियों में अवैध खनन स्पष्ट रुप से दर्शित है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं:

हरी लाइन खननपट्टा क्षेत्र की वैध सीमाओं को दर्शाती है।

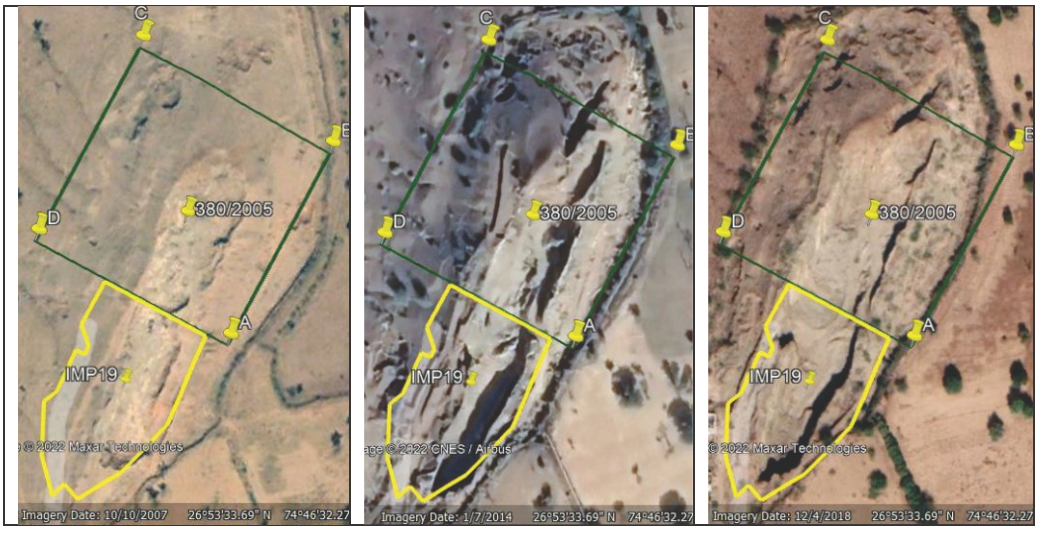
पीली लाइन अवैध खनित क्षेत्र को दर्शाती है।



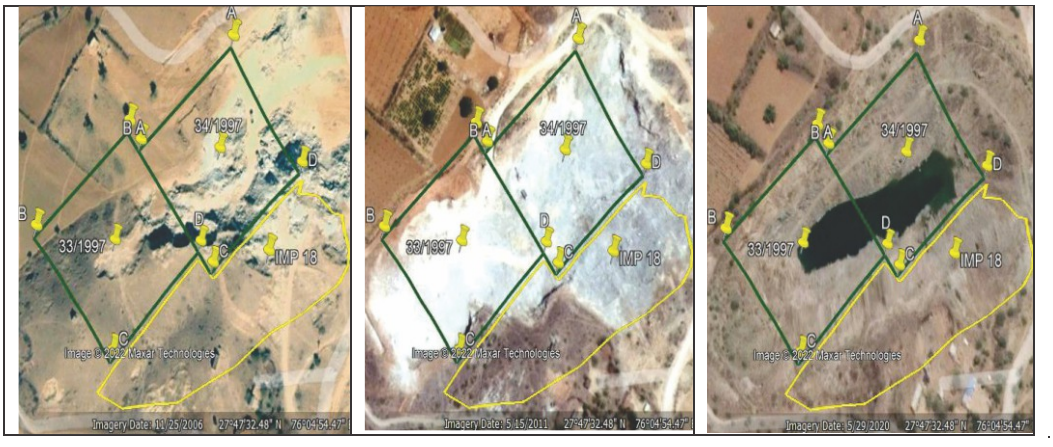
चित्र 1: दिनांक 17.06.2011 एवं 19.02.2019 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी की तुलना करने पर खननपट्टा क्षेत्र के बाहर 0.44 हेक्टेयर भूमि में अवैध खनन पाया गया (खननपट्टा संख्या 53/2000 एवं 31/1998, खनि अभियंता सीकर)



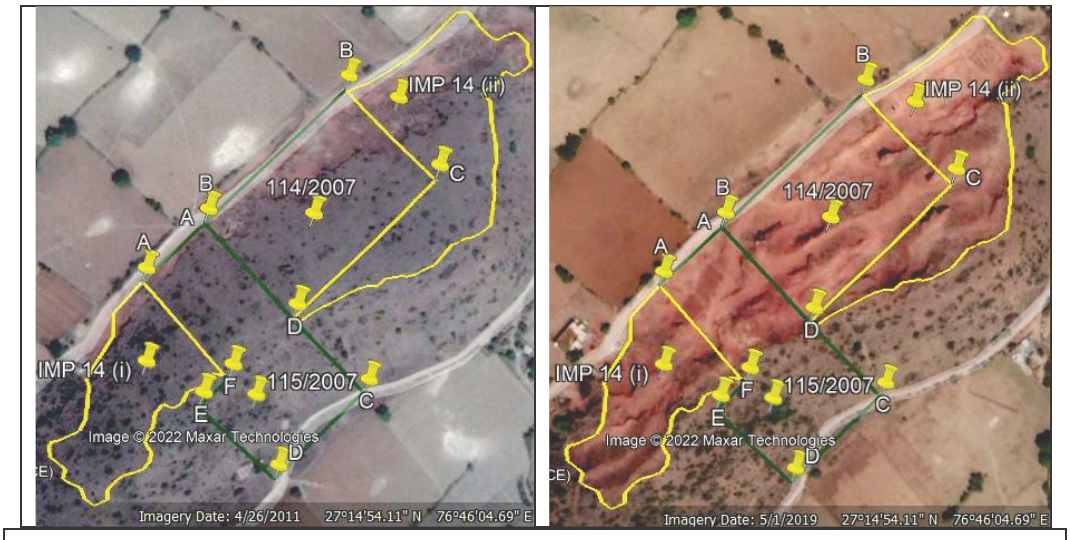
चित्र 2: दिनांक 11.04.2013, 26.11.2016 एवं 29.05.2020 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से पता चला कि खननपट्टा संख्या 295/2005 से सटे 0.92 हेक्टेयर में लगातार अवैध खनन हो रहा है (सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना)।



चित्र 3: दिनांक 10.10.2007, 07.01.2014 एवं 04.12.2018 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से खननपट्टा संख्या 380/2005 से सटे 0.43 हेक्टेयर में अवैध खनन का पता चला (खनि अभियंता मकराना)।



चित्र 4: दिनांक 25.11.2006, 15.05.2011 एवं 29.05.2020 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से खननपट्टा संख्या 33/1997 एवं 34/1997 से सटे 1.13 हेक्टेयर क्षेत्र में लगातार अवैध खनन का पता चला (सहायक खनि अभियंता कोटपूतली)।



चित्र 5: दिनांक 26.04.2011 एवं 01.05.2019 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से खननपट्टा संख्या 114/2007 एवं 115/2007 से सटे 1.63 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन का पता चला (खनि अभियंता अलवर)।

उपरोक्त छवियां दर्शाती हैं कि कैसे अवैध खनन की पहचान करने के लिए उपग्रह इमेजरी को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तथापि, नीति में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद इस संबंध में विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। खननपट्टों के आस-पास के अवैध खनन क्षेत्रों के प्रकरणों ने एक चिंताजनक स्थिति का खुलासा किया और विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इससे निपटने की जरूरत है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन

उपग्रह छवियों के परिणामों की पुष्टि करने के लिए, लेखापरीक्षा ने विभाग के अधिकारियों/कर्मियों के साथ खनन क्षेत्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन किये। लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए प्रत्येक डिवीजन के पांच अवैध खनन क्षेत्रों का चयन किया। तदनुसार, पांच डिवीजन कार्यालयों में कुल 25 अवैध खनन क्षेत्रों की संयुक्त भौतिक सत्यापन (22 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के मध्य) किया गया। विभाग ने खननपट्टों और अवैध खनन क्षेत्रों के निर्देशांकों को सत्यापित करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस)[2] का इस्तेमाल किया। अवैध खनन क्षेत्रों के गड्ढों की गहराई/ऊंचाई, फीतों की मदद से मापी गई क्योंकि डिवीजन कार्यालयों में गड्ढे की गहराई और ऊंचाई को मापने के लिए लेजर आधारित मापने की तकनीक और मैपिंग टूल जैसे नवीनतम उपकरण नहीं थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन ने जांच किए गए सभी अवैध खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की पुष्टि की। परिणाम तालिका 3.2 में दिए गए हैं:

[2] ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट (जीएनएसएस) किसी भी उपग्रह नक्षत्र का वर्णन करने वाला एक सामान्य शब्द है जो वैश्विक या क्षेत्रिय आधार पर स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करता है ।

तालिका 3.2

संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

क्र.सं.	खण्ड कार्यालय का नाम	जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहचाने गए अवैध खनन क्षेत्रों की कुल संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित अवैध खनन क्षेत्रों की कुल संख्या	सैटेलाइट छवियों के अनुसार अवैध खनन क्षेत्रों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अवैध खनित गड्ढे[3] की अनुमानित गहराई	टिप्पणियां
1.	अलवर	15	4	3.38	20 से 60 मीटर	-
			1	0.61	अप्राप्त	संयुक्त भौतिक सत्यापन में अवैध खनन का सत्यापन किया गया परन्तु जीएनएसएस उपकरण का उपग्रह से संपर्क नहीं हो सका इसलिए क्षेत्र एवं ऊंचाई की गणना नहीं की गयी।
2.	कोटपूतली	29	5	5.26	22 से 70 मीटर	-
3	मकराना	35	4	1.39	6 से 25 मीटर	-
			1	0.72		
4	नीमकाथाना	8	5	4.18	6 से 20 मीटर	-
5.	सीकर	35	4	1.19	5 से 25 मीटर	
			1	0.48	-	साधारण मिट्टी का अवैध खनन अवैध खनन क्षेत्रों में पाया गया, इसलिए निर्देशांक और गहराई नहीं ली गई।
	कुल	**122**	**25**	**17.21**	5 से 70 मीटर	

[3] गड्ढें की अधिकतम गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान नोट की गई थी ।

तालिका 3.2 के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

- सभी प्रकरणों में गुगल अर्थ प्रो छवियों के माध्यम से चिन्हित स्थानों पर अवैध खनन गड्ढे पाए गए, सिवाय एक ऐसे प्रकरण को छोड़कर जहां जीएनएसएस का संपर्क उपग्रह से नहीं हो सका;
- इन अवैध खनित गड्ढों में खनिजो की खुदाई की गहराई 5 से 70 मीटर के बीच थी।

प्रत्येक खण्ड कार्यालय के दृष्टांत के लिए, उपग्रह चित्रों के माध्यम से पहचाने गए एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित क्षेत्रों की कुछ छवियां उदाहरणस्वरूप प्रत्येक खण्ड के लिये नीचे दी गई हैं। खननपट्टा क्षेत्र को हरी रेखा द्वारा, उपग्रह चित्रों द्वारा पहचाने गए अवैध खनित क्षेत्र पीली रेखा द्वारा और संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पहचाने गए अवैध खनित क्षेत्र को लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अवैध खनन को प्रमाणित करने के लिए फोटो भी यहां दिए गए हैं।

खननपट्टा क्षेत्र गुगल अर्थ प्रो के अनुसार अवैध खनित क्षेत्र भौतिक सत्यापित अवैध खनित क्षेत्र



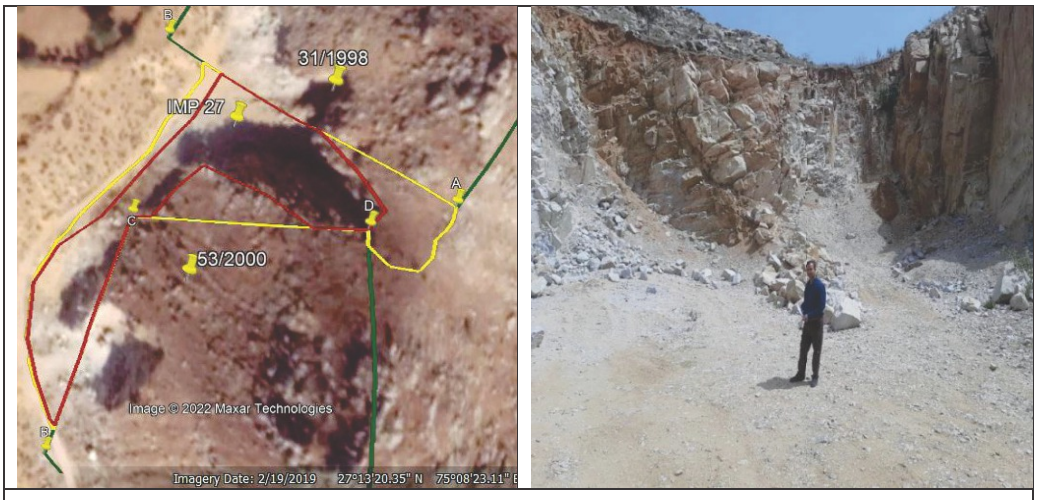
खननपट्टा संख्या 33/1997 एवं 34/1997 (सहायक खनि अभियंता कोटपूतली), फोटोग्राफ दिनांक 08.04.2021.

चित्र 6



खननपट्टा संख्या 66/1996 (खनि अभियंता अलवर), फोटोग्राफ दिनांक 16.04.2021.

चित्र 7



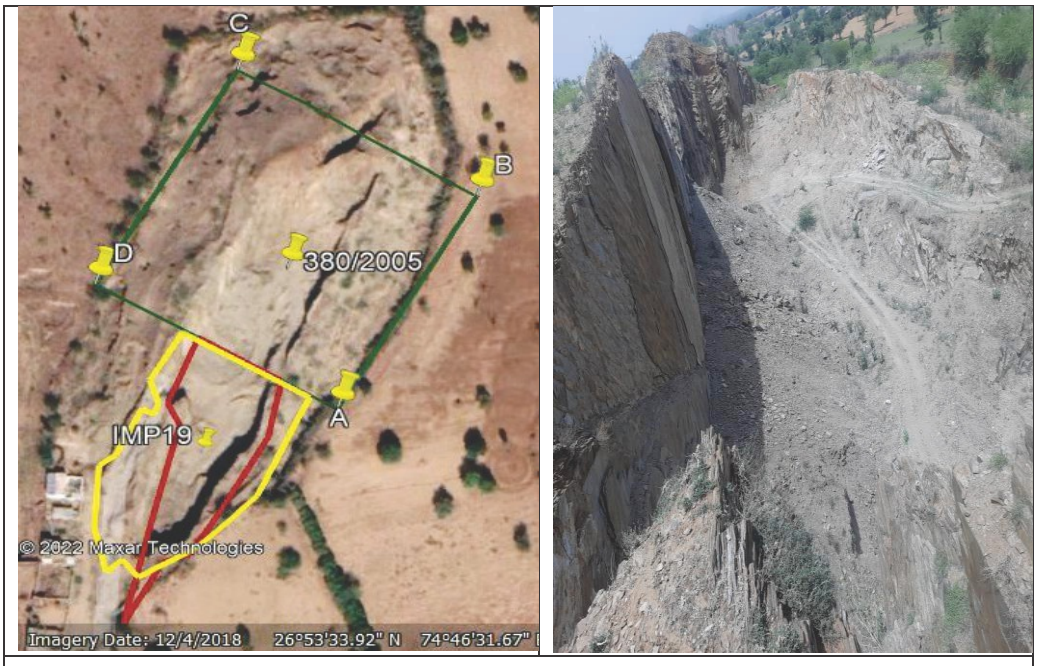
खननपट्टा संख्या 53/2000 एवं 31/1998 (खनि अभियंता सीकर) फोटोग्राफ दिनांक 24.03.2021.

चित्र 8



खननपट्टा संख्या 295/2005 (सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना), फोटोग्राफ दिनांक 06.04.2021.

चित्र 9



खननपट्टा संख्या 380/2005 (खनि अभियंता मकराना), फोटोग्राफ दिनांक 24.06.2021.

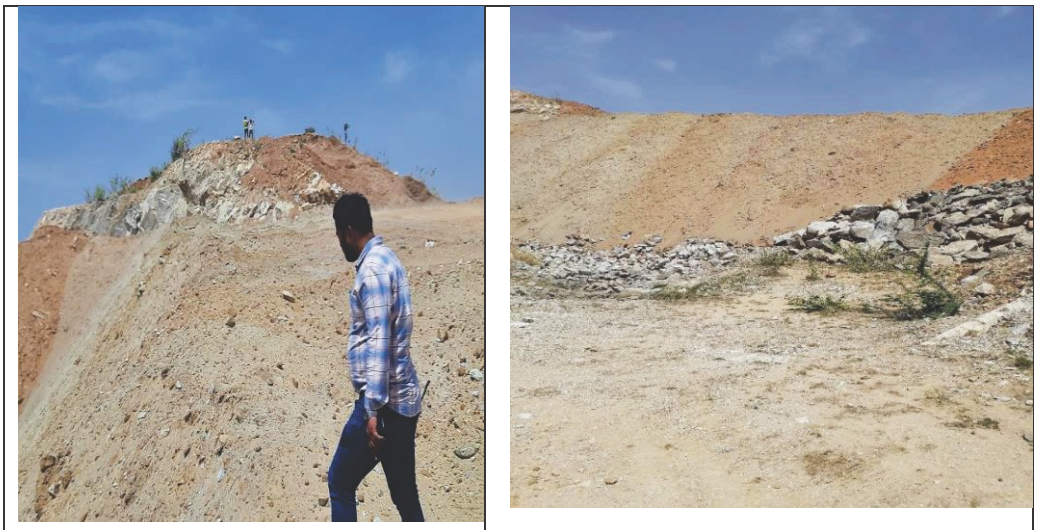
चित्र 10

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जा सकता है।

अवैध खनन क्षेत्र को वापस भरना

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि दो अवैध खनन क्षेत्रों (सीकर और नीमकाथाना) में, अवैध उत्खनन क्षेत्र के विशाल गड्ढों को रेत, धूल या ओवरबर्डन सामग्री के मिश्रण से वापस भरा जा रहा था।

अवैध खनित गड्ढों को भरने की तस्वीर



खननपट्टा संख्या बी/518/2005 (सख अभियंता नीमकाथाना), फोटोग्राफ दिनांक 06.04.2021.

चित्र 11

इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन ने स्थापित किया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने में सहायक है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि खनि अभियंता गोटन एवं खनि अभियंता नागौर के क्षेत्राधिन 59 खननपट्टों का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया था। इसके अलावा, कार्यालयों को बजट की उपलब्धता के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए गए ताकि रैण्डम नमूना पद्धति के माध्यम से न्यूनतम 5 प्रतिशत् खननपट्टों का चयन कर ड्रोन सर्वेक्षण की जा सके। विभाग ने कार्यालयों को गुगल अर्थ प्रो एप्लीकेशन के माध्यम से सैटेलाइट इमेज के आधार पर अवैध खनन स्थलों की पहचान करने के निर्देश भी जारी किए। सरकार को प्रकरण प्रतिवेदित (फरवरी 2022) होने के बाद विभागीय अधिकारियों[4] ने 25 संयुक्त रूप से सत्यापित अवैध खनन क्षेत्रों में से 14 अवैध खनन क्षेत्रों का निरीक्षण (जून और जुलाई 2022) किया । विभाग ने पुष्टि किया कि इन 14 अवैध खनन क्षेत्रों में 13.37 लाख मीट्रिक टन खनिज मैसनरीस्टोन, संगमरमर, क्वाट्र्ज, फेल्सपार और सिलिकासैंड का अवैध रूप से उत्खनन किया गया था । आसपास के पट्टाधारकों को नोटिस जारी किया गया था । शेष अवैध खनन क्षेत्रों के लिए यह सूचित किया गया कि कार्रवाई की जा रही है ।

आरएमएमसी नियम, 2017 में निर्धारित रायल्टी दरों के अनुसार अवैध रूप से उत्खनित इन खनिजों (13.37 लाख मीट्रिक टन) की कीमत ₹ 111 करोड़ थी । इसमें से ₹ 0.50 करोड़ की वसूली सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना द्वारा की गई । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अगस्त 2022) ।

इन तथ्यों ने लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि कि प्रौद्योगिकी का उपयोग अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है और खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण में विभाग की सहायता कर सकता है । तथापि, कुछ सीमित खननपट्टों को छोड़कर विभाग ने अवैध खनन की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया। अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान में देरी से अवैध खनन गतिविधियों में वृद्धि होगी और राजकोष को राजस्व की हानि होगी। ऐसे में तकनीक के इस्तेमाल में तेजी लाने की जरूरत है।

[4] खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता : अलवर (2 अवैध खनन क्षेत्र); कोटपूतली (1 अवैध खनन क्षेत्र); मकराना (5 अवैध खनन क्षेत्र); नीम का थाना (1 अवैध खनन क्षेत्र) और सीकर (5 अवैध खनन क्षेत्र)।

3.2 रवन्नों का दुरुपयोग

रवन्ना खनिज के आवाजाही को अधिकृत करने वाला एक कानूनी दस्तावेज है। खननपट्टा से खनिज के प्रत्येक प्रेषण से पहले पट्टेदार को डीएमजीओएमएस से ई-रवन्ना जारी करना होता है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 2(xliii) के अनुसार, ''रवन्ना'' का अर्थ विभाग द्वारा विधिवत जारी या विभागीय वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया रवन्ना या ई-रवन्ना है और इसमें किसी भी खनिज रियायत या परमिट के तहत दिए गये निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज या ओवरबर्डन के प्रेषण, खपत या प्रसंस्करण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रणाली शामिल है। इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 के अनुसार, जैसा भी मामला हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी खनिज रियायत, परमिट या किसी अन्य अनुमति के बिना कोई पूर्वेक्षण या खनन कार्य नहीं करेगा और वैध रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना खानों से खनिज नहीं भेजेगा।

ई-रवन्ना के समर्थन से अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों का प्रेषण न केवल राजस्व के लिए खतरा है, बल्कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है । राज्य में अप्रधान खनिजों के 22,242 पट्टे थे जिनमें से लेखापरीक्षा ने इस खतरे की समीक्षा करने के लिए चयनित खण्डों[5] के 514 पट्टों का विश्लेषण किया । लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 खननपट्टों में पट्टदारों द्वारा पट्टा क्षेत्रों में कोई उत्खनन नहीं किया गया था। तथापि, मार्च 2020 तक 22,854 ई-रवन्नओं का उपयोग करते हुए इन खननकर्ताओं ने ₹16.64 करोड़ मूल्य के 5.20 लाख मीट्रिक टन (एमटी) खनिज का निर्गमन किया । यह इंगित करता है कि राज्य में बड़े पैमाने पर ई-रवन्ना का दुरुपयोग किया जा रहा है और विभाग अवैध खनन को प्रभावी ढंग से नहीं रोक सका ।

[5] लेखापरीक्षा ने पांच खण्डों और 514 खनन पट्टों का चयन किया और चार खण्डों में रवन्नों का दुरुपयोग पाया । अलवर खण्ड के चयनित 100 खनन पट्टों में ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया ।

एक दृष्टांत उपग्रह चित्र नीचे दिया गया हैः



चित्र 12

सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से पता चला कि जुलाई 2014 से जून 2021 की अवधि के दौरान खननपट्टा संख्या 121/2006 (खनि अभियंता मकराना) में कोई खनन गतिविधि नहीं थी। तथापि, पट्टेदार ने 30 अगस्त 2018 से 25 नवंबर 2019 के दौरान 57,568.43 मीट्रिक टन खनिज 2,317 ई-रवन्नों के माध्यम से प्रेषित किया।

इस प्रकार तथ्य इंगित करता है कि आवंटित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से उत्खनित खनिजों के परिवहन के लिए ई-रवन्ना का दुरुपयोग किया गया था। ई-रवन्नों के दुरुपयोग का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया हैंः

तालिका 3.3

रवन्नों का दुरुपयोग कर प्रेषित किए गए खनिजों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	चयनित तहसील	खननपट्टों की संख्या	ई-रवन्नों की संख्या	निर्गमित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में)	खनिज का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	खनि अभियंता सीकर	दांतारामगढ़	2	172	5,035.26	0.18
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	कोटपूतली	3	2,331	52,680.63	1.84
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	नीमकाथाना	5	17,459	3,26,188.76	11.45
4	खनि अभियंता मकराना	परबतसर	2	2,381	58,663.41	1.64
5	खनि अभियंता जयपुर[6]	-	1	511	77,834.00	1.53
खनि अभियंता जयपुर में, खनन पट्टेदार ने अप्रैल 2000 से मार्च 2020 के दौरान 99,464 मीट्रिक टन खनिज मैसनरी स्टोन निर्गमित किया, जबकि, खनि कार्यदेशक की साइट निरीक्षण रिपोर्ट (25.06.2020) के अनुसार इस अवधि के दौरान उत्खनित खनिज 21,630 मीट्रिक टन था। इस प्रकार, खनन पट्टेदार ने रवन्ना का दुरुपयोग करके 77,834 मीट्रिक टन (99464-21630) खनिज मैसनरी स्टोन निर्गमित किया।						
योग			**13**	**22,854**	**5,20,402.06**	**16.64**

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि ऐसे प्रकरणों की प्रभावी निगरानी के लिए एक अलग आईटी विंग का प्रस्ताव किया गया है।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि विभाग ने रवन्नों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया। अगर विभाग ने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया होता तो वे खनन की सीमा से अवगत होते और इसे जारी ई-रवन्नों से जोड़ सकते थे।

[6] नियमित लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल एक इकाई ।

3.3 खननपट्टों का सीमांकन एवं आवंटन

आरएमएमसी नियम, 1986 के नियम 7 में उल्लेखित है कि क्षेत्र को पहले रेखांकित करने और भूखंडों को उपयुक्त रूप से क्रमांकित करने के बाद खननपट्टा आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 12 में कहा गया है कि खनिज रियायत की नीलामी के संबंध में, 'बोली आमंत्रित करने की सूचना' से पूर्व, सरकार उस क्षेत्र की जहां खनिज रियायत दी जानी प्रस्तावित है, की पहचान और सीमांकन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस)[7] का उपयोग करते हुए करेगी ।

खनि कार्यदेशक और सर्वेयर संबंधित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता के निर्देशों के अनुसार खननपट्टा क्षेत्र योजना और मानचित्र आदि तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। डीजीपीएस/जीएनएसएस की उपलब्धता से पहले कम्पास और फीता की मदद से और उसके बाद डीजीपीएस/जीएनएसएस की मदद से मानचित्र तैयार किए गए थे।

इस प्रकार, खननपट्टों की योजना, सीमांकन और आवंटन यथोचित कर्मठता के साथ किया जाना था ताकि खननपट्टों की ओवरलैपिंग और खननपट्टों के मध्य गैप एरिया जैसी अनियमितताओं से बचा जा सके।

खननपट्टों के उपग्रह चित्रों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि खननपट्टों का सीमांकन यथोचित कर्मठता के साथ नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप खननपट्टों की ओवरलैपिंग हुई और खननपट्टों के मध्य गैप एरिया रह गया। विभाग ने इन मुद्दों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जैसा कि आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

3.3.1 खननपट्टों का ओवरलैपिंग

गुगल अर्थ प्रो पर चयनित खननपट्टों के चित्रों की जांच से पता चला कि 43 खननपट्टों के पट्टाक्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन खननपट्टों का सीमांकन ठीक से नहीं किया गया था। खननपट्टा क्षेत्र के स्पष्ट सीमांकन के बिना, विभाग विशिष्ट पट्टेदार द्वारा उत्खनित खनिज का निर्धारण नहीं कर सकता है। साथ ही, ओवरलैप क्षेत्र में नियमों एवं निर्देशों की पालना नहीं करने की जिम्मेदारी भी निर्धारित नहीं की जा सकती। नमूना जांच की गई तहसीलों में पाये गये ओवरलैप के प्रकरण **तालिका** 3.4 में दिए गए हैं:

[7] **डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम** (डीजीपीएस) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का एक विस्तार है जो बेहतर पोजिशनिंग सटीकता प्रदान करता है ।

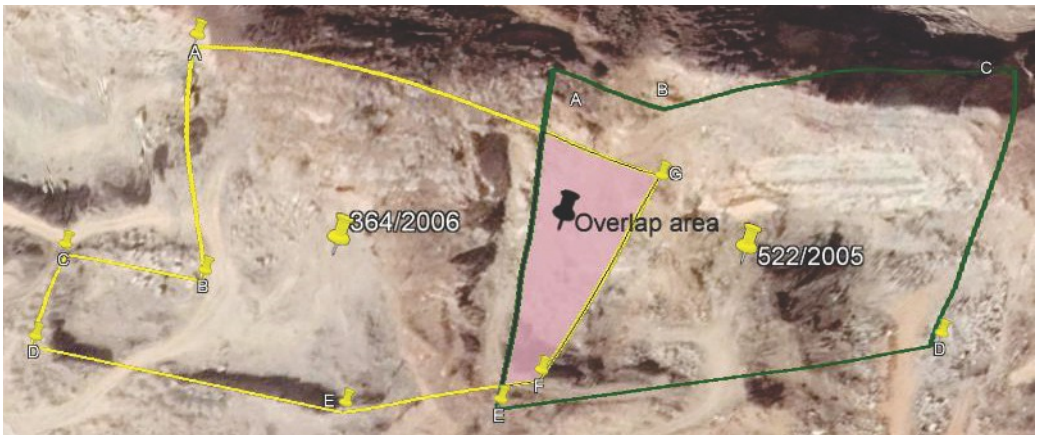
तालिका 3.4

खननपट्टों के ओवरलैपिंग का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम (चयनित तहसील का नाम)	चयनित तहसील में खननपट्टों की संख्या	चयनित खननपट्टों की संख्या	ओवरलैप हुए खननपट्टों की संख्या (चयनित खननपट्टों की संख्या का प्रतिशत)	ओवरलैप क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	खनि अभियंता सीकर (दांतारामगढ़)	137	113	7 (6)	0.25
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली (कोटपूतली)	249	100	10 (10)	52.16
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (नीमकाथाना)	493	100	-	-
4	खनि अभियंता अलवर (राजगढ़)	147	100	15 (15)	2.36
5	खनि अभियंता मकराना (परबतसर)	101	101	11 (11)	2.59
योग		**1,127**	**514**	**43 (8)**	**57.36**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि लगभग आठ प्रतिशत् खननपट्टों का सही ढंग से सीमांकन नहीं किया गया था ताकि ओवरलैपिंग से बचा जा सके। इन खननपट्टों का ओवरलैप क्षेत्र (जैसा कि तालिका 3.4 में दिखाया गया है) 57.36 हेक्टेयर था। ये खननपट्टे वर्ष 1977 से 2017 के बीच स्वीकृत किए गए थे और तब से यह समस्या बनी हुई है। खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दर्शाने के लिए एक दृष्टांत चित्र नीचे दिया गया है।

खनि अभियंता सीकर के क्षेत्राधीन खननपट्टों की छवि



चित्र 13

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि पूर्व में खननपट्टों का सीमांकन कंपास एवं फीता की सहायता से किया जाता था तथा मानचित्र को हस्तचालित रूप से तैयार कर मास्टर मानचित्र पर खननपट्टा क्षेत्र को आलेखित किया जाता था। आरएमएमसी नियम, 2017 लागू होने के बाद जीपीएस/डीजीपीएस (जीएनएसएस) उपकरण का उपयोग इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया, मानवीय आलेखन की सटीकता कम्प्यूटरीकृत जीआईएस आलेखन से भिन्न होती है जिसके कारण ये त्रुटियां हुई।

3.3.2 खननपट्टों के मध्य गैप क्षेत्र

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 7 में प्रावधान है कि दो या दो से अधिक खननपट्टों या वन सीमा या किसी अन्य आरक्षित भूमि से घिरे क्षेत्र को गैप क्षेत्र माना जाएगा और ऐसे गैप क्षेत्र को ई-नीलामी के माध्यम से खननपट्टे के रूप में आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, जहां गैप क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर से कम है, ऐसे क्षेत्र को आसपास के खननपट्टेदारों के बीच ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा और इसे सफल बोलीदाता के खननपट्टे में जोड़ा जाएगा।

चयनित 514 खननपट्टों के उपग्रह चित्रों की समीक्षा से पता चला कि विभागीय अधिकारियों द्वारा सीमांकित खननपट्टों को इस प्रकार आवंटित किया गया था कि खननपट्टों के मध्य 30 गैप क्षेत्र रह गए थे। लेखापरीक्षा ने 14 गैप क्षेत्र में अवैध खनन पाया जैसा कि तालिका 3.5 में दिया गया है:

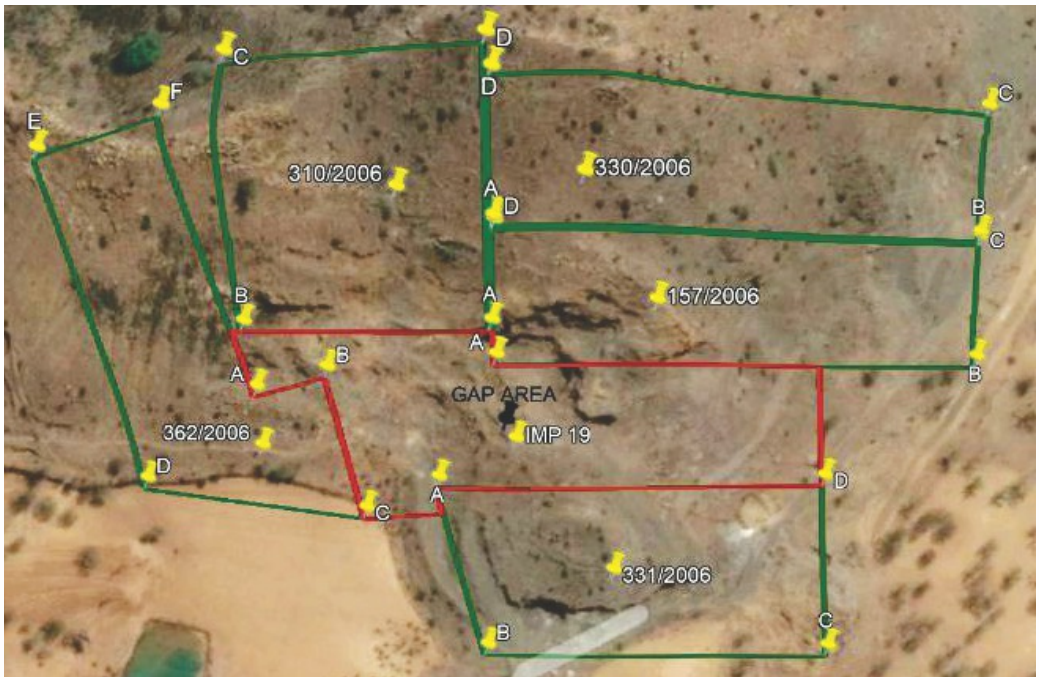
तालिका 3.5

गैप क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	गैप क्षेत्रों की संख्या	गैप क्षेत्रों की संख्या जहां अवैध खनन पाया गया	गैप क्षेत्रों में अवैध खनन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	खनि अभियंता सीकर	8	8	3.45
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	7	0	0.00
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	5	1	0.10
4	खनि अभियंता अलवर	7	2	0.76
5	खनि अभियंता मकराना	3	3	0.77
योग		**30**	**14**	**5.08**

विभाग ने इन गैप क्षेत्रों के आवंटन/नीलामी के प्रयास नहीं किए। लेखापरीक्षा का मत है कि यदि विभाग ने इन गैप एरिया को आवंटित किया होता तो इससे रॉयल्टी का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता और अवैध खनन गतिविधियों को भी रोक दिया जाता। इस प्रकार, विभाग स्थिर भाटक एवं

रॉयल्टी के रूप अतिरिक्त राजस्व से वंचित रहा। साथ ही, इन क्षेत्रों में अवैध खनन को भी नहीं रोका जा सका। गैप क्षेत्र की एक दृष्टांत छवि जहां अवैध खनन पाया गया, इस प्रकार हैः



चित्र 14

खनि अभियंता सीकर के क्षेत्राधीन गैप क्षेत्र में अवैध खनन की तस्वीर

हरी रेखा खननपट्टा क्षेत्र को दर्शाती है। लाल रेखा गैप क्षेत्र को दर्शाती है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि उपयुक्त गैप क्षेत्रों की नीलामी की जावेगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

इस प्रकार, विभाग की जानबूझकर विफलता ने न केवल अवैध खनन को प्रोत्साहित किया, बल्कि स्थिर भाटक और रायल्टी के रूप में अतिरिक्त राजस्व से भी वंचित कर दिया ।

3.4 त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली

विभाग ने हितधारकों के लिए 10 अक्टूबर 2017 को एक नई ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस की शुरुआत की। इसमें प्रमुख कार्य यथा ई-भुगतान, खननपट्टा सूचना प्रणाली, ऑनलाइन मांग रजिस्टर, ई-रवन्ना और ई-ट्रांजिट पास इत्यादि शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इस प्रणाली का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया। आगामी अनुच्छेदों में कमियों पर चर्चा की गई है।

3.4.1 संचालन सहमति (सीटीओ)/पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा का रवन्नों के माध्यम से खनिज का निर्गमन

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 28(2)(iv)(b) के अनुसार खनन पट्टेदार सभी खनिजों का उत्पादन खनन योजना की सीमा के भीतर या लागू कानूनों के तहत अनुमत्य मात्रा के अधिन रखेगा। इसके साथ निम्न प्रावधान दिए गए हैंः

- यदि खनन पट्टेदार ने खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमति से दस प्रतिशत् अधिक खनिज की खुदाई की है, तो केवल एकमुश्त रॉयल्टी ही वसूली की जाएगी;
- दस प्रतिशत् से अधिक लेकिन पच्चीस प्रतिशत् मात्रा तक खुदाई की तो, खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा पर रॉयल्टी का दो गुणा वसूल किया जाएगा और
- पच्चीस प्रतिशत् से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा और खनन पट्टेदार ऐसे अतिरिक्त खनिज की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की शक्तियां को प्रभावित किए बिना प्रचलित दर पर देय रॉयल्टी का दस गुणा के रूप में की जाएगी।

इसके अलावा, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 34 में पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान है। तदनुसार, कोई भी खननपट्टा या खान लाइसेंस पूर्व सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति और जैसा कि लागू कानूनों के तहत खनन कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक हो सकता है, प्राप्त किए बिना आवंटित नहीं किया जाएगा।

चयनित खननपट्टों के अभिलेखों एवं डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि खनन पट्टेदारों ने संचालन की सहमति (सीटीओ)/पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में उल्लेखित अनुमत्त मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया था। विवरण तालिका 3.6 में दिया गया हैः

तालिका 3.6

अनुमत्त मात्रा से अधिक उत्खनित खनिज का विवरण

क्र.सं.	खण्ड कार्यालय का नाम	खननपट्टों की संख्या	सीटीओ से अधिक उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन में)	ईसी से अधिक उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ के बिना खुदाई की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	ईसी के बिना खुदाई की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
1	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	2	23,445	17,300	-	-	0.13
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	26	5,96,337	29,830	2,73,266	60,820	3.80
3	खनि अभियंता अलवर	2	5,619	-	-		0.07
4	खनि अभियंता मकराना	8	6,000	34,285	-	3,22,294	9.99
योग		**38**	**6,31,401**	**81,415**	**2,73,266**	**3,83,114**	**13.99**

लेखापरीक्षा ने चयनित पांच खण्ड कार्यालयों के 514 खननपट्टों की नमूना जांच की, जिनमें से यह पाया गया कि 38 खनन पट्टदारों ने सीटीओ/ईसी में अनुमत्त मात्रा से अधिक या बिना सीटीओ/ईसी प्राप्त किए खनिजों का उत्खनन किया था। आरएमएमसी नियम, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों पर ₹ 13.99 करोड़ की राशि आरोपणीय थी। इसके बावजूद अनियमितता विभाग के ध्यान में नहीं आई। उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि नमूना जांच किए गए लगभग सात प्रतिशत् पट्टेदार प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन विभाग इन गतिविधियों की जांच में सतर्क नहीं था।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि सीटीओ में अनुमत्त मात्रा से अधिक उत्पादन होन पर डीएमजीओएमएस में ई-रवन्ना के निर्गत को ऑटो ब्लॉकिंग किया जाना 27 अक्टूबर 2018 से प्रभावी कर दिया गया है। इसी तरह का मॉड्यूल ईसी के लिए भी विकसित किया गया है, हालांकि, विभागीय स्तर पर निर्णय के बाद इसे प्रभावी बनाया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुमत्त मात्रा से अधिक उत्पादन पर ई-रवन्ना के निर्गत को रोकने के लिए यथोचित कर्मठता का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, ईसी में अनुमत्त मात्रा से अधिक के ई-रवन्ना निर्गत के ऑटो ब्लॉकिंग मॉड्यूल में देरी से भी राजस्व की हानि हो रही है। यथोचित लगन का अभाव और डीएमजीओएमएस द्वारा आवश्यक जांचो के लिए उपाय किये जाने के अभाव के परिणामस्वरूप सीटीओ/ईसी में अनुमत्त मात्रा से अधिक खनिज का निर्गमन हुआ।

3.4.2 डीएमजीओएमएस पर मांग एवं वसूली की अधूरी/त्रुटिपूर्ण सूचना

चयनित पांच कार्यालयों से अवैध खनन गतिविधियों की लंबित मांगों की जानकारी (जनवरी से जुलाई 2021 के बीच) मांगी गई थी। सिर्फ तीन कार्यालयों नें जानकारी उपलब्ध कराई। खननपट्टों से संबंधित अवैध खनन गतिविधियों की मांगों की जांच में पाया गया कि **53** खननपट्टों के प्रकरणों में डीएमजीओएमएस पर संधारित मांग रजिस्टर में मांग नहीं दर्शाई गई थी जैसा कि तालिका 3.7 में वर्णित है।

तालिका 3.7

डीएमजीओएमएस में शास्ति की राशि नहीं दर्शाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खननपट्टों की संख्या जिनमें डीएमजीओएमएस पर अवैध खनन गतिविधियों की मांग दर्ज नहीं की गई	मांग राशि	वसूली गई मांग राशि	लंबित वसूली की राशि
1	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	42	25.08	4.32	20.76
2	खनि अभियंता अलवर	4	15.89	0.79	15.10
3	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	7	30.23	2.99	27.24
योग		**53**	**71.20**	**8.10**	**63.10**

लेखापरीक्षा ने पाया कि बकाया मांग जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, विभाग द्वारा डीएमजीओएमएस पर अपलोड नहीं की गयी थी। इस प्रकार, डीएमजीओएमएस अवैध खनन

गतिविधियों के संबंध में खनन पट्टेदारों के विरूद्ध मांग की वास्तविक बकाया मांग को नहीं दर्शाता है।

अन्य दो कार्यालयों द्वारा बकाया मांगों की जानकारी के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन खण्ड कार्यालयों द्वारा डीएमजीओएमएस में पट्टेदारों की सभी बकाया मांगों को दर्शाया गया अथवा नहीं।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों ने अवैध खनन गतिविधियों के लिए शास्ति की मांग आरोपित नहीं की गई (जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है)। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास यह जांचने की व्यवस्था नहीं थी कि प्रत्येक मांग ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज है।

3.4.3 अल्पावधि अनुमति के निर्देशांक अपलोड नहीं किया जाना

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51 के अनुसार सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन के कार्यों के निष्पादन के लिए संवेदक को खनिज मैसनरी स्टोन, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि की खुदाई एवं उपयोग के लिए अल्पावधि अनुमति (एसटीपी) दिया जा सकता है। तद्नुसार, विभाग ने खनिज उत्खनन अथवा रॉयल्टी प्रदत्त खनिजों के उपयोग के लिए 22,445 एसटीपी[8] जारी किए।

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना की समीक्षा से पाया गया कि विभाग ने एसटीपी के निर्देशांक डीएमजीओएमएस पर अपलोड नहीं किए थे। इन निर्देशांकों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वाररा एसटीपी प्रदत्त क्षेत्र के निकट अवैध खनन की पहचान नहीं की जा सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि एसटीपी के निर्देशांक अपलोड करने का प्रावधान डीएमजीओएमएस में उपलब्ध है और संबंधित कार्यालय इसे अपलोड कर सकते हैं।

इस प्रकार तथ्य यह है कि संबंधित कार्यालयों ने एसटीपी के निर्देशांक अपलोड नहीं किए थे और विभाग यह भी सुनिश्चित नहीं कर रहा था कि एसटीपी के निर्देशांक अपलोड किए जा रहे थे अथवा नहीं।

[8] 1 अप्रेल 2020 तक जारी एसटीपी स्थिति ।

3.4.4 जीआईएस मैपिंग का अभाव

जीआईएस मैपिंग से आशय नक्शा तैयार करने के लिए जीआईएस सॉफ्टवेयर में डेटा परतों को इनपुट करने की प्रक्रिया से है। ये मानचित्र उपयोगकर्त्ताओं को ऐसी सुपाठ्य जानकारी प्रस्तुत करते हैं जो कच्चा डेटा स्वयं प्रदर्शित नहीं कर सकता। यह बेहतर निर्णय लेने एवं बेहतर भौगोलिक सूचना रिकॉर्ड रखने आदि में मदद करता है। गैप क्षेत्रों और खननपट्टों के ओवरलैपिंग को जीआईएस मैपिंग द्वारा पहचाना जा सकता है। डीएमजीओएमएस में प्रत्येक खननपट्टे की जीआईएस मैपिंग का प्रावधान है। जीआईएस मैपिंग की दृष्टांत छवि यहां दी गई है:



चित्र 15

खननपट्टों की जीआईएस मैपिंग की दृष्टांत छवि

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना की समीक्षा में यह पाया गया कि चयनित कार्यालयों के किसी भी खननपट्टों के लिए जीआईएस मैपिंग नहीं की गई थी। जीआईएस मैपिंग के अभाव में पट्टदारों एवं अन्यों द्वारा की गई अनियमितताओं को इंगित करने वाले आवश्यक सुचना से विभागीय अधिकारी वंचित रहे ।

इसके अलावा, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, खान मंत्रालय ने प्रधान खनिजों में अवैध खनन का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2016 में देश में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) शुरू की थी। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिसम्बर 2016 तक सभी अप्रधान खननपट्टों का डिजिटलीकरण करके अप्रधान खनिजों के लिए एमएसएस लागू करने के लिए भी कहा था। तथापि, विभाग ने अप्रधान खननपट्टों का डिजिटलीकरण नहीं किया था (जुलाई 2021)।

ध्यान में लाने पर सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, इसलिए मैपिंग नहीं की जा सकी। खनि अभियंता सीकर और अलवर ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि जीआईएस मैपिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद, सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि डीएमजीओएमएस को राजधारा[9] के साथ एकीकृत कर दिया गया है और स्वीकृत खननपट्टा क्षेत्रों को राजधारा जीआईएस प्रणाली पर छायांकित किया गया है।

खननपट्टों की जीआईएस मैपिंग की नमूना जांच में पाया गया कि खननपट्टों के ओवरलैपिंग और बीच के गैप क्षेत्रों को इस मॉड्यूल के माध्यम से पहचाना नहीं जा सकता। इस प्रकार, जीआईएस मैपिंग के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकी ।

3.4.5 ई-रवन्ना जारी करना

डीएमजी ने निर्देश दिया (18 अक्टूबर 2017) कि किसी वाहन के लिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए ई-रवन्ना में उल्लिखित अधिकतम समय अवधि पूरी होने तक, उस वाहन के लिए कोई अन्य ई-रवन्ना जारी नहीं किया जा सकेगा। वाहन द्वारा खनिज के प्रत्येक निर्गमन में खनिज की लोडिंग, ई-रवन्ना उत्पन्न करना, तुला पुल पर वाहन की पार्किंग, तुला पुल द्वारा ई-रवन्ना की पुष्टि, गंतव्य पर वाहन का पहुंचना और खनिज की उतराई और खनन स्थल पर वापसी शामिल होता है।

जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले ई-रवन्ना पर उल्लिखित अधिकतम समय अवधि के पूरा होने से पहले ही उसी वाहन के लिये ई-रवन्ना जारी हुए थे। यह इंगित करता है कि डीएमजी द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश की अनुपालना के लिये प्रावधान डीएमजीओएमएस के सॉफ्टवेयर में नहीं किए गए थे। उदाहरणस्वरुप कुछ प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) पहले ई-रवन्ना में गंतव्य की दूरी 15 किलोमीटर होने के बावजूद उसी वाहन के लिए पहला ई-रवन्ना जारी होने के पांच मिनट के भीतर दूसरा ई-रवन्ना जारी किया गया ;

(ii) पहले ई-रवन्ना में गंतव्य की दूरी 10 किलोमीटर होने के बावजूद उसी वाहन के लिए दूसरा ई-रवन्ना पांच मिनट के भीतर जारी किया गया था;

(iii) एक ही वाहन के लिए 80 मिनट के भीतर सात ई-रवन्ना और एक ही वाहन के लिए 15 मिनट के भीतर चार ई-रवन्ना जारी किए गए। अनियमितता दिखाने के लिए दृष्टांत चित्र यहां नीचे दिए गए हैं।

[9] सुशासन, सतत विकास और नागरिक सशक्तिकरण को सक्षम करने और सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राज्य की मानकीकृत जीआईएस संपत्तियों को बनाए रखने के लिए राज्य का एकीकृत जीआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर ।

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 201711080398



चित्र 16: वाहन संख्या RJ32GC3664 के लिए दो ई-रवन्ना पांच मिनट के भीतर जारी किए गए जैसा कि चित्र 16 एवं 17 में दर्शाया गया है।

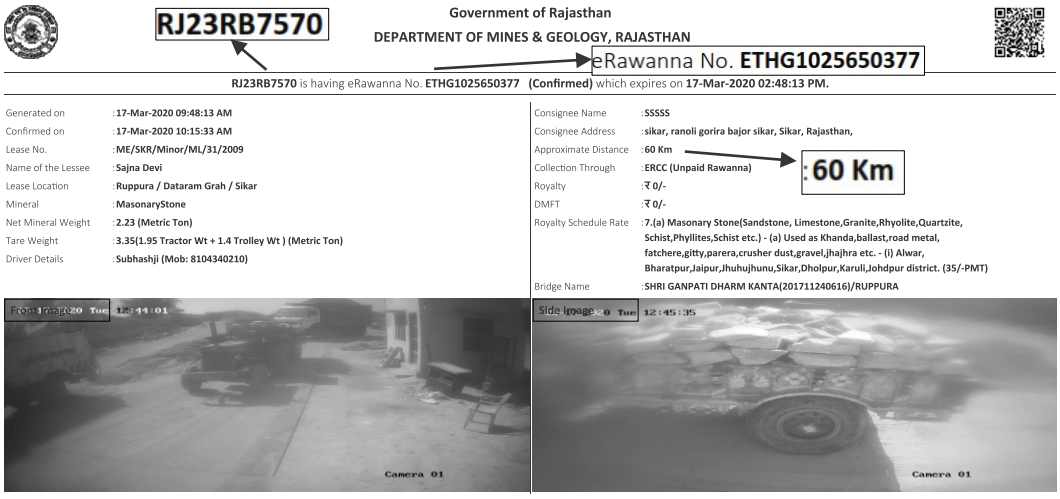


चित्र 17: वाहन संख्या RJ32GC3664 के लिए दो ई-रवन्ना पांच मिनट के भीतर जारी किए गए जैसा कि चित्र 16 एवं 17 में दर्शाया गया है।

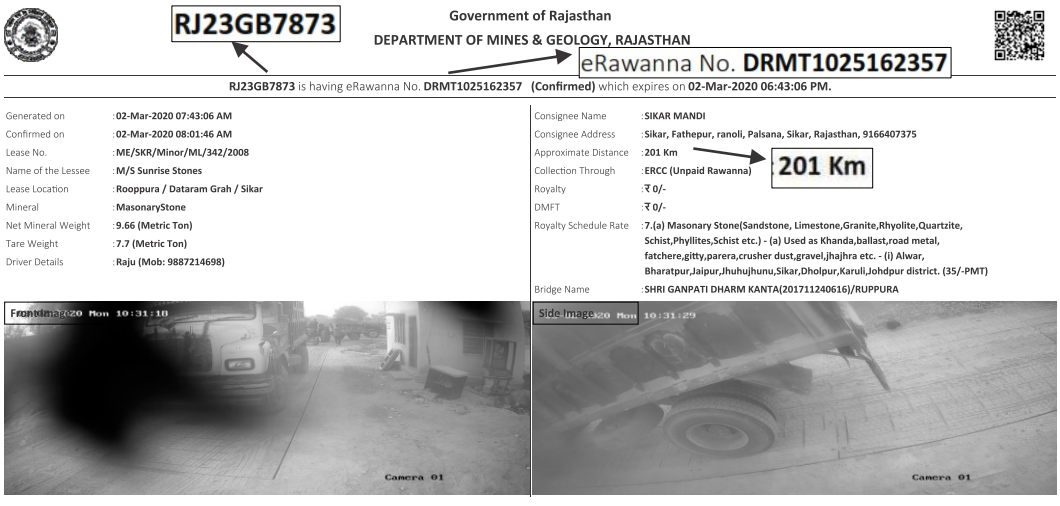
- विभिन्न ई-रवन्नों में सीकर जिले के भीतर के समान क्षेत्रों की दूरी में 60 से 201 किलोमीटर के बीच तक भिन्नता थी। इससे पता चलता है कि ई-रवन्नों में वास्तविक दूरियां नहीं दिखाई गई थीं। ऐसे में, कई बार खनिज वहन के लिए, एक ही ई-रवन्ना के उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

दृष्टांत चित्र नीचे दिए गए हैं:

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 201711240616



चित्र 18: रूपपुरा से रानोली की दूरी 60 किलोमीटर (चित्र 18) दर्शाई गई, जबकि उन्हीं स्थानों के लिए दूरी 201 किलोमीटर (चित्र 19) दर्शाई गई।



चित्र 19: रूपपुरा से रानोली की दूरी 60 किलोमीटर (चित्र 18) दर्शाई गई, जबकि उन्हीं स्थानों के लिए दूरी 201 किलोमीटर (चित्र 19) दर्शाई गई।

त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुईं। लेखापरीक्षा का मत है कि यदि जीआईएस तकनीक का प्रयोग करते हुए ई-रवन्ना में दूरी का उल्लेख किया जाता तो इस अनियमितता से बचा जा सकता था।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि ऐसे प्रकरणों की संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा जांच की गई थी और इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ई-रवन्ना की नमूना जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जो संबंधित कार्यालयों के संज्ञान में नहीं थी।

3.5 वाहनों में जीपीएस उपकरणों को लगाना

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 44 (18) के अनुसार सरकार खनिजों के परिवहन में शामिल वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लगाये जाने की संभावना तलाशेगी।

यह पाया गया कि राज्य सरकार ने इन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लगाने का प्रयास नहीं किया (जुलाई 2021)। इन उपकरणों के अभाव में, रवन्नों के दुरूपयोग यथा खननपट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों से उत्खनित खनिजों के परिवहन अथवा एक रवन्ना का उपयोग कर एक से अधिक बार खनिज का परिवहन इत्यादि के संबंध में वाहनों की निगरानी नहीं की जा सकी।

अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई अच्छी तकनीक

- **वाहनों में जीपीएस उपकरणों का संस्थापन (गोवा राज्य)**

अप्रधान खनिजों के अवैध खनन को रोकने, सरकारी राजस्व का उचित संग्रह, सार्वजनिक सुरक्षा और खनन किए गए अप्रधान खनिज का उचित लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से, गोवा राज्य सरकार ने गोवा राज्य में अप्रधान खनिज परिवहन को विनियमित करने का निर्णय लिया (29 जनवरी 2018)। इसलिए, गोवा राज्य के भीतर अप्रधान खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के मालिकों को 1 अप्रैल 2018 से खनिज की परिवहन गतिविधियों को करने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए जीपीएस उपकरणों की संस्थापन कर ₹ 5,000 के एकमुश्त पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर डीएमजी (गोवा) प्लेटफार्म पर अपने वाहनों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

- **वाहनों पर रेडियो आवृति पहचान (आरएफआईडी) प्रणाली टैग (कर्नाटक राज्य)**

कर्नाटक राज्य ने एकीकृत पट्टा प्रबंधन प्रणाली (आईएलएमएस) की शुरुआत की जिसमें कम मानवीय हस्तक्षेप और इलेक्ट्रॉनिक मोड का अधिक उपयोग शामिल है जिसके परिणामस्वरूप समय की बचत होती है और खनिज की परेशानी मुक्त आवाजाही होती है। मानवीय गलती और दुरप्रवृति से बचने के लिए डीएमजी (कर्नाटक) ने खनिज के व्यवस्थित आवागमन पर नजर रखने व पहुंच के लिए पट्टा परिसर, चेक पोस्ट और क्रेता परिसर में आरएफआईडी प्रणाली की शुरुआत की । चेक पोस्ट पर, यह तेजी से सतर्कता की सुविधा प्रदान करता है और पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है। इसके अलावा, आरएफआईडी प्रणाली टैम्पर्ड प्रुफ है और दुरप्रवृति की संभावना को समाप्त करता है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि विभाग से जीपीएस और आरएफआईडी टैग की अनिवार्य संस्थापन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

3.6 लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक रुप में आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का लाभ नहीं उठाया। लेखापरीक्षा ने अनियमितताएं जैसे खननपट्टों की ओवरलैपिंग और खननपट्टों के बीच के गैप क्षेत्र का आवंटन/नीलामी न करना इत्यादि पाया। संबंधित अधिकारियों द्वारा खानों के अपर्याप्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप इन अनियमितताओं की पहचान नहीं हो सकी।

रिमोट सेंसिंग डेटा एवं जीआईएस तकनीक के उपयोग से, लेखापरीक्षा ने 49 खण्ड कार्यालयों में से चयनित पांच खण्ड कार्यालयों के अन्तर्गत चयनित पांच तहसीलों में स्वीकृत खननपट्टों के 122 प्रकरणों (नमूना-जांचित खननपट्टों का 34 प्रतिशत्) में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान की। अवैध खनन के 83.25 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गयी। लेखापरीक्षा में ऐसे 13 खननपट्टे भी पाये गये जहां खनिज की खुदाई नहीं की गई थी, परन्तु, 22,854 ई-रवन्नों का दुरुपयोग करके 5.20 मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किया गया था। विभागीय अधिकारियों ने पट्टों का सीमांकन इस प्रकार किया कि पट्टों के बीच गैप क्षेत्र थे। इन गैप क्षेत्रों ने अवैध खनन को प्रोत्साहित किया। कुल 30 में से 14 गैप क्षेत्र अर्थात् 46 प्रतिशत में अवैध खनन पाया गया। विभाग ने खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लिकेशन 'डीएमजीओएमएस' की शुरूआत की (10 अक्टूबर 2017)। तथापि, विभाग प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा। डीएमजीओएमएस में संधारित मांग लेखा में *53* प्रकरणों में अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित मांगों (₹ 71.20 करोड़) को नहीं दर्शाया गया था। खननपट्टों से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र/संचालन की सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का निर्गमन पाया गया और अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज के निर्गमन को रोकने के लिए प्रणाली में कोई प्रतिबन्ध जांच की व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार ने नागौर जिले में 43 खननपट्टों के ड्रोन सर्वेक्षण को छोड़कर अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए ऐसी कोई प्रणाली या उपग्रह छवियों के उपयोग की शुरूआत नहीं की।

3.7 सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

1. *अवैध खनन गतिविधियों की पहचान में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग/जीआईएस तकनीक जैसे गूगल अर्थ प्रो के साथ अन्य आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करना;*
2. *खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सभी मौजूदा खननपट्टों का मानचित्रण करना;*
3. *नीलामी नहीं किए गए गैप क्षेत्रों के लिए अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना और गैप क्षेत्रों की नीलामी के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा निर्धारित करना;*
4. *जब भी उत्खनित मात्रा ईसी द्वारा अनुमत्त सीमा को पार करे तो डीएमजीओएमएस प्रणाली में रवन्ना जारी को प्रतिबंधित करने के लिए ऑटो ब्लॉक की व्यवस्था संस्थापित करना, साथ ही अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के लिए राशि की वसूली में तेजी लाना;*
5. *ऑनलाइन मांग और संग्रहण लेखा में मांग को अपलोड करने के बाद ही मांग नोटिस जारी करने के लिए डीएमजीओएमएस में एक प्रणाली संस्थापित करना;*
6. *खनन की अनुमति दिये गये सभी एसटीपी का मानचित्रण करना एवं निर्देशांक को अपलोड करना;*
7. *ई-रवन्ना में प्रेषण के स्थान और गंतव्य के बीच की दूरी को मापने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; और*
8. *वाहनों में जीपीएस संस्थापन और आरएफआईडी प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी अच्छी तकनीक को अपनाना जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा शुरू की गई है और खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान द्वारा प्रस्तावित है।*

अध्याय–IV

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय IV : आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

4.1 ई-रवन्ना और तुला पुल

खान विभाग द्वारा अधिशुल्क के संग्रहण में तुला पुल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज का सही वजन न केवल अधिशुल्क का सही संग्रहण सुनिश्चित करता है बल्कि अवैध रूप से परिवहन किए गए खनिज पर भी एक नियंत्रण प्रदान करता है। तुला पुलों के अनुचित संचालन से विभाग को बृहत् राजस्व हानि हो सकती है। लेखापरीक्षा ने डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध, तुला पुलों द्वारा पुष्टि किए गए ई-रवन्नओं का विश्लेषण किया; परिणामों की चर्चा यहां की गई है।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 60 (8) के अनुसार राज्य में तीसरे पक्ष द्वारा स्थापित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजों को खनिज का वजन करने के लिए निदेशक ऐसी शर्तो पर अधिकृत कर सकेगा जो निर्दिष्ट की जा सकती है। इसके अलावा, उपनियम (9) के प्रावधानानुसार खनन पट्टाधारी अथवा पंजीकृत तुला पुल मालिक, प्राधिकारियों को प्रत्येक तुला पुल की जांच तथा परीक्षण करने की अनुमति प्रदान करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो कि क्या वह सही हैं तथा अच्छी स्थिति में व्यवस्थित हैं और यदि, कोई संदिग्धता पाई जाती है तो तुला पुल मालिक उक्त का निराकरण करेगा।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2017 द्वारा निर्गमित किए जाने वाले खनिज की तौल, रवन्ना जारी करने एवं कन्फर्म करने की प्रक्रिया निर्धारित की थी । महत्वपूर्ण बिन्दु जिनकी पालना की जानी थी, इस प्रकार हैंः

(i) खनन पट्टेधारी को अपने खननपट्टे के निकटतम सूचीबद्ध तुला पुलों का चयन करना होगा एवं विभागीय वेबसाइट पर खननपट्टे से इन तुला पुलों सम्बद्ध करना होगा। किसी अन्य तुला पुल पर जो खननपट्टे से सम्बद्ध नहीं है, खननपट्टे से संबंधित वाहनों का वजन नहीं किया जाएगा और ना ही रवन्ना की पुष्टि की जावेगी ।

(ii) खनन पट्टाधारी विभागीय वेबसाइट या मोबाइल ऐप द्वारा अनकन्फर्म ई-रवन्ना जारी कर सकता है, और किसी भी स्थिति में, अनकन्फर्म ई-रवन्ना और चालक के मोबाइल पर अनकन्फर्म ई-रवन्ना के संदेश के बिना कोई वाहन खननपट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज का परिवहन नहीं कर सकता है।

(iii) खनिज अधिशुल्क हेतु खनन पट्टेधारी के खाते में राशि जमा होने पर ही तुला पुल पर कन्फर्म ई-रवन्ना निर्गत हो पायेगा ।

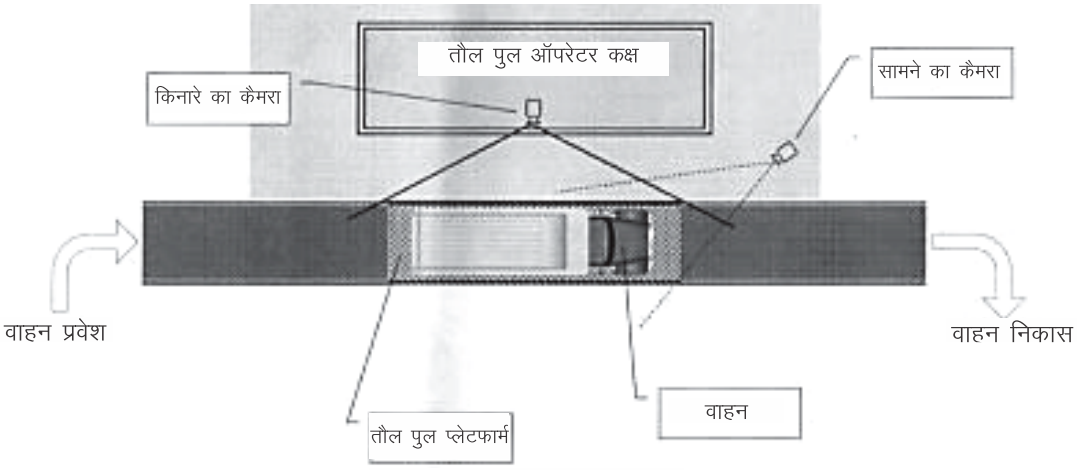
(iv) किसी वाहन के लिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए ई-रवन्ना में उल्लिखित अधिकतम समयावधि के पूरा होने तक, उस वाहन के लिए कोई अन्य ई-रवन्ना जारी नहीं किया जा सकता है।

निदेशक, खान व भूविज्ञान विभाग ने इसके पश्चात् निर्देश जारी किया (5 अक्टूबर एवं 15 अक्टूबर 2018) कि अक्टूबर 2018 तक सूचीबद्ध तुला पुलों पर कैमरों की स्थापना अनिवार्य रुप से की जावे। मुख्य दिशा-निर्देश इस प्रकार थेः

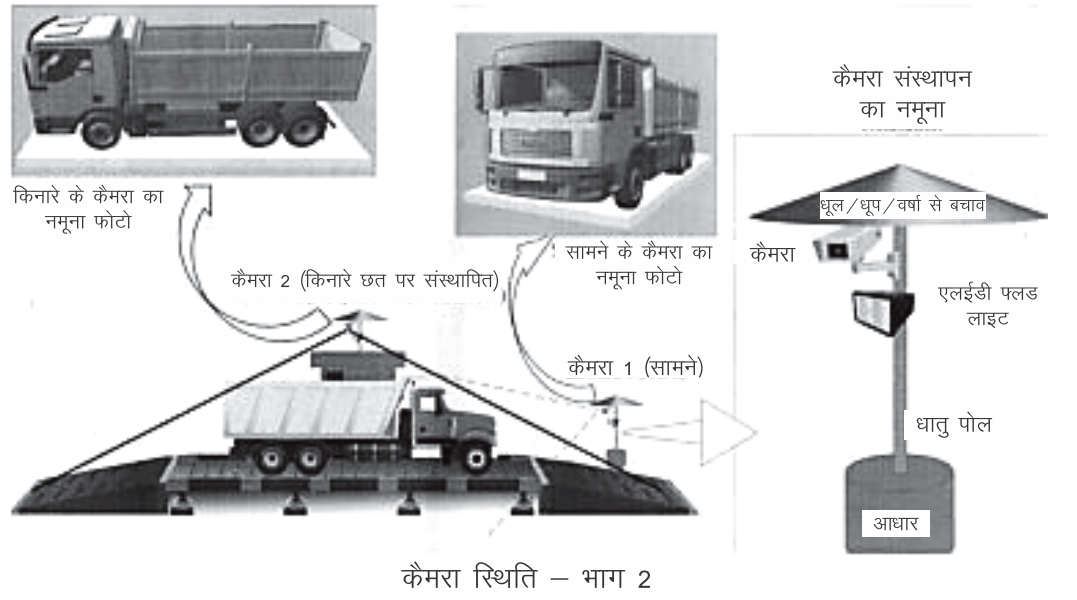
- तुला पुल पर कम से कम दो कैमरा स्थापित किए जाएंगे;
- कैमरा इस प्रकार स्थापित किए जाएंगे कि वाहन और तुला पुल का प्लेटफार्म स्पष्ट रुप से फोटो में दिखाई दे;
- एक कैमरा सामने की तरफ होगा जिससे वाहन के सामने की तस्वीर ली जावेगी जो वाहन के नम्बर प्लेट एवं तुला पुल के प्लेटफार्म को दर्शाएगी और दुसरा कैमरा वाहन के लम्बवत भाग के तरफ इस प्रकार स्थापित होगा कि वाहन की पुरी बाडी, उपरी सतह एवं तुला पुल के प्लेटफार्म को स्पष्ट रुप से दर्शाये;
- सॉफ्टवेयर[1] द्वारा टर्मिनल से वजन लेते समय दोनों कैमरों द्वारा फोटो खींची जाएगी और फोटो लेने के लिए सॉफ्टवेयर में कोई अलग प्रावधान नहीं दिया जाएगा।

ये निर्देश ट्रांजिट पास पर भी लागू थे, जो वैध रवन्ना पर क्रय किए गए खनिजों के प्रेषण के लिए डीलरों/खनिजों के स्टॉकिस्ट और ग्रिट, मार्बल स्लैब आदि के निर्माताओं द्वारा निर्गत किए गए हों।

[1] तुला पुल के मालिकों को विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मों से सॉफ्टवेयर खरीदना था ।



कैमरा स्थिति – भाग 1



कैमरा स्थिति – भाग 2

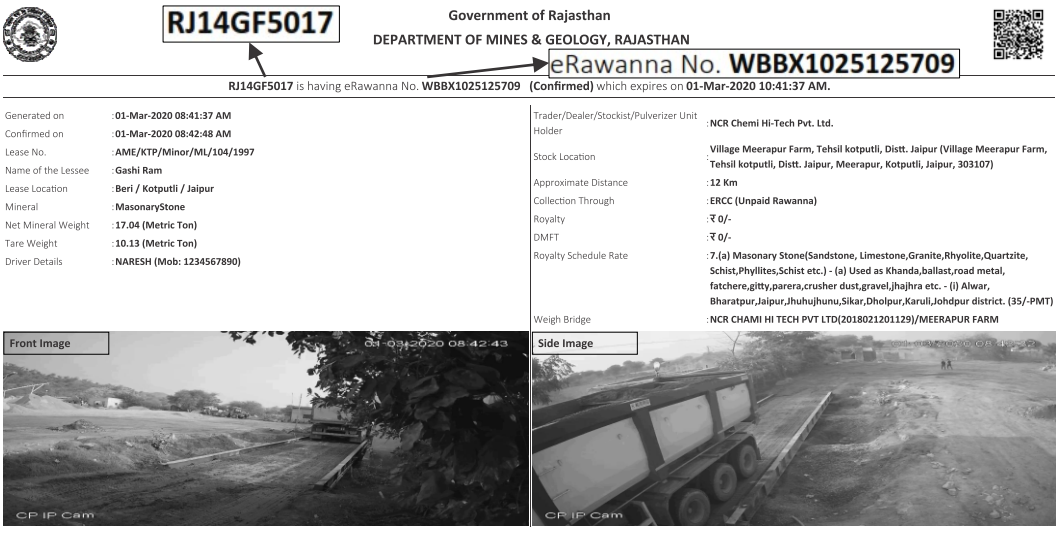
चित्र 1: वाहन की तस्वीर लेने के लिए सीसीटीवी कैमरों की सही स्थिति

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य में 2,781 सक्रिय सूचीबद्ध तुला पुल थे, जिनमें से 365 तुला पुल चयनित खण्ड कार्यालयों में सक्रिय थे। यह पाया गया कि 32 तुला पुल सिर्फ अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों की आवाजाही के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिट पासों की पुष्टि करने में लगे हुए थे। लेखापरीक्षा द्वारा 333 (365-32) तुला पुलों से मार्च 2020 तक प्रत्येक तुला पुल द्वारा सक्रिय रहे अंतिम महीने के दौरान पुष्टि की गई दस रवन्नों[2] की नमूना जांच की ।

[2] लेखापरीक्षा ने प्रत्येक तुला पुल के दस ई-रवन्नों का चयन किया, जिनकी मार्च 2020 के महीने के दौरान पुष्टि की गई थी, हालांकि, यदि किसी तुला पुल ने मार्च 2020 के दौरान किसी भी ई-रवन्ने की पुष्टि नहीं की तो लेखापरीक्षा ने उस तुला पुल द्वारा मार्च 2020 के पिछले कार्य माह से ई-रवन्नों का चयन किया ।

लेखापरीक्षा ने डीएमजीओएमएस में 2,966[3] ई-रवन्नों की समीक्षा की और गंभीर अनियमितताओं को पाया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 333 तुला पुलों में से 215 तुला पुलों पर सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए गए थे कि वाहनों की तस्वीरे स्पष्ट नहीं थीं या दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाती थी। वाहन की पूर्ण और स्पष्ट तस्वीर के अभाव में, लेखापरीक्षा तुला पुल पर स्थित वास्तविक वाहन को सुनिश्चित नहीं कर सका । इसके अलावा, पुष्टिकृत ई-रवन्ना में उल्लेखित खनिज और उसकी मात्रा को भी तस्वीर से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उपर्युक्त टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए, नीचे दो चित्र दिए गए हैं:



RJ14GF5017

Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

eRawanna No. WBBX1025125709

RJ14GF5017 is having eRawanna No. WBBX1025125709 (Confirmed) which expires on 01-Mar-2020 10:41:37 AM.

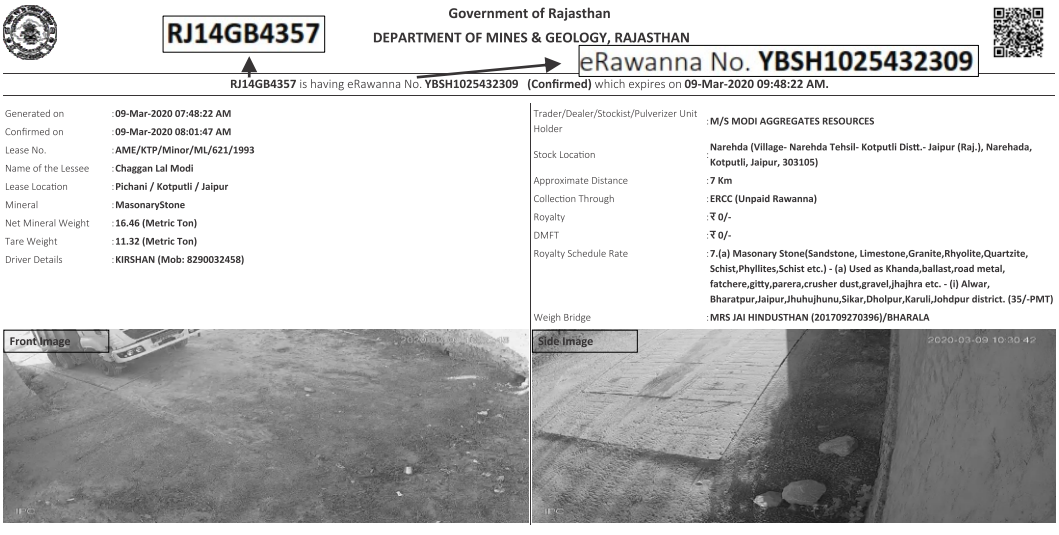
Generated on	:01-Mar-2020 08:41:37 AM
Confirmed on	:01-Mar-2020 08:42:48 AM
Lease No.	:AME/KTP/Minor/ML/104/1997
Name of the Lessee	:Gashi Ram
Lease Location	:Beri / Kotputli / Jaipur
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:17.04 (Metric Ton)
Tare Weight	:10.13 (Metric Ton)
Driver Details	:NARESH (Mob: 1234567890)

Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:NCR Chemi Hi-Tech Pvt. Ltd.
Stock Location	:Village Meerapur Farm, Tehsil kotputli, Distt. Jaipur (Village Meerapur Farm, Tehsil kotputli, Distt. Jaipur, Meerapur, Kotputli, Jaipur, 303107)
Approximate Distance	:12 Km
Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Royalty	:₹ 0/-
DMFT	:₹ 0/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Weigh Bridge	:NCR CHAMI HI TECH PVT LTD(2018021201129)/MEERAPUR FARM

Front Image — 01-03-2020 08:42:43 — CP IP Cam

Side Image — CP IP Cam

चित्र 2: तुला पुल पंजीकरण संख्या: 2018021201129 पर सीसीटीवी कैमरा इस तरह लगे हैं कि वाहन संख्या और खनिज दिखाई नहीं देते।



RJ14GB4357

Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

eRawanna No. YBSH1025432309

RJ14GB4357 is having eRawanna No. YBSH1025432309 (Confirmed) which expires on 09-Mar-2020 09:48:22 AM.

Generated on	:09-Mar-2020 07:48:22 AM
Confirmed on	:09-Mar-2020 08:01:47 AM
Lease No.	:AME/KTP/Minor/ML/621/1993
Name of the Lessee	:Chaggan Lal Modi
Lease Location	:Pichani / Kotputli / Jaipur
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:16.46 (Metric Ton)
Tare Weight	:11.32 (Metric Ton)
Driver Details	:KIRSHAN (Mob: 8290032458)

Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:M/S MODI AGGREGATES RESOURCES
Stock Location	:Narehda (Village- Narehda Tehsil- Kotputli Distt.- Jaipur (Raj.), Narehada, Kotputli, Jaipur, 303105)
Approximate Distance	:7 Km
Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Royalty	:₹ 0/-
DMFT	:₹ 0/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Weigh Bridge	:MRS JAI HINDUSTHAN (201709270396)/BHARALA

Front Image

Side Image — 2020-03-09 10:30:42

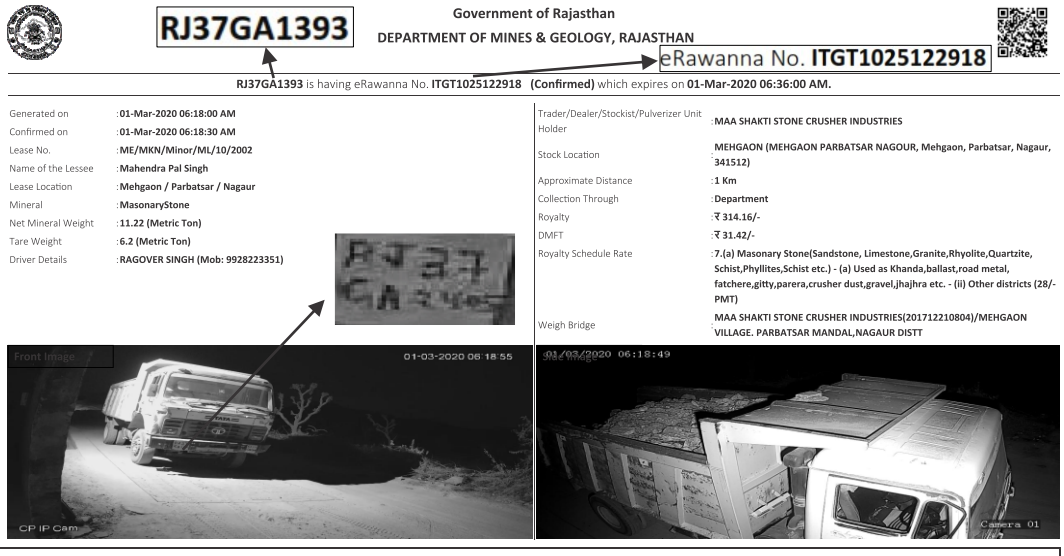
चित्र 3: तुला पुल पंजीकरण संख्या: 201709270396 पर सीसीटीवी कैमरा इस तरह लगे हैं कि वाहन संख्या और खनिज दिखाई नहीं देते।

[3] 56 चयनित तुला पुलों द्वारा केवल 196 ई-रवन्नों की पुष्टि की गई, इसलिए, कुल 2,966 (277 तुला पुलों से 2,770 + 56 तुला पुलों से 196) ई-रवन्नों को जांच के लिए चयनित किया गया ।

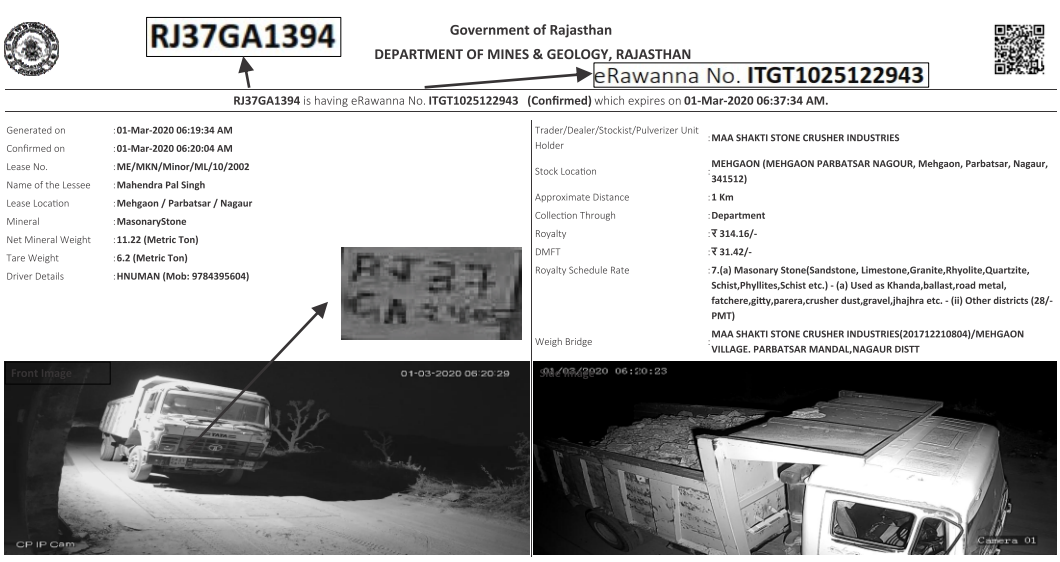
4.1.2 कुल 987 ई-रवन्नों में (नमूना जांच का 33.28 प्रतिशत), लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग ई-रवन्नों की पुष्टि के लिए एक ही वाहन की तस्वीर का दो से दस बार उपयोग किया गया था अर्थात अन्य वाहनों के ई-रवन्नों की पुष्टि के लिए एक ही तस्वीर का उपयोग किया गया था। इससे पता चलता है कि जिन वाहनों के लिए ई-रवन्ना जारी किया गया था, उनका वजन वास्तव में तुला पुलों पर नहीं किया गया था। यह भी इंगित करता है कि डमी वाहनों का उपयोग उन वाहनों के लिए ई-रवन्ना तैयार करने के लिए किया गया था जिनका वजन हुआ ही नहीं था । इस प्रकार, तुला पुलों के मालिक ई-रवन्ना की पुष्टि की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए अन्य हितधारकों अर्थात खनन पट्टेदारों, ट्रांसपोर्टर आदि के साथ मिलीभगत कर रहे थे।

यह स्पष्ट है कि ई-रवन्ना की पुष्टि की प्रक्रिया में हेरफेर करके ई-रवन्ना की पुष्टि की गई थी। कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:

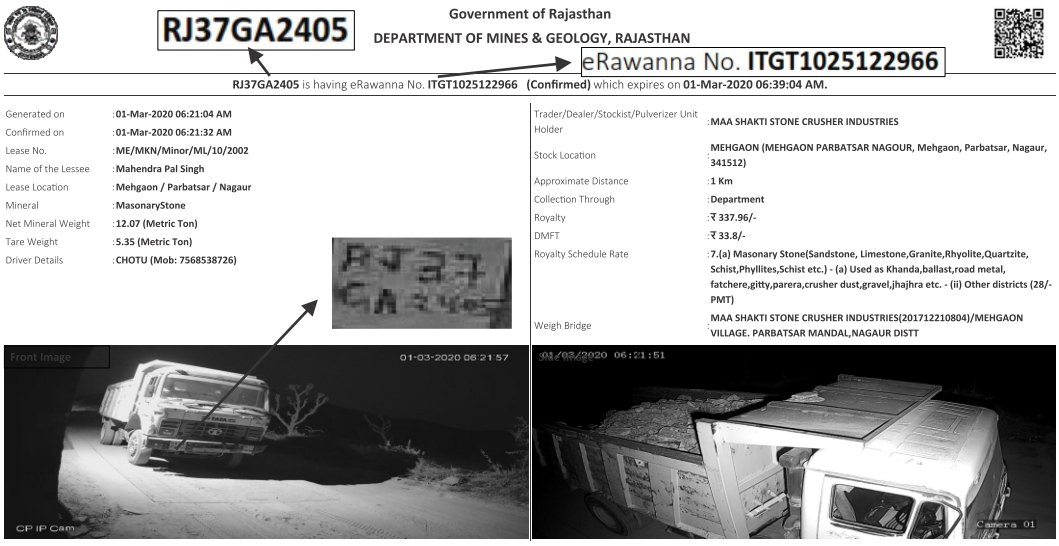
(A) तुला पुल पंजीकरण संख्या: 201712210804 (विभिन्न रवन्नों/वाहनों के लिए एक ही वाहन संख्या RJ37GA2405 का चित्र)



चित्र 4: वाहन संख्या RJ37GA2405 का उपयोग वाहन संख्या RJ37GA1393 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए किया गया था।



चित्र 5: वाहन संख्या RJ37GA2405 का उपयोग फिर से एक अन्य वाहन संख्या RJ37GA1394 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए किया गया था ।



Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

RJ37GA2405

eRawanna No. ITGT1025122966

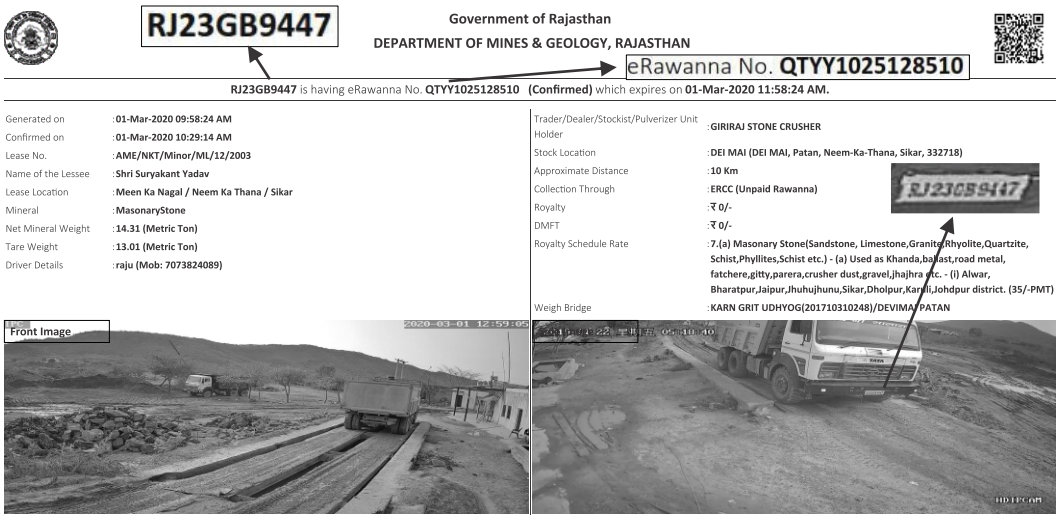
RJ37GA2405 is having eRawanna No. ITGT1025122966 (Confirmed) which expires on 01-Mar-2020 06:39:04 AM.

Generated on	:01-Mar-2020 06:21:04 AM
Confirmed on	:01-Mar-2020 06:21:32 AM
Lease No.	:ME/MKN/Minor/ML/10/2002
Name of the Lessee	:Mahendra Pal Singh
Lease Location	:Mehgaon / Parbatsar / Nagaur
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:12.07 (Metric Ton)
Tare Weight	:5.35 (Metric Ton)
Driver Details	:CHOTU (Mob: 7568538726)

Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:MAA SHAKTI STONE CRUSHER INDUSTRIES
Stock Location	:MEHGAON (MEHGAON PARBATSAR NAGOUR, Mehgaon, Parbatsar, Nagaur, 341512)
Approximate Distance	:1 Km
Collection Through	:Department
Royalty	:₹ 337.96/-
DMFT	:₹ 33.8/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (ii) Other districts (28/-PMT)
Weigh Bridge	:MAA SHAKTI STONE CRUSHER INDUSTRIES(201712210804)/MEHGAON VILLAGE. PARBATSAR MANDAL,NAGAUR DISTT

चित्र 6: वास्तविक वाहन के साथ वास्तविक वाहन संख्या RJ37GA2405 के लिए जारी सही ई-रवन्ना।

(B) तुला पुल पंजीकरण संख्या: 201710310248 (वाहन संख्या से छेड़छाड़)



Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

RJ23GB9447

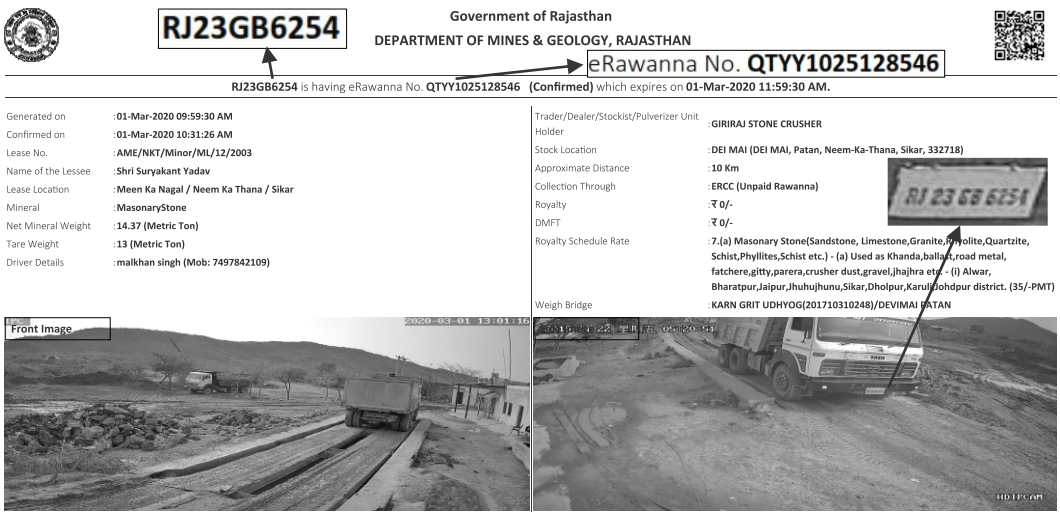
eRawanna No. QTYY1025128510

RJ23GB9447 is having eRawanna No. QTYY1025128510 (Confirmed) which expires on 01-Mar-2020 11:58:24 AM.

Generated on	:01-Mar-2020 09:58:24 AM
Confirmed on	:01-Mar-2020 10:29:14 AM
Lease No.	:AME/NKT/Minor/ML/12/2003
Name of the Lessee	:Shri Suryakant Yadav
Lease Location	:Meen Ka Nagal / Neem Ka Thana / Sikar
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:14.31 (Metric Ton)
Tare Weight	:13.01 (Metric Ton)
Driver Details	:raju (Mob: 7073824089)

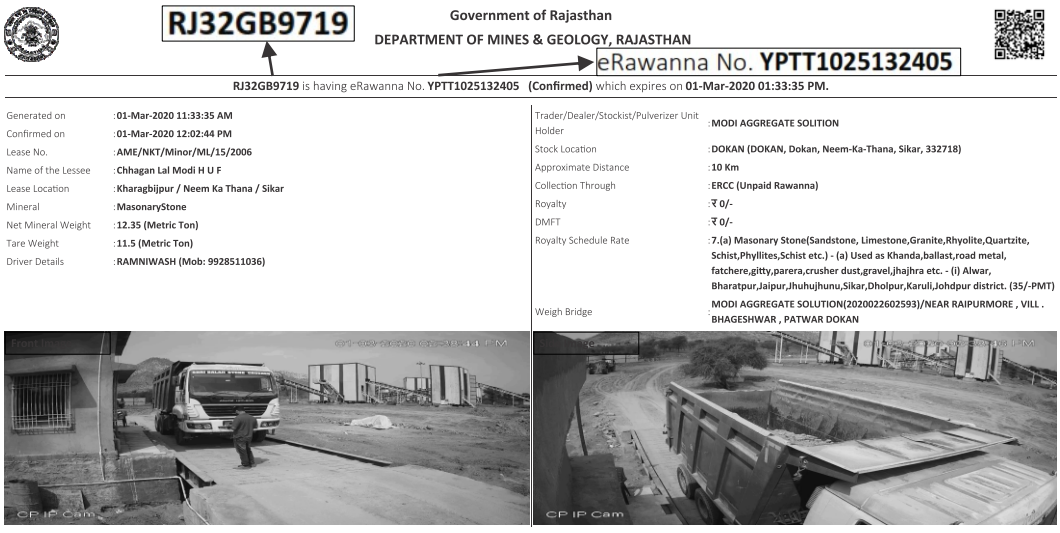
Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:GIRIRAJ STONE CRUSHER
Stock Location	:DEI MAI (DEI MAI, Patan, Neem-Ka-Thana, Sikar, 332718)
Approximate Distance	:10 Km
Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Royalty	:₹ 0/-
DMFT	:₹ 0/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karoli,Johdpur district. (35/-PMT)
Weigh Bridge	:KARN GRIT UDHYOG(201710310248)/DEVIMAI PATAN

चित्र 7: चित्र 7 एवं 8 में दर्शाया गया वाहन समान है, हालांकि, ई-रवन्ना जारी करने के लिए वाहन के नम्बर पट्टिका से छेड़छाड़ की गई थी।

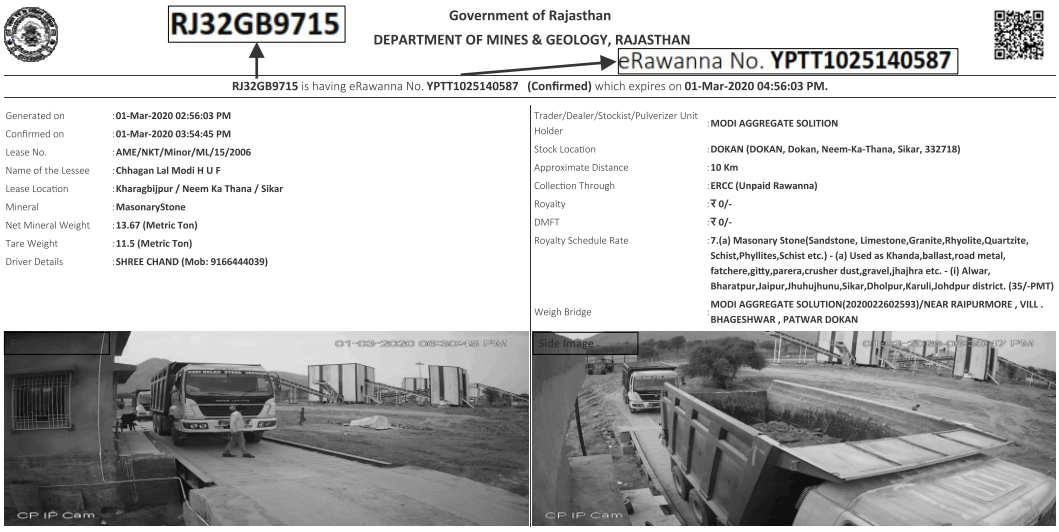


चित्र 8: चित्र 7 एवं 8 में दर्शाया गया वाहन समान है, हालांकि, ई-रवन्ना जारी करने के लिए वाहन के नम्बर पट्टिका से छेड़छाड़ की गई थी।

(C) तुला पुल पंजीकरण संख्या: 2020022602593 (वाहन की नम्बर पट्टिका जानबूझकर एक व्यक्ति द्वारा ढका गया है)



चित्र 9: प्रकरण जहां नम्बर पट्टिका को जानबूझकर व्यक्ति द्वारा ढका गया (चित्र 9 एवं 10)।


RJ32GB9715

Government of Rajasthan

DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

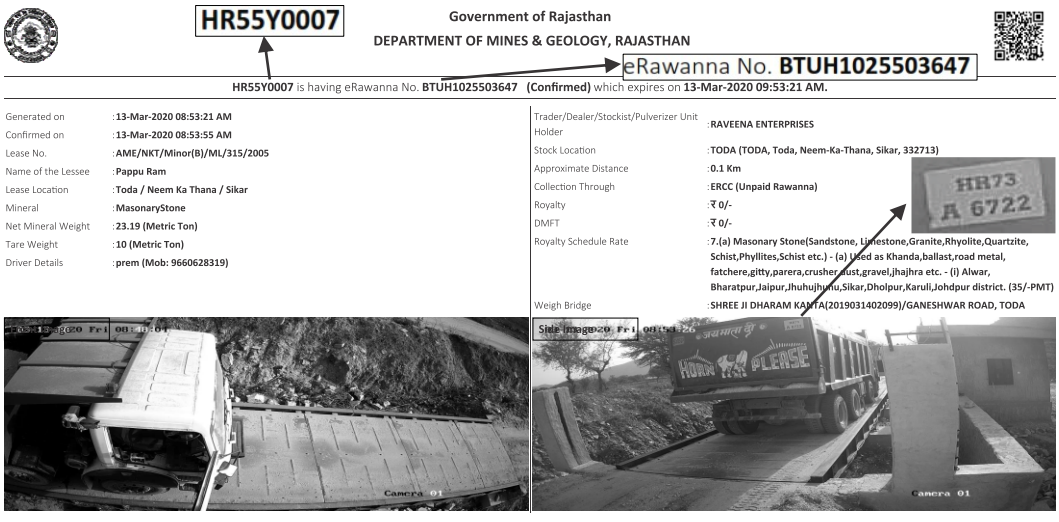
eRawanna No. YPTT1025140587

RJ32GB9715 is having eRawanna No. YPTT1025140587 (Confirmed) which expires on 01-Mar-2020 04:56:03 PM.

Generated on	:01-Mar-2020 02:56:03 PM
Confirmed on	:01-Mar-2020 03:54:45 PM
Lease No.	:AME/NKT/Minor/ML/15/2006
Name of the Lessee	:Chhagan Lal Modi H U F
Lease Location	:Kharagbijpur / Neem Ka Thana / Sikar
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:13.67 (Metric Ton)
Tare Weight	:11.5 (Metric Ton)
Driver Details	:SHREE CHAND (Mob: 9166444039)
Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:MODI AGGREGATE SOLITION
Stock Location	:DOKAN (DOKAN, Dokan, Neem-Ka-Thana, Sikar, 332718)
Approximate Distance	:10 Km
Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Royalty	:₹ 0/-
DMFT	:₹ 0/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Weigh Bridge	MODI AGGREGATE SOLUTION(2020022602593)/NEAR RAIPURMORE , VILL . BHAGESHWAR , PATWAR DOKAN

चित्र 10: प्रकरण जहां नम्बर पट्टिका को जानबूझकर व्यक्ति द्वारा ढका गया (चित्र 9 एवं 10)।

(D) तुला पुल पंजीकरण संख्याः 2019031402099 (पहले रवन्ने के बाद जानबूझकर मिटाई गई नम्बर पट्टिका)


HR55Y0007

Government of Rajasthan

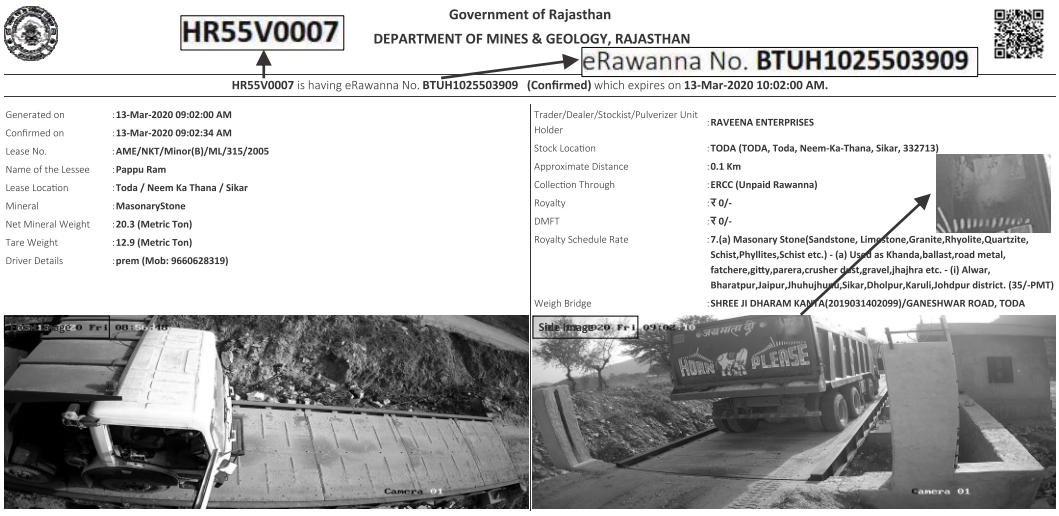
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

eRawanna No. BTUH1025503647

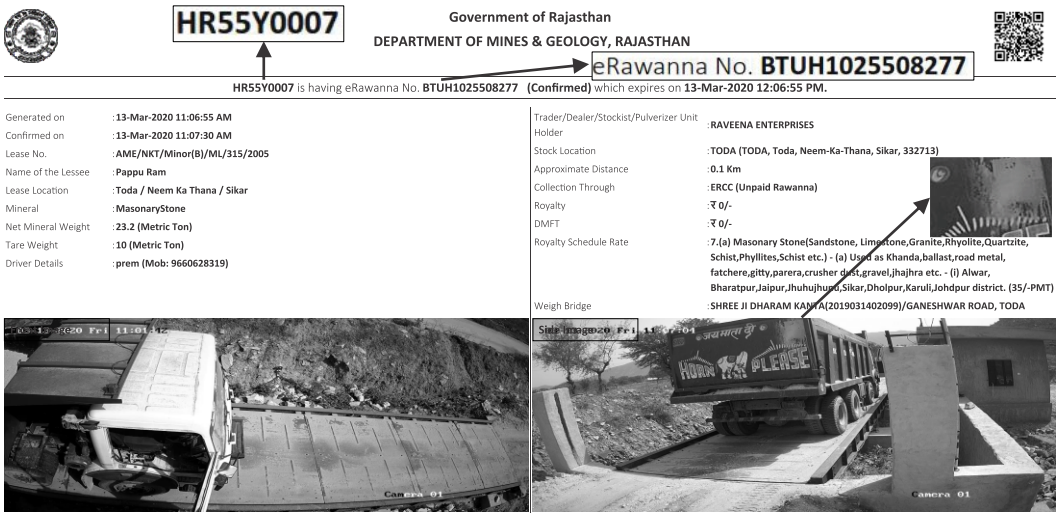
HR55Y0007 is having eRawanna No. BTUH1025503647 (Confirmed) which expires on 13-Mar-2020 09:53:21 AM.

Generated on	:13-Mar-2020 08:53:21 AM
Confirmed on	:13-Mar-2020 08:53:55 AM
Lease No.	:AME/NKT/Minor(B)/ML/315/2005
Name of the Lessee	:Pappu Ram
Lease Location	:Toda / Neem Ka Thana / Sikar
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:23.19 (Metric Ton)
Tare Weight	:10 (Metric Ton)
Driver Details	:prem (Mob: 9660628319)
Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:RAVEENA ENTERPRISES
Stock Location	:TODA (TODA, Toda, Neem-Ka-Thana, Sikar, 332713)
Approximate Distance	:0.1 Km
Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Royalty	:₹ 0/-
DMFT	:₹ 0/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Weigh Bridge	:SHREE JI DHARAM KANTA(2019031402099)/GANESHWAR ROAD, TODA

चित्र 11: वाहन संख्या HR73A6722 का उपयोग वाहन संख्या HR55Y0007 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए किया गया था जैसा कि चित्र 11 में दिखाया गया है उसके बाद, वाहन संख्या HR55V0007 और HR55Y0007 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए नम्बर पट्टिका के लेखन को मिटा दिया गया था जैसा कि चित्र 12 और 13 में दिखाया गया है।



चित्र 12: वाहन संख्या HR73A6722 का उपयोग वाहन संख्या HR55Y0007 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए किया गया था जैसा कि चित्र 11 में दिखाया गया है उसके बाद, वाहन संख्या HR55V0007 और HR55Y0007 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए नम्बर पट्टिका के लेखन को मिटा दिया गया था जैसा कि चित्र 12 और 13 में दिखाया गया है।

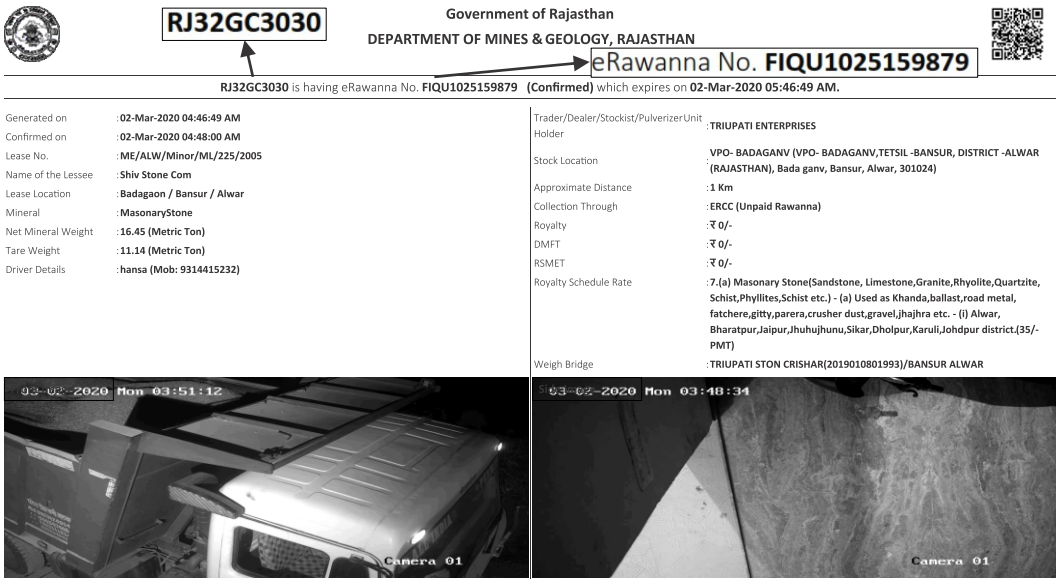


चित्र 13: वाहन संख्या HR73A6722 का उपयोग वाहन संख्या HR55Y0007 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए किया गया था जैसा कि चित्र 11 में दिखाया गया है उसके बाद, वाहन संख्या HR55V0007 और HR55Y0007 के ई-रवन्ना जारी करने के लिए नम्बर पट्टिका के लेखन को मिटा दिया गया था जैसा कि चित्र 12 और 13 में दिखाया गया है।

4.1.3 लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 1,571 ई-रवन्नों (चयनित ई-रवन्ना का 52.97 प्रतिशत) में वाहनों की नम्बर पट्टिका दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए, यह सुनिश्चित नहीं

किया जा सका कि जिस वाहन के लिए ई-रवन्ना जारी किया गया था वह वास्तव में तुला पुल पर आए थे। एक उदाहरण चित्र नीचे दिया गया है:

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 2019010801993



चित्र 14: वाहन का फोटो इस प्रकार लिया गया कि वाहन की नम्बर पट्टिका नहीं देखी जा सकती।

4.1.4 लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 154 ई-रवन्नों (चयनित ई-रवन्नों का 5.19 प्रतिशत) में, जिन वाहनों के लिए रवन्नों की पुष्टि की गई थी, उनके वाहन संख्या तुला पुलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से लिए गए फोटो में दर्शित नम्बर पट्टिका से भिन्न थे। यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर ई-रवन्नों की पुष्टि की गई थी। ऐसे में खनिज के अवैध परिवहन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त निष्कर्ष इंगित करते हैं कि विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों से ई-रवन्नों में हेराफेरी की जांच की जा सकती थी लेकिन इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी ।

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 2018051801532

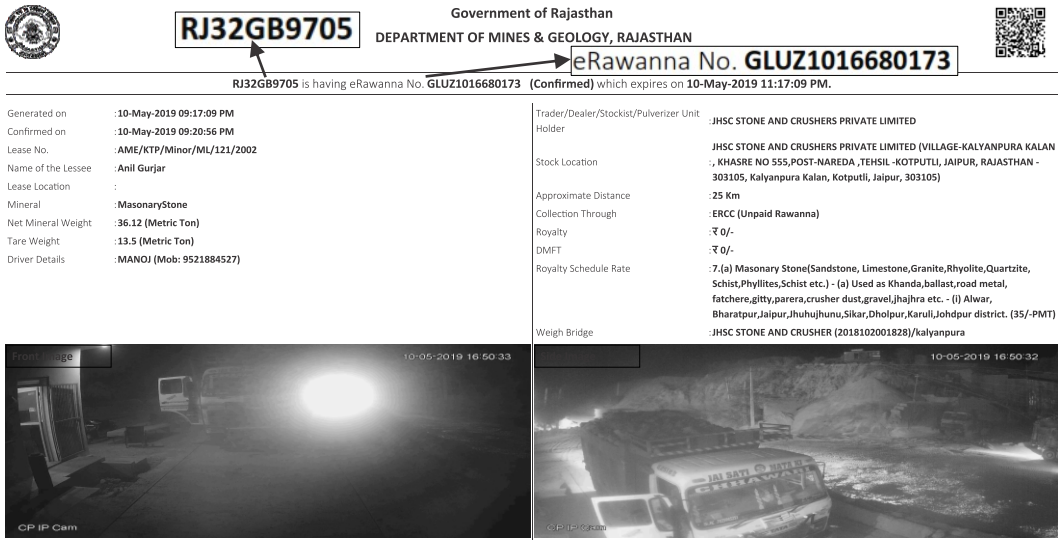


चित्र 15: वाहन संख्या HR55AF0048 का उपयोग वाहन संख्या HR38AA5174 के लिए ई-रवन्ना की पुष्टि के लिए किया गया था।

4.1.5 लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 42 ई-रवन्नों (चयनित ई-रवन्नों का 1.42 प्रतिशत) में, रवन्नों में समान वाहन संख्या उल्लिखित थे परन्तु तस्वीरों में उसी वाहन संख्या के लिए अलग-अलग वाहन देखे जा सकते हैं। ये ई-रवन्ना 14 वाहनों (दो या दो से अधिक ई-रवन्नों एक वाहन संख्या के लिए) के लिए निर्गत किए गए थे। तुला पुलों पर ई-रवन्ना की पुष्टि के समय, सीसीटीवी द्वारा ली गई तस्वीरें दर्शाती हैं कि हर बार एक ही वाहन संख्या के लिए वाहन समान नहीं थे। यह इंगित करता है कि या तो खनन पट्टेदार या ट्रांसपोटर या दोनों कदाचार में लिप्त थे।

इस प्रकार, अधिशुल्क की अपवंचना को रोकने के लिए ई-रवन्ना की पुष्टि के लिए लागू की गई प्रक्रिया अप्रभावी थी।

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 2018102001828


Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN
RJ32GB9705
eRawanna No. GLUZ1016680173
RJ32GB9705 is having eRawanna No. GLUZ1016680173 (Confirmed) which expires on 10-May-2019 11:17:09 PM.

Generated on	:10-May-2019 09:17:09 PM	Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:JHSC STONE AND CRUSHERS PRIVATE LIMITED
Confirmed on	:10-May-2019 09:20:56 PM	Stock Location	:JHSC STONE AND CRUSHERS PRIVATE LIMITED (VILLAGE-KALYANPURA KALAN , KHASRE NO 555,POST-NAREDA ,TEHSIL -KOTPUTLI, JAIPUR, RAJASTHAN - 303105, Kalyanpura Kalan, Kotputli, Jaipur, 303105)
Lease No.	:AME/KTP/Minor/ML/121/2002	Approximate Distance	:25 Km
Name of the Lessee	:Anil Gurjar	Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Lease Location	:	Royalty	:₹ 0/-
Mineral	:MasonaryStone	DMFT	:₹ 0/-
Net Mineral Weight	:36.12 (Metric Ton)	Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Tare Weight	:13.5 (Metric Ton)	Weigh Bridge	:JHSC STONE AND CRUSHER (2018102001828)/kalyanpura
Driver Details	:MANOJ (Mob: 9521884527)		

Front Image 10-05-2019 16:50:33 CP IP Cam
Side Image 10-05-2019 16:50:32 CP IP Cam

चित्र 16: चित्र 16 एवं 17 के ई-रवन्ना में वाहन संख्या दिखाई नहीं दे रही थी, हालांकि, यह देखा जा सकता है कि एक ही वाहन संख्या RJ32GB9705 के लिए ई-रवन्ना की पुष्टि के लिए अलग वाहनों का उपयोग किया गया था।


Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN
RJ32GB9705
eRawanna No. GLUZ1016705892
RJ32GB9705 is having eRawanna No. GLUZ1016705892 (Confirmed) which expires on 11-May-2019 08:18:09 PM.

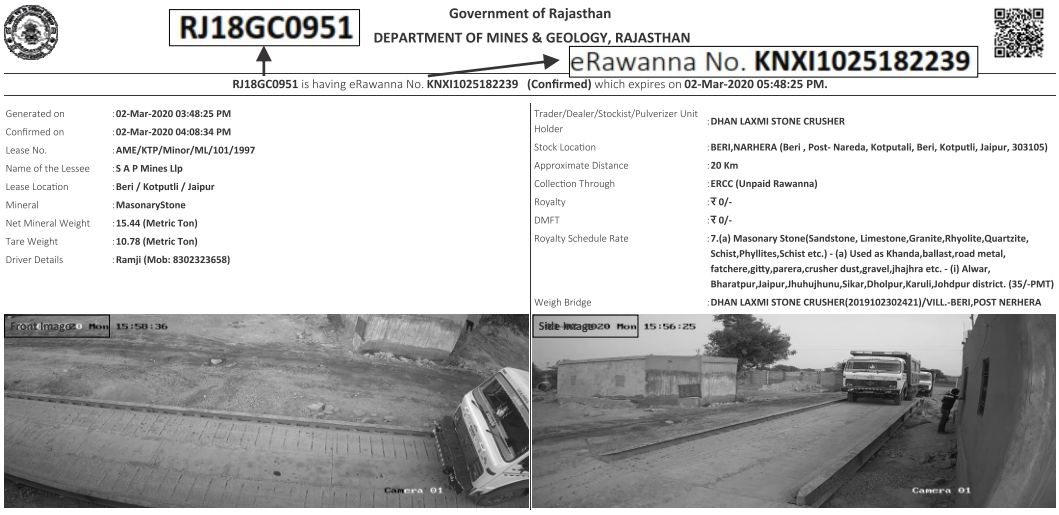
Generated on	:11-May-2019 06:18:09 PM	Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:JHSC STONE AND CRUSHERS PRIVATE LIMITED
Confirmed on	:11-May-2019 06:19:23 PM	Stock Location	:JHSC STONE AND CRUSHERS PRIVATE LIMITED (VILLAGE-KALYANPURA KALAN , KHASRE NO 555,POST-NAREDA ,TEHSIL -KOTPUTLI, JAIPUR, RAJASTHAN - 303105, Kalyanpura Kalan, Kotputli, Jaipur, 303105)
Lease No.	:AME/KTP/Minor/ML/121/2002	Approximate Distance	:25 Km
Name of the Lessee	:Anil Gurjar	Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Lease Location	:	Royalty	:₹ 0/-
Mineral	:MasonaryStone	DMFT	:₹ 0/-
Net Mineral Weight	:12.55 (Metric Ton)	Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Tare Weight	:13.5 (Metric Ton)	Weigh Bridge	:JHSC STONE AND CRUSHER (2018102001828)/kalyanpura
Driver Details	:MANOJ (Mob: 9521884527)		

Front Image CP IP Cam
Side Image CP IP Cam

चित्र 17: चित्र 16 एवं 17 के ई-रवन्ना में वाहन संख्या दिखाई नहीं दे रही थी, हालांकि, यह देखा जा सकता है कि एक ही वाहन संख्या RJ32GB9705 के लिए ई-रवन्ना की पुष्टि के लिए अलग वाहनों का उपयोग किया गया था।

4.1.6 सहायक खनि अभियंता कोटपूतली के क्षेत्राधीन में एक तुला पुल पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-रवन्ना की पुष्टि तुला पुल पर वाहन खड़े किये बिना ही की गई थी। यह इंगित करता है कि तुला पुल में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर तुला पुल संचालक द्वारा हेराफेरी को रोकने में सक्षम नहीं था। दृष्टांत तस्वीर यहां दी गई है:

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 2019102302421



Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

RJ18GC0951

eRawanna No. KNXI1025182239

RJ18GC0951 is having eRawanna No. KNXI1025182239 (Confirmed) which expires on 02-Mar-2020 05:48:25 PM.

Generated on	:02-Mar-2020 03:48:25 PM
Confirmed on	:02-Mar-2020 04:08:34 PM
Lease No.	:AME/KTP/Minor/ML/101/1997
Name of the Lessee	:S A P Mines Llp
Lease Location	:Beri / Kotputli / Jaipur
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:15.44 (Metric Ton)
Tare Weight	:10.78 (Metric Ton)
Driver Details	:Ramji (Mob: 8302323658)

Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:DHAN LAXMI STONE CRUSHER
Stock Location	:BERI,NARHERA (Beri , Post- Nareda, Kotputali, Beri, Kotputli, Jaipur, 303105)
Approximate Distance	:20 Km
Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Royalty	:₹ 0/-
DMFT	:₹ 0/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Weigh Bridge	:DHAN LAXMI STONE CRUSHER(20191023024 21)/VILL.-BERI,POST NERHERA

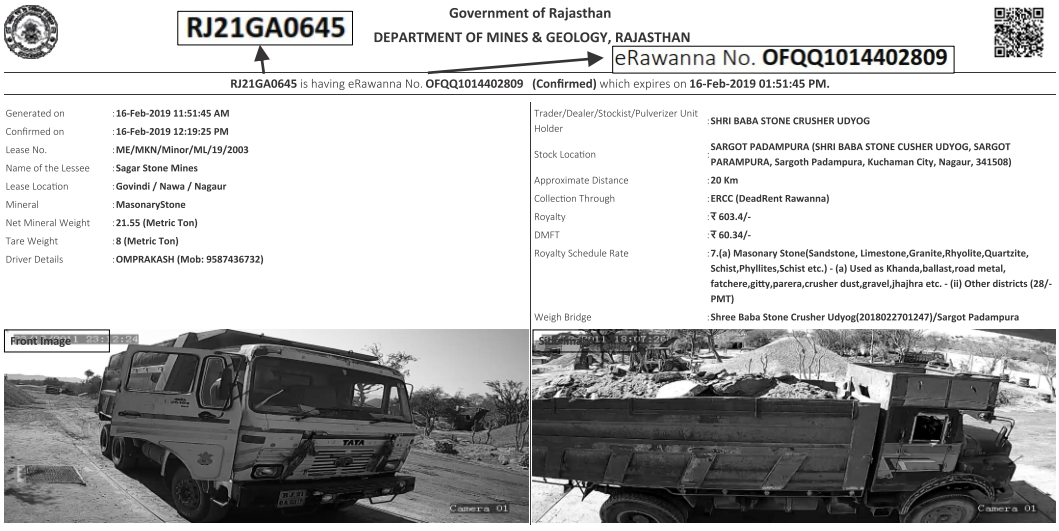
Front Image 20 Mon 15:58:36 — Camera 01

Side Image 20 Mon 15:56:25 — Camera 01

चित्र 18: तुला पुल पर बिना वाहन खड़ा किए ई-रवन्ना की पुष्टि हुई।

- खनि अभियंता मकराना के क्षेत्राधीन एक अन्य मामले में, यह पाया गया कि एक ई-रवन्ना में सामने और किनारे के चित्र में अलग-अलग दो वाहनों के चित्र दर्शाये गए थे। यह इंगित करता है कि तुला पुल पर स्थापित कैमरों के साथ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को ठीक से समन्वित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वाहन के चित्रों में हेरफेर करके ई-रवन्नों की पुष्टि की गई। उदाहरणार्थ तस्वीर यहां दी गई है:

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 2018022701247



Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

RJ21GA0645

eRawanna No. OFQQ1014402809

RJ21GA0645 is having eRawanna No. OFQQ1014402809 (Confirmed) which expires on 16-Feb-2019 01:51:45 PM.

Generated on	:16-Feb-2019 11:51:45 AM
Confirmed on	:16-Feb-2019 12:19:25 PM
Lease No.	:ME/MKN/Minor/ML/19/2003
Name of the Lessee	:Sagar Stone Mines
Lease Location	:Govindi / Nawa / Nagaur
Mineral	:MasonaryStone
Net Mineral Weight	:21.55 (Metric Ton)
Tare Weight	:8 (Metric Ton)
Driver Details	:OMPRAKASH (Mob: 9587436732)

Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	:SHRI BABA STONE CRUSHER UDYOG
Stock Location	:SARGOT PADAMPURA (SHRI BABA STONE CUSHER UDYOG, SARGOT PARAMPURA, Sargoth Padampura, Kuchaman City, Nagaur, 341508)
Approximate Distance	:20 Km
Collection Through	:ERCC (DeadRent Rawanna)
Royalty	:₹ 603.4/-
DMFT	:₹ 60.34/-
Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (ii) Other districts (28/-PMT)
Weigh Bridge	:Shree Baba Stone Crusher Udyog(2018022701247)/Sargot Padampura

Front Image — Camera 01

Side Image — Camera 01

चित्र 19: सामने एवं किनारे के चित्र के लिए अलग-अलग वाहन दिखाए गए।

पैराग्राफ 4.1.1 से 4.1.6 के संबंध में सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि तुला पुलों की जांच के लिए ऑनलाइन प्रणाली में 'वेब्रिज ई-रवन्ना व्यूअर' नामक एक नया मॉड्यूल बनाया गया है। इसके अलावा, विभाग की ऑनलाइन प्रणाली को उन्नत किया जा रहा है ताकि प्रभावी निगरानी

के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा सके। विभाग ने यह भी सूचित किया कि संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय आपत्ति किये गये प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

4.1.7 डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना से पता चला कि चयनित पांच खण्ड कार्यालयों में 3.08 करोड़ मीट्रिक टन खनिज के निर्गमन के लिए 8.27 लाख ट्रांजिट पास[4] निर्गत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने डीएमजीओएमएस पर पुष्टि किए गए ट्रांजिट पासों का विश्लेषण किया और पाया कि वाहनों के फोटो ट्रांजिट पास के साथ संलग्न नहीं थे। इसलिए, लेखापरीक्षा ट्रांजिट पासों की पुष्टि प्रक्रिया की समीक्षा नहीं कर सका। ट्रांजिट पास की पुष्टि की प्रक्रिया ई-रवन्नों की तरह ही थी। लेखापरीक्षा का मत है कि, ऐसी स्थिति में, ट्रांजिट पास की पुष्टि में हेराफेरी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

***तुला पुल पंजीकरण संख्या* : 201710300229 (ट्रांजिट पास में वाहन की तस्वीर का अभाव)**

RJ07GC5628

Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINING & GEOLOGY, RAJASTHAN

Transit Pass No. **FRDX1007748404**

RJ07GC5628 is having Transit Pass No. **FRDX1007748404 (Confirmed)** which expires on **01-Mar-2020 05:02:48 PM**

Generated on	: 01-Mar-2020 12:02:48 AM	Consignee Name	: GR INFRAPROJECT LTD
Confirmed on	: 01-Mar-2020 12:04:54 AM	Consignee Address	: GARSANA, GARSANA, BIKANER, BIKANER, Bikaner, Rajasthan,
Name of the Trader/Dealer/Stockist/Pulverizer Unit Holder	: SHRI OM MINERALS CO.	Approximate Distance	: 350
Location	: KOTRI LUHARWAS(Kotri Luharwas/Khandela/Sikar)	Bridge Name	: SHREE OM MINERALS COMPANY(201710300229)/BHAIRA MAY LUHARWAS
Mineral	: MasonaryStone (Gitti)		
Net Mineral Weight	: 31.08 MT		
Tare Weight	: 14 MT		
Driver Details	: Vikram(Mob No : 9782327050)		

Please scan the QR code or visit http://mines.rajasthan.gov.in/(http://mines.rajasthan.gov.in/)to check online eTransit Pass.

चित्र 20: ट्रांजिट पास में वाहन की तस्वीर नहीं दिखाई गई

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि ई-वॉल्ट[5] में स्थान की समस्या के कारण वाहनों के तस्वीरों को ट्रांजिट पास में नहीं दर्शाया गया था, हालांकि, अब उन्हें दर्शाया गया है।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य ही विफल हो गया था और ई-ट्रांजिट पासों की पुष्टि में अनियमितताओं की जांच नहीं की जा सकी ।

4.1.8 तुला पुलों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सॉफ्टवेयर पर विभाग का नियंत्रण

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चयनित खण्ड कार्यालयों के सूचीबद्ध तुला पुल मालिकों ने ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास की पुष्टि के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित 11 फर्मों द्वारा

[4] आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 2(lvii) के अनुसार, ट्रांजिट पास का अर्थ एक पास से है जिसमें खनन पट्टेदार, स्टॉकिस्ट, व्यापारी, डीलर आदि को अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिज के वैध परिवहन के लिए विभाग द्वारा विधिवत या ऑनलाइन जारी ई-ट्रांजिट पास शामिल है ।

[5] ई-वॉल्टः बैकअप टेप या डिस्क के भौतिक शिपमेंट के विपरीत, बैकअप साइट पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डेटा के हस्तानांतरण का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है ।

प्रदान किये गये सॉफ्टवेयर संस्थापित किये । निदेशक ने सूचीबद्ध तुला पुल मालिकों को किसी भी अनुमोदित फर्म से सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना/प्रतिवेदनों तथा चयनित खण्ड कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा से पाया गया कि सूचीबद्ध तुला पुलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं था, इस प्रकार सॉफ्टवेयर में हेराफेरी की संभावना थी। इसलिए, विभाग निवारक उपायों के माध्यम से, समीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं जैसा कि पैराग्राफ संख्या 4.1.1 से 4.1.7 में चर्चा की गई है, को नियंत्रित नहीं कर सका ।

गोवा सरकार द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रणाली

खान और भूविज्ञान विभाग, गोवा ने एक सॉफ्टवेयर[6] विकसित किया और तुला पुलों के लिए इस सॉफ्टवेयर को संस्थापित करना अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष से पूर्व तुला पुल का मापांकन भी अनिवार्य कर दिया गया था। इस प्रकार, किसी भी खराबी या हेरफेर को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर पर विभाग का समग्र नियंत्रण था।

4.1.9 माप विज्ञान (नाप और तौल) संभाग द्वारा तुला पुलों का प्रमाणन

सभी तुला पुलों के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग के माप विज्ञान (नाप और तौल) प्रभाग द्वारा तुला पुलों का प्रमाणन आवश्यक और अनिवार्य है। विभाग ने विलम्ब से (5 अगस्त 2020) सभी तुला पुल मालिकों को निर्देश जारी किया कि वे अपने तुला पुलों को माप विज्ञान प्रभाग द्वारा प्रमाणन करवाएं। परन्तु, निर्देशों की अनुपालना की निगरानी नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डीएमजीओएमएस ने माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रमाणीकरण की स्थिति दर्शाने के लिए कॉलम उपलब्ध नहीं कराया था।

मामला अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर के संज्ञान में लाया गया। जवाब में कहा गया (5 अप्रैल 2021) कि निदेशक द्वारा अनुपालना का समय अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अधीक्षण खनि अभियन्ता का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सभी तुला पुल मालिकों के लिए माप विज्ञान संभाग द्वारा अपने तुला पुल को प्रमाणित करना अनिवार्य है और इसलिए इसे निर्धारित समय के भीतर करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, प्रमाणीकरण में देरी से वजन में हेरफेर को सकता है, जिससे राजकोष को नुकसान हो सकता है।

अवैध खनन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध जानबूझकर निष्क्रियता

चयनित खण्ड कार्यालयों एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि विभाग ने दोषी तुला पुलों, ट्रांसपोर्टस एवं खनन पट्टेदारों के विरूद्ध जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की थी। दो प्रकरणों में किया गया विश्लेषण नीचे दिया गया है:

प्रकरण अध्ययन – 1

सहायक खनि अभियंता कोटपूतली ने अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर को सूचित किया (31 जनवरी 2020) कि जांच (30 जनवरी 2020) के दौरान चेजा पत्थर से भरे एक वाहन (आरजे

[6] स्रोतः गोवा राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर श्री पवन कुमार सेन (आईएएस) सचिव (खान) गोवा सरकार द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त प्रस्तुति ।

40 जीए 2612) की जांच की गई। इसे तौलने पर पाया गया कि खनिज का वास्तविक वजन 35.09 मीट्रिक टन था जबकि पुष्टि किए गए ई-रवन्ना में उल्लेखित वजन 21.06 मीट्रिक टन था। खनिज का लदान खननपट्टा संख्या 123/2002 से किया गया था। इस प्रकार 14.03 मीट्रिक टन खनिज, ई-रवन्ना में वर्णित मात्रा से अधिक पाया गया। यह भी सूचित किया गया कि खनन पट्टेदार, तुला पुल मालिक एवं वाहन चालक के बीच मिलीभगत थी। सहायक खनि अभियंता ने अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर से खनन पट्टेदार की ई-रवन्ना जारी करने पर रोक लगाने एवं तुला पुल को निष्क्रिय करने और वाहन को ब्लैक-लिस्ट करने का अनुरोध किया।

साथ ही, सहायक खनि अभियंता ने इस संबंध में खनन पट्टाधारक व तुला पुल मालिक को नोटिस जारी किये। अपने उत्तर में दोनों ने सूचित किया कि वे इस मामले में शामिल नहीं थे क्योंकि खनन पट्टेदार द्वारा खनिज का अधिक लदान नहीं किया गया था और ई-रवन्ना की पुष्टि के समय वाहन ओवरलोड नहीं था। खनि कार्यदेशक ने मामले की जांच पडताल की और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि वाहन चालक इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार था क्योंकि उसने खनन पट्टेदार के संज्ञान में लाए बिना अतिरिक्त खनिज भर लिया था। प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया गया कि खनन पट्टेधारक को निर्देश जारी किया जाए कि वह चालक को अन्यत्र से खनिज न भरने के लिए निर्देश देवे अन्यथा यह पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए सहायक खनि अभियंता ने अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर को तुला पुल को सक्रिय करने की सिफारिश की (20 जुलाई 2020)। तदनुसार उसी दिन तुला पुल को सक्रिय कर दिया गया।

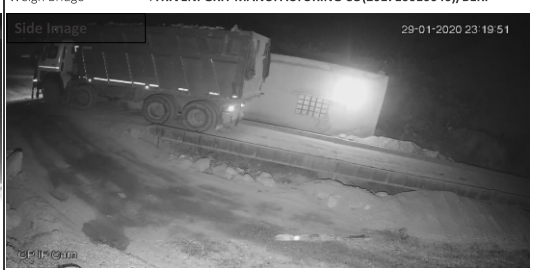
RJ40GA2612

Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN
eRawanna No. **LKLW1023989884**

RJ40GA2612 is having eRawanna No. **LKLW1023989884** **(Confirmed)** which expires on **30-Jan-2020 12:46:25 PM.**

Generated on	:**30-Jan-2020 03:46:25 AM**	Consignee Name	:**FARIDABAD**
Confirmed on	:**30-Jan-2020 03:49:34 AM**	Consignee Address	:**faridabad, Faridabad, Haryana,**
Lease No.	:**AME/KTP/Minor/ML/123/2002**	Approximate Distance	:**200 Km**
Name of the Lessee	:**Radheshyam Arya**	Collection Through	:**ERCC (Unpaid Rawanna)**
Lease Location	:**Beri / Kotputli / Jaipur**	Royalty	:**₹ 0/-**
Mineral	:**MasonaryStone**	DMFT	:**₹ 0/-**
Net Mineral Weight	:**21.06 (Metric Ton)**	RSMET	:**₹ 0/-**
Tare Weight	:**13.11 (Metric Ton)**	Royalty Schedule Rate	:**7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)**
Driver Details	:**KAYUB (Mob: 9672405768)**	Weigh Bridge	:**TRIVENI GRIT MANUFACTURING CO(201710010646)/BERI**





चित्र 21: ई-रवन्ना की पुष्टि के समय तुला पुल के प्लेटफॉर्म पर वाहन खड़ा नहीं किया गया था, इसलिए सही वजन नहीं लिया जा सका।



चित्र 22: चित्र 21 और चित्र 22 में वाहन के नजदीकी तस्वीर से पता चलता है कि खनिज वाहन के शीर्ष तक भरे गए थे। ऐसी स्थिति में, 14.5 मीट्रिक टन खनिज का अतिरिक्त लदान संभव नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जांच प्रतिवेदन, ई-रवन्ना की तस्वीरों को नजरंदाज करते हुए खनन पट्टेदार एवं तुला पुल मालिक को अनुचित लाभ प्रदान करने के इरादे से तैयार की गई थी।

उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 30 जनवरी 2020 को इस तुला पुल द्वारा पुष्टि किए गए सभी 33 रवन्नों की समीक्षा की। समीक्षा में निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए:

- सीसीटीवी कैमरे निदेशक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नहीं लगाए गए थे।
- तुला पुल के प्लेटफॉर्म पर वाहनों को आंशिक रूप से खड़ा किया गया ताकि वाहनों का वजन कम आंका जावे ।
- जो वाहन तुलाई के लिए तुला पुल पर नहीं पहुंचे उनके लिए भी ई-रवन्ना की पुष्टि की गई।

ये तथ्य इंगित करते है कि डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी कर विभाग ने दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की ।

प्रकरण अध्ययन – 2

सहायक खनि अभियंता कोटपूतली ने अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर को सूचित किया (23 जनवरी 2020) कि जांच (21 जनवरी 2020) के दौरान चेजा पत्थर से भरे एक वाहन (आर जे 32 जी बी 4236) की जांच की गई। इसे तौलने पर पाया गया कि खनिज का वास्तविक वजन 25 मीट्रिक टन था जबकि पुष्टि किए गए ई-रवन्ना में उल्लेखित वजन 14.60 मीट्रिक टन था। खनिज का लदान खननपट्टा संख्या 1/2002 से किया गया था। इस प्रकार 10.40 मीट्रिक टन खनिज ई-रवन्ना में वर्णित मात्रा से अधिक पाया गया। यह भी सूचित किया गया कि खनन पट्टेदार, तुला पुल मालिक एवं वाहन चालक के बीच मिलीभगत थी। सहायक खनि अभियंता ने अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर से खनन पट्टेदार की ई-रवन्ना जारी करने पर रोक लगाने एवं तुला पुल को निष्क्रिय करने और वाहन को ब्लैक-लिस्ट करने का अनुरोध किया।

साथ ही, सहायक खनि अभियंता ने इस संबंध में खनन पट्टाधारक व तुला पुल मालिक को नोटिस जारी किया। अपने उत्तर में दोनों ने बताया कि वे इस मामले में शामिल नहीं थे क्योंकि खनन पट्टेदार द्वारा खनिज का अधिक लदान नहीं किया गया था और ई-रवन्ना की पुष्टि के समय वाहन ओवरलोड नहीं था। खनि कार्यदेशक ने मामले की जांच की और अपना प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि वाहन चालक इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार था क्योंकि उसने खनन पट्टेदार के संज्ञान में लाए बिना अतिरिक्त खनिज भर लिया था। प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया गया कि खनन पट्टेधारक को निर्देश जारी किया जाए कि वह चालक को अन्यत्र से खनिज न भरने के लिए पाबंद करे अन्यथा यह पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए सहायक खनि अभियंता ने अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर को तुला पुल को सक्रिय करने की सिफारिश की (20 मार्च 2020)। तुला पुल को 20 मई 2020 को फिर से सक्रिय किया गया।

दिनांक 21 जनवरी 2020 से 23 जनवरी 2020 के दौरान तुला पुल द्वारा पुष्टि की गई ई-रवन्नों की जांच में पाया गया कि तुला पुल पर सीसीटीवी कैमरे ठीक से नहीं लगाए गए थे और वाहन में भरे खनिज ई-रवन्ना की तस्वीरों में नहीं देखे जा सकते थे। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वाहन खाली था या कम भरा हुआ था। तुला पुल के पुनः सक्रिय होने के बाद भी सीसीटीवी ठीक से नहीं लगाए गए और वाहन में खनिज दिखाई नहीं दे रहे थे। दृष्टांत तस्वीरें नीचे दिए गए हैं:



चित्र 23: उपरोक्त चित्र (21 जनवरी 2020) दर्शाता है कि पंचनामा की दिनांक को तुला पुल के सीसीटीवी कैमरे निदेशक के निर्देश के अनुसार नहीं लगाए गए थे।

Government of Rajasthan
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

HR38Z5174

eRawanna No. **AXWF1026289668**

HR38Z5174 is having eRawanna No. **AXWF1026289668** **(Confirmed)** which expires on **28-May-2020 03:22:26 AM.**

Generated on	:27-May-2020 03:22:26 PM	Consignee Name	:BHURA BHIWADI
Confirmed on	:27-May-2020 03:23:10 PM	Consignee Address	:pali zone, faridabad, Faridabad, Haryana, 9720446854
Lease No.	:AME/KTP/Minor(B)/ML/1/2002	Approximate Distance	:300 Km
Name of the Lessee	:Ghanshyam Sharma	Collection Through	:Department
Lease Location	:Buchara / Kotputli / Jaipur	Royalty	:₹ 901.25/-
Mineral	:MasonaryStone	DMFT	:₹ 90.13/-
Net Mineral Weight	:25.75 (Metric Ton)	Royalty Schedule Rate	:7.(a) Masonary Stone(Sandstone, Limestone,Granite,Rhyolite,Quartzite, Schist,Phyllites,Schist etc.) - (a) Used as Khanda,ballast,road metal, fatchere,gitty,parera,crusher dust,gravel,jhajhra etc. - (i) Alwar, Bharatpur,Jaipur,Jhuhujhunu,Sikar,Dholpur,Karuli,Johdpur district. (35/-PMT)
Tare Weight	:9.25 (Metric Ton)	Weigh Bridge	:SANGAM WEIGHBRIDGE(2018051801532)/CHANDOLI
Driver Details	:Vikash (Mob: 9026020473)		





चित्र 24: उपरोक्त चित्र (27 मई 2020) में दर्शाया है कि विभाग ने तुला पुल के सक्रिय करने से पहले निदेशक के निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कैमरों की संस्थापना सुनिश्चित नहीं की थी।

उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि तुला पुल ने निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया था। ऐसी स्थिति में भी, विभाग ने कदाचार में लिप्त तुला पुल मालिकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा, उन राजकीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही नही की गयी जो कि इन सूचीबद्ध तुला पुलों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे । इस प्रकार, बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियां जारी रहीं जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को नुकसान हुआ।

सरकार ने पैरा 4.1.8 एवं 4.1.9 के संबंध में उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के वजन के लिए विभागीय ऑनलाइन प्रणाली के साथ एकीकृत सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके अलावा विभाग व राजकॉम्प के निर्देश पर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। राजकॉम्प ने भी इन सॉफ्टवेयर्स की जांच की है।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पिछले पैराग्राफों में चर्चा की गई अनियमितताएं सॉफ्टवेयर में कमियों के बिना नहीं हो सकती थीं। इस प्रकार, सॉफ्टवेयर की शुचिता और सुदृढ कार्यप्रणाली के लिए विभागीय नियंत्रण की आवश्यकता है।

4.2 पंचनामा

निदेशक ने परिपत्र दिनांक 24 नवंबर 2017 के द्वारा निर्देशित किया कि अवैध खनन गतिविधियां पाये जाने पर पंचनामा[7] तैयार किए जाए। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

- पंचनामा को निरीक्षण के 24 घंटे के भीतर डीएमजीओएमएस पर अपलोड होना चाहिए और मामले की प्रगति को लगातार ऑनलाइन अपडेट होना चाहिए। इसके बाद, इस समय सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया।
- खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में अवैध खनन के स्रोत की पहचान की जानी थी।

[7] पंचनामा: यह अवैध खनन गतिविधि की जांच करने वाले अधिकारी द्वारा तैयार किया गया एक निरीक्षण प्रतिवेदन है ।

- संलिप्त व्यक्तियों अर्थात परिवहनकर्ता, अवैध खनन में शामिल व्यक्ति, तुला पुल मालिक, खनन पट्टेदार के खिलाफ एक साथ कार्यवाही की जानी थी।
- अवैध खनित गड्ढे का फोटो लिया जाना और डीएमजीओएमएस पर अपलोड किया जाना था।
- अवैध परिवहन में शामिल वाहन का फोटो डीएमजीओएमएस पर अपलोड किया जाना था।
- पंचनामा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए।

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सुचनाओं से पाया गया कि अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान चयनित कार्यालयों के विभागीय अधिकारियों[8] द्वारा अवैध खनन गतिविधियों यथा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के 3,390 प्रकरणों की पहचान की गई थी। विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1

चयनित कार्यालयों में अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरण

वर्ष	अवैध खनन	अवैध परिवहन	अवैध भंडारण	कुल
2015-16	90	543	17	650
2016-17	30	542	9	581
2017-18	34	443	0	477
2018-19	49	766	8	823
2019-20	60	787	12	859
योग	**263**	**3,081**	**46**	**3,390**

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना की जांच के लिए लेखापरीक्षा ने प्रत्येक चयनित कार्यालय के अवधि 2015-16 से 2019-20 के लिए खनिज के अवैध खनन से संबंधित सभी पंचनामें और अवैध परिवहन तथा भंडारण से संबंधित 100 पंचनामों की नमूना जांच की। इन पंचनामों और अन्य संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

4.2.1 डीएमजीओएमएस पर पंचनामा अपलोड नहीं किया जाना

अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर के क्षेत्राधीन अवधि अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 के दौरान 4,457 पंचनामा तैयार किए गए थे। इनमें से मात्र 3,897 पंचनामें डीएमजीओएमएस पर अपलोड किए गए थे। इस प्रकार, 4 जनवरी 2019 तक डीएमजीओएमएस पर 560 पंचनामें अपलोड नहीं किए गए थे। निदेशक ने लंबित पंचनामों को दो दिन की अवधि में डीएमजीओएमएस पर अपलोड करने के निर्देश (जनवरी 2019) जारी करते हुए निर्देशों की पालना न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा।

लेखापरीक्षा ने पंचनामों की अद्यतन स्थिति की जांच (5 अप्रैल 2021) की और पाया कि उपरोक्त संदर्भित अवधि के लिए डीएमजीओएमएस पर 3,946 पंचनामें अपलोड किए गए थे। इस प्रकार,

[8] खण्ड कार्यालयः खनि अभियंता सीकर, सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना, सहायक खनि अभियंता कोटपूतली, खनि अभियंता अलवर एवं खनि अभियंता मकराना।

सतर्कता कार्यालयः खनि अभियंता (सतर्कता) सीकर, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) नीमकाथाना, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) कोटपूतली, खनि अभियंता (सतर्कता) अलवर, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) तिजारा एवं सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) मकराना।

28 महीने की अवधि बीत जाने के बाद भी निदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद 511 पंचनामें अपलोड नहीं किए गए थे। तथापि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि शेष पंचनामें अपलोड कर दिये जायेंगे। यदि विसंगति बनी रहती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4.2.2 पंचनामों को तैयार करने में कोताही

पंचनामा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पंचनामा निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप की फोटोप्रति/मुद्रितप्रति पर तैयार किए गए थे। आगे यह भी पाया गया कि पंचनामों पर क्रमांक मुद्रित नहीं थे। इसके अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विभाग के अधिकारियों द्वारा वास्तव में कितने पंचनामें तैयार किए गए थे और कितने उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित किए गए/डीएमजीओएमएस पर अपलोड किए गए।

पैराग्राफ 4.2.1 में दर्शाए गए उदाहरण से पता चलता है कि प्रणाली की कमी से सभी पंचनामों का लेखा-जोखा नहीं रखा गया जिससे राजस्व की हानि हो सकती है।

परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रणाली

परिवहन विभाग, राजस्थान में पंचनामा/चालान प्रपत्र की पुस्तकें मशीन मुद्रित क्रमांक के साथ संबंधित कार्यालयों को प्रधान कार्यालय द्वारा जारी की जा रही हैं। प्रत्येक प्रपत्र की तीन प्रतियां होती हैं; एक दोषी के लिए, दूसरी ऑफिस रिकॉर्ड के लिए और तीसरी प्रति पुस्तक के साथ स्टोर को लौटा दी जाएगी जब पुस्तक की सभी प्रतियां उपयोग में आ जाएंगी। प्राधिकृत अधिकारी स्टोर से पुस्तक जारी करवाते हैं। तत्पश्चात्, पुस्तक के पूरा होने पर अधिकारी पंचनामा/चालान की तीसरी प्रति के साथ पुस्तक को वापस स्टोर में लौटा देते हैं। इसके अलावा, हैंडहेल्ड ऑनलाइन डिवाइस इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि तैयार किए गए प्रत्येक पंचनामा का सरकारी खाते में लेखा किया जाए।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं राजस्व की संभावित हानि को रोकने के लिए निदेशक इस तरह की प्रणाली अपनाने पर विचार कर सकता है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि क्रमांकित पंचनामों के मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद पुनर्विचार किया जाएगा।

4.2.3 अवैध खनन के स्त्रोत की जांच न होना

यह पाया गया कि चयनित खण्ड कार्यालयों में अवैध परिवहन के 1,122 प्रकरणों[9] में से एक प्रकरण को छोड़कर, अवैध खनन के स्त्रोतों/स्थलों की जांच नहीं की गई थी।

पंचनामों की जांच में आगे पाया गया कि वाहन चालकों के बयान के अनुसार 26 खनन पट्टेदार[10] खनिजों के अवैध निर्गमन में शामिल थे। तथापि, संबंधित अधिकारियों ने परिवहन किए गए खनिज के स्त्रोत का पता लगाने के लिए प्रकरणों की जांच नहीं की।

[9] सहायक खनि अभियंता कोटपूतली (98), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) कोटपूतली (99), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) मकराना (87), सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (102), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) नीमकाथाना (85), सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) तिजारा (102), खनि अभियंता अलवर (95), खनि अभियंता (सतर्कता) अलवर (101), खनि अभियंता मकराना (198), खनि अभियंता सीकर (95) एवं खनि अभियंता (सतर्कता) सीकर (59)।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि दोषियों द्वारा प्रायः अवैध खनन के स्रोत के बारे में गलत सूचना दी गई, इसलिए अवैध खनन स्थलों की जांच नहीं की जा सकी। यह भी उत्तर दिया गया कि जहां तक संभव हो स्रोत की जांच करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच उन प्रकरणों में भी नहीं की जहां खननपट्टा क्षेत्रों से अवैध खनन की सूचना मिली थी।

इस प्रकार तथ्य यह रहा कि विभागीय अधिकारियों द्वार निदेशक के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण अवैध खनन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा सकी।

4.2.4 परिवहन विभाग से समन्वय का अभाव

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा बिना पंजीयन संख्या पट्टिका के 112 वाहनों[11] को खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्तता के कारण जब्त किया गया। तथापि, विभाग ने परिवहन विभाग को इन दोषी वाहनों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सूचित नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021 एवं फरवरी 2022) कि परिवहन विभाग को शामिल करने से एक लम्बी प्रक्रिया होगी और यह एक समय लेने वाला कार्य होगा। कर्मचारियों एवं संसाधनों की कमी के कारण विभाग ने परिवहन विभाग को शामिल कर समय व्यतीत करने के स्थान पर अन्य अवैध परिवहन प्रकरणों की जांच को प्राथमिकता दी। यह भी बताया गया कि बिना पंजियन संख्या पट्टिका के खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना पंजियन संख्या पट्टिका के वाहन के मालिक के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिए परिवहन विभाग के साथ जानकारी साझा करना आवश्यक है।

4.2.5 पंचनामों में कमियां

निदेशक द्वार जारी निर्देश (नवम्बर 2017) के अनुसार, अवैध खनित गड्ढों और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों के फोटो खींचे जाने थे और डीएमजीओएमएस पर अपलोड किए जाने थे।

चयनित कार्यालयों की 3,390 पंचनामों में से 1,351 की नमूना जांच एवं डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना से पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/जांच के समय किसी भी प्रकरण में अवैध खनित गड्ढों एवं खनिज के अवैध खनन में शामिल वाहनों की फोटों नहीं ली गई थीं।

पत्रावलियों में अवैध खनित गड्ढों/वाहनों के फोटो भी भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। फोटों के अभाव में एक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता और इससे पारदर्शिता का अभाव होता है। इसके अलावा, इन फोटों को अवैध खनन गतिविधियों के महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता था।

[10] खनन पट्टे (26): सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (3), सहायक खनि अभियंता कोटपुतली (9) और खनि अभियंता अलवर (14)।

[11] बिना पंजियन संख्या के वाहन 112: सहायक खनि अभियंता कोटपूतली (26), खनि अभियंता अलवर (35), खनि अभियंता (सतर्कता) अलवर (34) एवं सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) तिजारा (17)।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि डीएमजीओएमएस में उपयुक्त प्रावधान किये जायेंगे। तत्पश्चत्, यह भी सूचित किया गया (फरवरी 2022) कि अधीनस्थ कार्यालयों को क्रमांकित पंचनामा जारी करने पर विचार किया जाएगा।

4.2.6 अवैध खनन संभावित क्षेत्रों की नीलामी न करना

प्रशासनिक प्रतिवेदन (2018-19) में उल्लेखित किया गया था कि विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उन भूखण्डों की नीलामी की जायेगी जो अवैध खनन प्रवृत्त थे।

चयनित खण्ड कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान चयनित कार्यालयों में अवैध खनन के 263 मामलों की पहचान की। तथापि, विभाग ने अवैध खनन संभावित क्षेत्रों, जिनकी नीलामी की जा सकती थी, की पहचान करने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की। इसके अभाव में अवैध खनन की गतिविधियां चलती रहीं, जिससे पर्यावरण, रोजगार एवं राजकोष के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021 एवं फरवरी 2022) कि अवैध खनन प्रवृत्त क्षेत्रों में भूखण्डों की नीलामी के लिए भूखण्ड चित्रण करने के निर्देश जारी किये गये हैं तथा जहां ऐसे क्षेत्र वन एवं चारागाह के अन्तर्गत आते हैं, वहां रुपांतरण अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

पंचनामों को तैयार करने के त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विभागीय ऑनलाइन प्रणाली पर पंचनामों का लेखा-जोखा नहीं होने के कारण आरोपी पर की गयी दंडात्मक कार्यवाही, यदि कोई की गयी हो तो, उसकी निगरानी नहीं की जा सकी। इसके अलावा, अवैध खनन के स्त्रोतों/स्थलों की जांच नहीं की गई। अवैध परिवहन के प्रकरणों का परिवहन विभाग के साथ अनुसरण नहीं किया गया और इसलिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस प्रकार, न केवल निदेशक के निर्देशों की पालना नहीं की गयी, बल्कि अवैध खननकर्त्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो अवैध खनन पर एक निवारक प्रभाव डाल सकते थे।

4.3 अवैध रूप से उत्खनित खनिज का निर्धारण

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(1) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज रियायत, परमिट या किसी अन्य अनुमति या इन नियमों के अन्तर्गत अनुमति के बिना कोई खनन कार्य नहीं करेगा और वैध रवन्ना के बिना खदान से खनिज का निर्गमन नहीं करेगा। उक्त नियमों के नियम 54(5) में आगे प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के, किसी खनिज रियायत या किसी अन्य अनुमति के अलावा किसी अन्य भूमि से कोई खनिज निकालता है और यह भी कि, जहां निकाला गया खनिज पहले ही प्रेषित किया जा चुका है अथवा उपयोग में लिया जा चुका है, तो सक्षम प्राधिकारी कम्पाउण्ड शुल्क के साथ खनिज की कीमत वसूल करेगा। खनन पट्टे की खनन योजना, अयस्क से निकलने वाले खनिज हेतु रिकवरी फैक्टर की जानकारी प्रदान करती है।

सात खण्ड कार्यालयों[12] की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि अवैध खनन गतिविधियों के 28 प्रकरणों में खनिज की कीमत राशि में ₹ 14.20 करोड़ की कम मांग कायम की

[12] खण्ड कार्यालय (7) : चुरू, धोलपुर, जयपुर, जोधपुर, झुनझुनु, सीकर एवं उदयपुर।

गई थी। संबंधित अधिकारियों ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत की मांग कायम करने में खनन योजना में बताए गए बल्क डेंसिटी फैक्टर, रिकवरी फैक्टर को नजरंदाज किया तथा अन्य अनियमितताएं पायी गयी। विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2

निर्धारण में त्रुटियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खण्ड कार्यालय का नाम	खननपट्टों की संख्या	मौका निरीक्षण तिथि	अंतिम निर्धारण के अनुसार		लेखापरीक्षा के अनुसार		कम मांग कायम की राशि
				निर्धारित मात्रा मीट्रिक टन में	अधिशुल्क राशि	निर्धारित मात्रा मीट्रिक टन में	अधिशुल्क राशि	
1	उदयपुर	1[13]	अगस्त 2018	10,327.50	0.63	13,260	0.81	0.18
सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि पट्टेदार के विरूद्ध मांग कायम की गई थी। तथापि, खनन पट्टेदार ने मांग के खिलाफ अपील दायर की है। इसके आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।								
2	सीकर	4[14]	फरवरी 2019	22,998.00	0.81	28,278.91	0.99	0.18
सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि तीन प्रकरणों में सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है तथा एक प्रकरण में खननपट्टा निरस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है।								
3	चुरू	7[15]	जुलाई 2017 एवं सितम्बर 2017	52,540.00	1.21	97,569.29	2.24	1.04
सरकार ने उत्तर दिया कि ₹ 2.24 करोड़ की मांग की गई है (अक्टूबर 2019) जिसमें से तीन प्रकरणों में ₹ 0.72 करोड़ की वसूली की गई है और शेष चार प्रकरणों में वसूली पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ ने रोक लगा दी है (नवम्बर 2020)।								
4	झुंझुनूं	10[16]	मार्च 2019	98,606.17[17]	नोटिसों में राशि नहीं दर्शाई गई	1,01,205.19	2.91	2.91
विभाग ने सभी 10 प्रकरणों में, 30 दिवसीय नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद, अवैध रुप से उत्खनित खनिज की कीमत की मांग कायम करने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की थी। इसके अलावा, 10 प्रकरणों में से छह प्रकरणों में, सक्षम अधिकारी ने गलत बल्क डेंसिटी और रिकवरी फैक्टर लागू किया जिसके परिणामस्वरूप अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा 2,599.01								

[13] 296/2008.

[14] 44/1998, 605/2003, 195/1997 एवं 291/2007.

[15] 41/2001, 41/1978, 06/1997, 47/2001, 98/1996, 40/2001 एवं 74/1978.

[16] 423/2006, 12/1995, 198/1996, 63/1995, 23/1999, 41/2001, 80/2000, 164/2003, 167/2003 एवं 166/2003.

[17] मैसनरीस्टोन एवं मुर्रम्।

क्र.सं.	खण्ड कार्यालय का नाम	खननपट्टों की संख्या	मौका निरीक्षण तिथि	अंतिम निर्धारण के अनुसार		लेखापरीक्षा के अनुसार		कम मांग कायम की राशि
				निर्धारित मात्रा मीट्रिक टन में	अधिशुल्क राशि	निर्धारित मात्रा मीट्रिक टन में	अधिशुल्क राशि	
मीट्रिक टन कम निर्धारित हुई। सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि 10 प्रकरणों में मांग कायम की गई थी इनमें से एक प्रकरण में खनन पट्टेदार द्वारा मांग राशि जमा कर दी गई। तथापि, नौ प्रकरणों में खनन पट्टेदारों ने मांग के खिलाफ अपील दायर की है। अपीलीय प्राधिकारी ने मामलों की पुनः जांच करने का आदेश दिये और आठ प्रकरणों में जांच प्रगति पर है। एक प्रकरण के संबंध में यह सूचित किया गया कि मामले की पुनः जांच की गई और खनि कार्यदेशक द्वारा बताया गया कि खनन पूर्व में जारी एसटीपी की अवधि के दौरान किया गया था, इसलिए इसे अवैध खनन नहीं माना जा सकता है। बाद के मामले के संबंध में सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।								
5.	जयपुर	तीन खनन पट्टे एवं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट[18]	जून 2018 से दिसम्बर 2019	------	0.18	1,42,919.7	4.45	4.27
सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि तीन प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए थे और ₹ 17.80 लाख की राशि वसूल की गई है। एक प्रकरण के संबंध में उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।								
विभाग ने अधिशुल्क निर्धारण के समय खनन पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन एवं रवन्नों के दुरूपयोग के मुद्दे की गंभीरता से जांच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत की मांग कायम नहीं की गई जैसा कि क्रमांक 6 एवं 7 में नीचे चर्चा की गई है:								
6	धौलपुर	1[19]	सितम्बर 2017	-------	0.01	1,504	-------	4.56
एक मौका निरीक्षण (सितम्बर 2017) में खनन पट्टेदार द्वारा रवन्ना के दुरूपयोग का पता चला। तथापि, विभागीय अधिकारियों द्वारा खननपट्टे में इस्तेमाल किए गए अन्य रवन्नों की जांच नहीं गई। अगस्त 2018 में खनन पट्टे के अधिशुल्क निर्धारण किया गया परन्तु निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण आदेश में अवैध खनन का उल्लेख नहीं किया। लेखापरीक्षा ने रवन्ना के दुरूपयोग से निर्गमित किए गए 1,504 मीट्रिक टन खनिज की कीमत ₹ 36.09 लाख की अवसूली को इंगित किया। तत्पश्चात्, विभाग ने खननपट्टा क्षेत्र का मौका निरीक्षण (जुलाई 2020) किया और निष्कर्ष निकाला कि पट्टेदार ने अवैध रूप से उत्खनन किया था और ₹ 4.56 करोड़ मूल्य के 19,015.29 मीट्रिक टन खनिज बलुआ पत्थर को रवन्नओं का दुरूपयोग कर निर्गमित किया था । इस संबंध में राशि ₹ 4.56 करोड़ की मांग कायम की गई। खनन पट्टेदार ने इसे जमा नहीं किया, इसलिए खननपट्टा निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि ₹ 4.56 करोड़ की मांग कायम की गई और भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की जा रही है।								

[18] 217/2000, 14/1995, 105/2003 एवं सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड।

[19] 67/1988.

क्र.सं.	खण्ड कार्यालय का नाम	खननपट्टों की संख्या	मौका निरीक्षण तिथि	अंतिम निर्धारण के अनुसार		लेखापरीक्षा के अनुसार		कम मांग कायम की राशि
				निर्धारित मात्रा मीट्रिक टन में	अधिशुल्क राशि	निर्धारित मात्रा मीट्रिक टन में	अधिशुल्क राशि	
7	जोधपुर	1[20]	जनवरी 2017 एवं फरवरी 2018	14,700	-----	23,625	1.06 [21]	1.06
विभाग इसकी जानकारी होने के बावजूद कि खनन पट्टेदार द्वारा रवन्नों का दुरूपयोग करके या बिना रवन्ना के खनिज का अवैध खनन एवं निर्गमन किया, अधिशुल्क निर्धारण में इन तथ्यों का उल्लेख करने में विफल रहा और मांग कायम करते समय खनिज के बल्क डेंसिटी फैक्टर को नजरंदाज किया, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.06 करोड़ की कम मांग कायम की गई। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2020 एवं अक्टूबर 2020) कि मांग नोटिस जारी किया गया है (फरवरी 2020) और खननपट्टे को निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, मांग को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर (जुलाई 2020) द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें आदेश दिया गया था कि खनन पट्टेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक नया आदेश पारित किया जा सकता है। इसके बाद, यह भी सूचित किया गया (फरवरी 2022) कि खनन पट्टेदार के खिलाफ मांग कायम कर दी गयी थी, हालांकि, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (मार्च 2022)।								
	कुल	27 खननपट्टे एवं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट						**14.20**

4.4 लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

अधिशुल्क के संग्रहण में तुला पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज का सही तौल न केवल अधिशुल्क का सही संग्रहण सुनिश्चित करता है बल्कि अवैध रूप से परिवहन किए गए खनिज पर नियंत्रण भी प्रदान करता है। तुला पुलों की कार्यप्रणाली में लापरवाही से विभाग को बृहत् हानि हो सकती है। विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने एवं अधिशुल्क के हानि को रोकने के लिए प्रत्येक तुला पुल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे।

तथापि, तुला पुलों द्वारा पुष्टि किए गए ई-रवन्नों की समीक्षा द्वारा पता चला कि चयनित तुला पुलों में से 81.68 प्रतिशत् के कार्यकरण में गंभीर अनियमितताएं थी । 33.28 प्रतिशत् ई-रवन्नों में

[20] 36/2002.

[21] खनिज मैसनरी स्टोन 19,650 मीट्रिक टन की कीमतः 19,650 मीट्रिक टन X ₹ 23 (अधिशुल्क दर) X 10 = ₹ 45,19,500 + खनिज मैसनरी स्टोन 22,593 मीट्रिक टन की कीमतः 22,593 मीट्रिक टन X ₹ 28 (अधिशुल्क दर) X 10 = ₹ 63,26,040 कुल ₹ 1,08,45,540 ।

कम मांग की राशि = ₹ 106.36 लाख (₹ 108.46 लाख - ₹ 2.10 लाख)

ई-रवन्ना की पुष्टि के लिए एक वाहन की तस्वीर का कई बार उपयोग किया गया। इससे पता चलता है कि जिन वाहनों के लिए ई-रवन्ना तैयार किये गये थे, वे या तो तुला पुलों तक नहीं पहुचें या बिना तौल किए गुजर गए । इन मामलों से संकेत मिलता है कि वाहनों के वास्तविक तौल किए बिना ई-रवन्नों की पुष्टि की गई थी। विभाग, तुला पुलों के कार्यप्रणाली की निगरानी में विफल रहा, जिसका सीधा प्रभाव अधिशुल्क संग्रहण पर पड़ा। तुला पुलों की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी की प्रणाली में शिथिलता थी । विभाग के पास मुद्रित क्रमांक वाले पंचनामा प्रपत्रों के उपयोग की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्हें विभागीय अधिकारियों ने हाथ से नम्बर अंकित कर तैयार किया था। ऐसी व्यवस्था के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अधिकारियों ने कितने पंचनामा तैयार किए और कितने की सूचना दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि नम्बरिंग की इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण 511 पंचनामों को डीएमजीओएमएस पर अपलोड नहीं किया गया था और उच्च अधिकारियों को भी अवैध खनन गतिविधियों से अवगत नहीं कराया गया था। इसके अलावा, खनिजों के अवैध परिवहन के 1,121 प्रकरणों के संबंध में अवैध खनन के स्रोतों/स्थलों की जांच नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिशुल्क के निर्धारणों को उचित कर्मठता के साथ अंतिम रुप नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 28 प्रकरणों में राशि ₹ 14.20 करोड़ के अधिशुल्क, खनिज कीमत एवं प्रशमन शुल्क का गलत निर्धारण हुआ।

4.5 सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

1. *कदाचार को रोकने के लिए राज्य भर में तुला पुलों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एकल सॉफ्टवेयर का विकास या अनुमोदन जिस पर विभाग का समग्र नियंत्रण हो;*
2. *आईटी प्रणाली के माध्यम से एक केन्द्रीकृत केन्द्र पर तुला पुलों की निगरानी को सुदृढ करना;*
3. *अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के प्रकरणों को परिवहन विभाग के पास कार्यवाही के लिए भेजना ताकि वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके;*
4. *अवैध खनन पर शिकायतों की जांच के लिए डीएमजीओएमएस में उपलब्ध दिनांक और तस्वीरों का बेहतर उपयोग करना तथा कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना ताकि एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके; और*
5. *राजस्थान के परिवहन विभाग द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंचनामों को मुद्रित क्रमांकों के साथ उपयोग करने की अच्छी प्रथा को अपनाना।*

अध्याय–V

निगरानी और मूल्यांकन

अध्याय V : निगरानी और मूल्यांकन

प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, निगरानी और मूल्यांकन, विभाग की एक आवश्यक गतिविधि है। निरंतर निगरानी के बिना, विभाग राजस्व की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए अवैध खनन गतिविधियों का समय पर पता नहीं लगा सकता है । खान और भूविज्ञान विभाग में निगरानी के लिए विभिन्न साधन प्रदान किए गए हैं जैसे विवरणियां, ई-रवन्ना, मूल्यांकन, पट्टों का नियमित निरीक्षण आदि । निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा ने इसकी जांच की । निगरानी प्रणाली में पाई गई कुछ कमियों की यहां नीचे चर्चा की गई है:

5.1 विवरणियां

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 28(2) (iv)(d) के अनुसार, पट्टेदार खनन पट्टा क्षेत्र से उत्खनित और निर्गमित खनिज के संबंध में अगले महीने की 15 तारीख तक फॉर्म-15 में ऑनलाइन मासिक विवरणी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के भीतर फॉर्म-16 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा । इसके, पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा पट्टा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की जानकारी भी इन विवरणियों में प्रस्तुत की जायेगी ।

इसके अलावा, यदि पट्टेदार निर्दिष्ट समय के भीतर ऑनलाइन मासिक विवरणी या वार्षिक विवरणी जमा करने में विफल रहता है, तो इसे विलंब शुल्क ₹ 500 प्रति दिन की देरी जो कि अधिकतम ₹ 50,000 होगी के भुगतान पर प्रस्तुत किया जा सकता है ।

डीएमजीओएमएस पर प्रस्तुत विवरणियों के संबंध में चयनित कार्यालयों के 50 खनन पट्टो[1] के नमूने के डेटा के विश्लेषण से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

5.1.1 पट्टेदारों द्वारा विवरणी प्रस्तुत न करना/विलम्ब से प्रस्तुत करना

- नमूना जांच मे पाया गया कि 50 खनन पट्टों में से 14 पट्टेदारों (28 प्रतिशत) ने अप्रैल 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान कोई विवरणी जमा नहीं की थी । इसके अलावा, तीन पट्टेदार इस अवधि के लिए 12 विवरणियां जमा करने में विफल रहे । इस प्रकार, कुल चयनित पट्टेदारों द्वारा 348 विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गईं ।
- नमूना जांच मे पाया गया कि 50 खनन पट्टों में से 36 पट्टेदारों (72 प्रतिशत) ने 599 विवरणियां 1 दिन से 1,177 दिनों के बीच की देरी के साथ विवरणियां प्रस्तुत की थी । प्रावधान के अनुसार इन चूककर्ता पट्टेदारों से ₹ 2.39 करोड़ का विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना था । हालांकि, विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इन चूककर्ता पट्टेदारों से ऑनलाइन विवरणियां प्राप्त करने के लिए संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया । इसके अलावा, सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए डीएमजीओएमएस द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने के संबंध में न तो पट्टेदारों को और न ही संबंधित अधिकारियों को चेताया गया था । इस प्रकार,

[1] प्रत्येक खंड से दस खनन पट्टों का चयन किया गया है ।

विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति की निगरानी न तो ऑनलाइन माध्यम से न ही संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई थी ।

इन मासिक विवरणियों के अभाव में, विभाग के पास माह के दौरान स्वयं पट्टेदार की ओर से पट्टेदार की गतिविधियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था जैसे खनिज का उत्पादन, कैप्टिव उद्देश्यों के लिए खनिज का उपयोग, खनिज का प्रेषण, समापन शेष, पट्टा क्षेत्र से हटाए गए ओवरबर्डन की मात्रा, किये गये वृक्षारोपण और नियोजित श्रमिकों की संख्या आदि ।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि इस संबंध में डीएमजीओएमएस में उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे । यह भी सूचित किया गया कि अगले महीने की 20 तारीख तक विवरणी जमा नहीं करने पर, ई-रवन्ना जनरेट करने को अवरुद्ध करने पर विचार किया जाएगा । इसके बाद, यह भी सूचित किया गया (फरवरी 2022) कि चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे ।

5.1.2 डीलरों की विवरणियां

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 2(1)(lvii) में ट्रांजिट पास से अभिप्राय ऐसे पास जिसमें पट्टेधारी, स्टॉकिस्ट, व्यापारी, डीलर, आदि को अधिशुल्क भुगतान किये गये खनिज के विधिवत निर्गमन के लिये विभाग द्वारा यथाविधि जारी या ऑनलाईन जारी ई-ट्रांजिट पास से है । यह प्रणाली अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की आवाजाही को रोकने के लिए शुरू की गई थी । विभाग द्वारा इस आवाजाही की प्रभावी निगरानी के लिए एक आवधिक विवरणी निर्धारित की जानी थी । तथापि, विभाग द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गयी । क्रियाविधि के अभाव में विभाग की निगरानी अप्रभावी रही जैसा कि यहां नीचे चर्चा की गई है:

निदेशक खान एवं भूविज्ञान ने ई-ट्रांजिट पास जारी करने के निर्देश (31 जनवरी 2018) जारी किए । इन निर्देशों के अनुसार सभी डीलरों को ई-ट्रांजिट पास प्राप्त करने के लिए विभागीय वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा । पंजीकरण के बाद, डीलर अपने प्रारम्भिक स्टॉक की घोषणा करेंगे और इस स्टॉक को ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज करेंगे । डीलर इन प्रारम्भिक स्टॉक के अधिशुल्क दस्तावेजों से संबंधित सभी रिकॉर्ड तीन साल तक अर्थात् 31 जनवरी 2021 तक रखेंगे और जब भी मांगे जाएंगे, इस रिकॉर्ड को विभाग को प्रस्तुत करेंगे । इसके अलावा, यदि प्रारंभिक स्टॉक में उल्लिखित अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिज से संबंधित दस्तावेजों में यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो इसके लिए डीलर जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

पांच खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 649 पंजीकृत डीलरों[2] ने 71.66 लाख मीट्रिक टन खनिजों का प्रारंभिक स्टॉक घोषित किया । तथापि, तीन खण्ड कार्यालयों[3] के केवल 27 डीलरों (चार प्रतिशत) का ही सत्यापन किया गया और विभागीय अधिकारियों ने सात डीलरों के स्टॉक में अनियमितता पाई । इन मामलों में

[2] सहायक खनि अभियंता कोटपुतली (118), सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (194), खनि अभियंता अलवर (119), खनि अभियंता मकराना (33)और खनि अभियंता सीकर (185) ।

[3] सहायक खनि अभियंता कोटपुतली (15), सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (8) और खनि अभियंता अलवर (4) ।

₹ 3.14 करोड़ की मांग सृजित की गई और ₹ 7.61 लाख की वसूली की गई । यह इंगित करता है कि 25 प्रतिशत डीलरों के स्टॉक में अनियमितताएं थी ।

इस प्रकार, 622 डीलरों के स्टॉक का सत्यापन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप डीलरों द्वारा शुरुआती स्टॉक की घोषणा में यदि कोई अनियमितता थी तो उसकी पहचान नहीं की गई और उस पर शास्ति का आरोपण नहीं किया गया । ये परिणाम केवल पांच नमूना जाँच किए खण्ड कार्यालयों के हैं, राज्य की समग्र तस्वीर बहुत बड़ी हो सकती है ।

शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021 एवं फरवरी 2022) कि डीलरों के स्टॉक के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

इस प्रकार तथ्य यह है कि खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने स्टॉक सत्यापन के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया और स्टॉक में अनियमितताओं की पहचान नहीं की गई । ऐसी स्थिति में, सरकारी खजाने को हुए नुकसान से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

5.1.3 खदान अनुज्ञप्तियों की निगरानी न करना

आरएमएमसी नियम 2017 खनिज रियायतों के अनुदान अर्थात खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति (क्यूएल) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य अनुमति को निर्धारित करता है । खनन पट्टे के लिए न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टेयर है, जबकि क्यूएल के लिए न्यूनतम क्षेत्र 0.18 हेक्टेयर है । क्यूएल का न्यूनतम क्षेत्र दिनांक 27.08.2018 के आदेश द्वारा 0.18 से एक हेक्टेयर संशोधित किया गया था । यह भी प्रावधान किया गया कि पट्टाधारी को खानों से उत्खनित सभी खनिजों का, खानों में पड़ी स्टॉक की मात्रा का, निर्गमित और उपयोग की गई मात्रा का सटीक और विश्वसनीय लेखा-जोखा, रखना होगा । प्रणाली से जनरेट वैध रवन्ना के बिना पट्टाधारी खानों से खनिज को हटाने, निर्गमन या उसका उपयोग नहीं करेंगे । निदेशक ने 27 अक्टूबर 2017 के आदेश द्वारा मैनुअल रवन्ना को प्रतिबंधित कर दिया और सभी खनन पट्टों के लिए ई-रवन्ना अनिवार्य कर दिया ।

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना की समीक्षा से पता चला कि प्रत्येक क्यूएल क्षेत्र से खनिजों के उत्खनन और निर्गमन के संबंध में अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों या विभागीय जांच चौकियों द्वारा जारी की गई अधिशुल्क रसीदों को छोड़कर कोई सूचना नहीं थी । जांच चौकियों पर यह पता नहीं किया जा सकता कि खनिज उत्खनन क्यूएल क्षेत्र से हुआ है या कहीं और से ।

इस प्रकार, क्यूएल से खनिजों के उत्पादन और निर्गमन की निगरानी के लिए एक आवधिक विवरणी निर्धारित करने की आवश्यकता है । इसके अलावा, खनिज के स्रोत की जांच के लिए खनिज के प्रत्येक निर्गमन के साथ एक वैध दस्तावेज जैसे ट्रांजिट पास, चालान, ई-रवन्ना आदि होना चाहिए ।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021 और फरवरी 2022) कि क्यूएल धारकों और ठेकेदारों के लिए ई-रसीद जारी करने का प्रावधान प्रस्तावित नई नीति 2021 में किया गया है ।

5.2 निरीक्षण

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पट्टों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए (अप्रैल 2013)। निरीक्षण के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए थेः

तालिका 5.1

खनन पट्टों के निरीक्षण के लिए मानदंड़ दर्शाने वाला विवरण

अधिकारियों का पद	प्रतिवर्ष निरीक्षणों की संख्या
निदेशक, खान एवं भूविज्ञान	36
अतिरिक्त निदेशक (खान), संभाग	60
अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुख्यालय) I/II/III	72
अधीक्षण खनि अभियन्ता	72
खनि अभियन्ता	120
सहायक खनि अभियन्ता	120

इसके अलावा, डीएमजी ने पट्टों के निरीक्षण के लिए एक परिपत्र जारी किया (24 नवंबर 2017) ताकि पता लगाया जा सके कि पट्टेदार नियम और विनियमों के अनुसार खनन कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित खण्ड कार्यालयों में खनन पट्टों के निरीक्षण के रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। सहायक खनि अभियन्ता नीमकाथाना ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए निरीक्षणों की एक सूची प्रदान की। संबंधित पट्टा पत्रावलियों में निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जांच करने पर पता चला कि ये निरीक्षण केवल पट्टों की खनन योजना के सत्यापन के लिए किए गए थे। निरीक्षण रिपोर्ट में नियमों और विनियमों की अनुपालना पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी। इंगित किये जाने पर सहायक खनि अभियन्ता नीमकाथाना ने उत्तर दिया कि भविष्य में निर्देशानुसार निरीक्षण किया जायेगा।

शेष खण्ड कार्यालयों के लिए लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि निरीक्षण के लक्ष्य प्राप्त किये गये थे अथवा नहीं तथा खनन नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जा रहा था क्योंकि किये गये निरीक्षणों के संबंध में कोई सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

चयनित 455 खनन पट्टो की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान केवल 31 निरीक्षण किए गए थे लेकिन विभाग की किसी भी निरीक्षण रिपोर्ट में खनन पट्टा के आसपास अवैध खनन का उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि, प्रौद्योगिकी के प्रयोग से लेखापरीक्षा ने आवंटित खनन पट्टों के आस-पास के क्षेत्र में अवैध खनन पाया, जैसा कि अनुच्छेद 3.1 में चर्चा की गई है। इसके अलावा, निरीक्षण के लिए पट्टों के चयन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली अभिलिखित नहीं थी।

उपरोक्त तथ्य इंगित करते है कि खनन पट्टों के निरीक्षण के मानदंडों का पालन नहीं किया गया था और यहां तक कि जब निरीक्षण किए गए थे, तब भी प्रतिवेदनों में कमी थी। लेखापरीक्षा का मानना है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन का एक कारण निरीक्षणों में कमी हो सकती है।

शासन ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि विभागीय मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण करने तथा निरीक्षण पंजिका के रख-रखाव हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं। समापन बैठक के दौरान, निदेशक ने बताया कि प्रत्येक खण्ड कार्यालय द्वारा 10 से 20 विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं और पिछले कुछ महीनों के दौरान लगभग 1200 निरीक्षण किए गए हैं।

5.3 लंबित अधिशुल्क निर्धारण

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 46 के अनुसारः

1. प्रत्येक पट्टेदार जिसने निर्धारित समय के भीतर मासिक और वार्षिक विवरणी दाखिल की है और खनिज के अवैध खनन या परिवहन में शामिल नहीं है और जहां संबंधित क्षेत्र की अधिशुल्क या स्थिर भाटक की दर या राशि के संबंध में कोई विवाद नहीं है, वह उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, वार्षिक विवरणी के आधार पर उस वर्ष के लिए अधिशुल्क निर्धारित किया गया माना जाएगा ।
2. प्रत्येक वर्ष कम से कम दस प्रतिशत विवरणियों की पूरी तरह से जांच की जाएगी और मैन्युअल रूप से मूल्यांकन किया जाएगा । ऐसे विवरणियों का चयन यादृच्छिक आधार पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा ।
3. फॉर्म-17 में वार्षिक विवरणी की ऑनलाइन पावती रसीद को स्व-मूल्यांकन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और इसके अलावा कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय जहां (i) विवरणी जांच के दायरे में आई हो और (ii) निर्धारण प्राधिकारी के पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि ऑनलाइन विवरणियां गलत हैं ।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना का विश्लेषण किया और पाया कि 31 मार्च 2020 तक 8,799 निर्धारण (कुल देय का 51.14 प्रतिशत) लंबित थे ।

विभाग ने अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । निर्धारण समय पर पूर्ण न होने के कारण विभाग खनिजों के उत्खनन एवं निर्गमन की सत्यता को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था । ऐसे में राजस्व के रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

शासन ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के तीन माह के अन्दर कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

5.4 लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, निगरानी और मूल्यांकन, विभाग की एक आवश्यक गतिविधि है । विभाग में निगरानी के लिए विभिन्न साधन हैं जैसे विवरणियां, ई-रवन्ना, अधिशुल्क निर्धारण, पट्टों का नियमित निरीक्षण, आदि ।

विवरणियों की नमूंना जाँच से पता चला कि 28 प्रतिशत पट्टेदारों ने अप्रैल 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी और 72 प्रतिशत पट्टेदारों ने 1,177 दिनों तक की देरी से अपनी विवरणी प्रस्तुत की थी । डीलरों के स्टॉक से अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों के निर्गमन की जांच के लिए कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गयी थी । इसके अलावा, खदान अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा खनिजों के निर्गमन की जांच के लिये कोई प्रणाली तंत्र नहीं पाई गई।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पट्टों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए । चयनित पट्टों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि खनन पट्टों के निरीक्षण के लिए मानदंडों का पालन नहीं किया गया था और जब निरीक्षण किये गये थे, तब भी प्रतिवेदनों में कमी

थी । लेखापरीक्षा का मानना है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन का एक कारण निरीक्षणों में कमी हो सकता है ।

नियमों में पट्टों के वार्षिक निर्धारण का प्रावधान हैं, यह देखा गया कि 31 मार्च 2020 को राज्य में 51 प्रतिशत निर्धारण लंबित थे । विभाग ने अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने और तेजी लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । ऐसे में राजस्व के रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

5.5 सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता हैः

1. *विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/विलंब से दाखिल करने वालों की रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें प्रणाली द्वारा स्वतः नोटिस जारी करने के लिए प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना;*
2. *अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों की आवाजाही की प्रभावी निगरानी के लिए डीलरों के लिए आवधिक विवरणी के प्रावधान करना;*
3. *खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए माह में विवरणियों की नमूना जांच किया जाने के प्रावधान करना;*
4. *खदान अनुज्ञप्ति से प्रत्येक निर्गमन के लिए खनिज के स्रोत का पता लगाने के लिए खनिज के साथ एक अनिवार्य वैध दस्तावेज का प्रावधान करना; और*
5. *खनन पट्टों के निरीक्षण के समय लिए गए फोटो सहित निरीक्षणों का विवरण डीएमजीओएमएस पर ऑनलाइन संधारित किये जाने के प्रावधान करना । इसके अलावा, निरीक्षण के लिए पट्टों का चयन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे ताकि एक निश्चित समयावधि के भीतर एक खण्ड के सभी पट्टों का निरीक्षण किया जा सके ।*

अध्याय–VI

पर्यावरणीय मुद्दे

अध्याय VI: पर्यावरणीय मुद्दे

6.1 पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 34 में उल्लेखित किया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा उपायों की पालना की जानी है। तदनुसार, कोई भी खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति पूर्व सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति पत्र प्राप्त किए बिना और जैसा कि लागू कानूनों के तहत खनन कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक है, प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक खनन पट्टा या अनुज्ञप्तिधारी खनन कार्य इस प्रकार से करेगा कि खदान या क्वारी का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो, खनिज का संरक्षण हो, पर्यावरण की रक्षा हो और मानव और मशीनरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

उपरोक्त प्रावधानों के सन्दर्भ में जारी पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लेखित किया गया है कि खनन पट्टा के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र जिसमें खनन पट्टे के आसपास सुरक्षा क्षेत्र में हरित पट्टी भी शामिल है, ओवरबर्डन, डम्प, जल स्रोत, रोड़ के आसपास पुनर्भरित एवं पुनरूद्धारित क्षेत्र इत्यादि अथवा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर ग्राम पंचायत एवं वन विभाग के परामर्श से पौधों की स्थानीय प्रजाति का वृक्षारोपण करना होगा।

चयनित पट्टों की गूगल अर्थ प्रो छवियों की जांच में पाया कि वृक्षारोपण पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। इन तथ्यों की पुष्टि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हुई थी। यह पाया गया 25 पट्टों में से केवल एक पट्टे में वृक्षारोपण किया गया था। उस पट्टे में केवल पांच पौधे ही बचे थे।

ध्यान में लाने पर सहायक खनि अभियन्ता कोटपूतली ने बताया (फरवरी 2021) कि पट्टों में खनिज उपलब्ध होने की स्थिति में पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र को छोड़कर अन्य भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। तथापि, उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था। खनि अभियन्ता अलवर ने उत्तर में बताया कि वृक्षारोपण पट्टेदारों द्वारा किया गया था लेकिन वर्षा और पानी की कमी के कारण पौधे जीवित नहीं रहे। पट्टा क्षेत्र के बाहर पौधरोपण भी किया गया।

उपरोक्त प्रतिक्रियाएं आश्वस्त करने वाली नहीं थीं और लेखापरीक्षा का विचार है कि पर्यावरणीय कानूनों की अनुपालना की बारीकी से निगरानी नहीं की गई।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखा गया है। समापन बैठक के दौरान निदेशक ने बताया कि कुछ खण्डों (बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर आदि) के पट्टेदारों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में अच्छी तरह से पता था और वे वृक्षारोपण में अच्छा काम कर रहे हैं। अन्य खण्डों में भी जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाएगा। तत्पश्चात, सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि वृक्षारोपण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

नीमकाथाना खण्ड द्वारा अपनायी गयी अच्छी प्रथा

सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना ने अवगत कराया कि चूंकि खनन क्षेत्र पहाड़ी और अनुपजाऊ थे, राज्य सरकार द्वारा नीमकाथाना खान एवं क्रेशर सेवा समिति के नाम पर 60 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित किया गया। वर्ष 2016 में करीब 30,000 पौधे रोपे गए। इसके बाद हर साल क्षेत्र में पौधरोपण किया जा रहा था। क्षेत्र में 40,000 जीवित पौधे हैं। समिति ने इन पौधों की देखभाल के लिए 20 मजदूरों की टीम को लगाया है।

समीक्षा दल ने अवैध खनन स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय वृक्षारोपण स्थल का भी दौरा किया और पाया कि पर्यावरण को बचाने के लिए यह एक अच्छी प्रथा है। यह अच्छी प्रथा अन्य खण्ड कार्यालयों द्वारा अपनायी जा सकती है ।





चित्र 6.1: नीमकाथाना खान एवं क्रेशर सेवा समिति के वृक्षारोपण कार्य के चित्र ।

6.2 भूमि को हुए नुकसान का आकलन

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 68 के अनुसार, खनन पट्टे की समाप्ति के बाद, सरकार पूर्वेक्षण या खनन कार्यों द्वारा भूमि को हुई क्षति, यदि कोई हो, का आकलन करेगी और अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी जो भी सतही भूमि का अधिभोगी हो द्वारा देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगी। इसके अलावा, इस तरह के प्रत्येक मूल्यांकन को सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी द्वारा खंडित खनन पट्टे की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। हालांकि, ऐसी भूमि जो अवैध रूप से खुदाई की गई थी और इसमें लिप्त व्यक्ति की पहचान की गई थी, के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा मे पाया कि किसी भी चयनित संभाग में अवैध रूप से खनन क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं किया गया था। पूछने पर जवाब दिया गया कि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। खनि अभियन्ता सीकर ने उत्तर दिया कि अवैध स्थलों की पहचान की जाएगी और पर्यावरण मूल्यांकन के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को पत्र लिखा जाएगा।

यह स्पष्ट है कि अवैध खनन से भूमि और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए ऐसी भूमि और पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र के सुधार के लिए किया जाना था।

सरकार ने उत्तर में अवगत कराया कि अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखा गया है।

6.3 न्यायालय/अधिकरण के आदेशों का पालन न करना

राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4239/2019 में एक आदेश जारी किया (3 सितंबर 2019)। आदेश के अनुसार खनिज बजरी या रेत के अवैध परिवहन के मामले में:

- बजरी को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसे अवैध खनन से प्राप्त किया गया, जो राज्य में निहित है और
- बजरी को उस स्थान पर उचित रूप से पुनः स्थापित किया जाना है जहां से इसका खनन किया गया था या जहां से ऐसा अवैध खनन/उत्खनन हुआ था।

निदेशक ने उक्त आदेश की अनुपालना के लिए 20 सितंबर 2019 को आदेश जारी किया।

चयनित खण्डों की पंचनामा पत्रावलियों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 40 मामलों[1] में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं की गयी थी। दो मामलों में सहायक खनि अभियन्ता कोटपूतली ने संबंधित थाने को पत्र लिखकर बजरी उतारने के बाद वाहनों को छोड़ने के लिए कहा। 38 मामलों में बजरी को दोषी को इस आशय का वचन लेकर सौंप दिया गया था कि दोषी बजरी को उसी स्थान पर उतारेगा जहां उसकी खुदाई की गई थी। इन मामलों में, यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि दोषी द्वारा बजरी उतारी गई थी और इसलिए अवैध खनिज के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

अदालत के आदेश की मंशा थी कि बजरी को ठीक उसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिए जहां से इसका खनन किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई से यह मंशा पूरी नहीं हुई। इस प्रकार, आदेशों का पालन न करने के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकी।

ध्यान में लाये जाने पर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालना नहीं करने के संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सरकार ने जवाब में बताया (अक्टूबर 2021) कि अधीनस्थ कार्यालयों को न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालना करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

[1] सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली (12), सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) मकराना (4), सहायक खनि अभियन्ता नीमकाथाना (5), सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) नीमकाथाना (12), खनि अभियन्ता (सतर्कता) अलवर (2) और खनि अभियन्ता मकराना (5)।

6.4 लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

चयनित पट्टों के उपग्रह चित्रों की जांच से पता चला कि वृक्षारोपण, पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किये गये थे । किसी भी चयनित खण्ड में अवैध रूप से खनन क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं किया गया था । चयनित खण्डों की पंचनामा पत्रावलियों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 40 मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालना नहीं की गई थी ।

6.5 सिफारिशें

विभाग कर सकता है:

1. *पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीमकाथाना के पट्टाधारकों द्वारा शुरू किए गए सफल वृक्षारोपण की अच्छी प्रथा को अपनाएं और*
2. *माननीय न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करें ।*

अध्याय–VII

मानव शक्ति संसाधनों का प्रबंधन

अध्याय VII : मानव शक्ति संसाधनों का प्रबंधन

7.1 मानव शक्ति की कमी

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता और खनि कार्यदेशक अवैद्य खनन की जांच और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए, विभाग के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं । विभागीय वेब साइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता और खनि कार्यदेशक के कर्तव्यों का विवरण यहां दिया गया है:

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के कर्तव्य : वह यह जांचने के लिए जिम्मेदार है कि पट्टा/ अनुज्ञापत्र की शर्तों को ठीक से लागू किया गया है; पर्यावरण हितैषी खनन, खनिज संरक्षण, सुरक्षा एवं उत्पादकता आदि की दृष्टि से पट्टेदार द्वारा खनिज सम्पदाओं का समुचित रूप से संचालन किया गया है तथा यह देखेगा कि अनुज्ञप्त क्षेत्रों के मामले में खनिज सम्पदाओं का समुचित रूप से पूर्वेक्षण किया गया है । इसके अलावा, वह मानकों के अनुसार खानों का निरीक्षण करेगा । वह उचित निगरानी रखेगा और अनाधिकृत खनन और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा और प्रावधानों के अनुसार नाकों और चेक पोस्टों के साथ-साथ प्रोसेसर, निर्माता, डीलर या व्यापारी या किसी भी अनुज्ञापत्र धारक के खनिज भण्डार का भी निरीक्षण करेगा ।

खनि कार्यदेशक के कर्तव्य: वह खानों और खदानों का निरीक्षण करेगा और यह देखेगा कि अनुबंध की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं और संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को निरीक्षण की रिपोर्ट देगा । वह क्षेत्र में खनन गतिविधि पर नजर रखेगा और जब भी किसी भी अनाधिकृत कार्य का पता चले तो वह तुरंत संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को मामले की रिपोर्ट करेगा । वह पट्टा क्षेत्र की योजना और मानचित्र आदि तैयार करेगा । वह जांच करेगा कि उसके क्षेत्र में राजस्व का कोई रिसाव नहीं है और आवश्यकतानुसार नाके और चेक पोस्ट और खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण करेगा । वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रोसेसर, निर्माता, डीलर, व्यापारी के खनिज भण्डारों का भी निरीक्षण करेगा । वह नए चेक पोस्टों/नाके लगाने के लिये स्थलों का सुझाव देगा जिनकी राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हो सकती है । वह अधिकृत पट्टा क्षेत्र, स्वीकृत, नवीकृत या विवादित क्षेत्रों का सीमांकन कार्य करेगा । वह खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के निर्देशानुसार क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा और उनको प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

चयनित कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की जांच से पता चला कि उन संवर्ग में मानव शक्ति की कमी थी जो अवैद्य खनन की जाँच करने और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक थे अर्थात् खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता और खनि कार्यदेशक । संबंधित अधिकारियों की स्वीकृत एवं कार्यरत की स्थिति तालिका 7.1 में दी गई है:

तालिका 7.1

महत्वपूर्ण अधिकारियों के कार्यरत और स्वीकृत पदों का विवरण

वर्ष	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता			खनि कार्यदेशक		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (प्रतिशत)	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (प्रतिशत)
2015-16	13	11	2 (15)	17	13	4 (24)
2016-17	13	9	4 (31)	17	10	7 (41)
2017-18	13	8	5 (38)	17	10	7 (41)
2018-19	13	7	6 (46)	17	8	9 (53)
2019-20	13	10	3 (23)	17	8	9 (53)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अधिकारियों की अत्यधिक कमी 15 से 53 प्रतिशत के बीच थी।

मानव शक्ति की कमी का अवैद्य खनन गतिविधियों के नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा कि पैराग्राफ 2.4 में चर्चा की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया कि कुल प्राप्त राजस्व में राजस्व का प्रतिशत घट रहा है जबकि अवैद्य खनन/परिवहन/भंडारण के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि विभाग की पुनर्गठन प्रक्रिया प्रगति पर है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद पदों के समायोजन/सृजन की कार्रवाई की जाएगी।

7.2 सतर्कता विंग की कार्यप्रणाली

अवैद्य खनन गतिविधियों की जांच और नियंत्रण के लिए विभाग के पास एक विशिष्ट सतर्कता विंग है। अगस्त 2013 से सतर्कता के उद्देश्य से 32 खण्ड कार्यलय गठित हैं। इन खण्ड कार्यालयों के प्रमुख खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता थे। विभागीय वेब साइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार इन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे :

- अनाधिकृत खनन या अनाधिकृत उत्खनन और खनिज/खनिजों को हटाने के विरूद्ध गहन जांच।
- सरकारी राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में विभागीय जांच चौकियों का बार-बार निरीक्षण।
- अप्रधान खनिजों के भंडार की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार प्रोससर/निर्माता/संग्रहणकर्ता द्वारा उचित अभिलेख संधारित कर रखे हैं।
- जहां कहीं भी पट्टा अधिकृत क्षेत्रों के बाहर कार्य करने के संबंध में कोई संदेह हो वहां खनन क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा।
- सीमांकन की जाँच करें, आस-पास के पट्टेदारों के बीच सीमा विवादों की जाँच करें, जब भी ऐसा कार्य उसे सौंपा जाए।
- अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज ले जाने वाले वाहनों की लगातार जाँच करना, विशेषकर जहाँ अधिशुल्क की चोरी की संभावनाएँ हों।
- सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

उक्त सभी कर्तव्य उसी क्षेत्र पर, अधिकार क्षेत्र रखने वाले खण्ड कार्यालयों को प्रशासनिक कर्तव्यों के अलावा भी सौंपे गये थे । लेखापरीक्षा ने सतर्कता कार्यालयों के खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताओं और उसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले चयनित खण्ड कार्यालयों के खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताओं के कामकाज की तुलना की । तुलना के परिणामों से पता चला कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सतर्कता कार्यालयों ने अवैद्य खनन गतिविधियों के 956 मामले दर्ज किए जबकि इसी अवधि में खण्ड कार्यालयों ने 2,434 मामले दर्ज किए । ये नीचे दी गई तालिका में बताये गए हैं:

तालिका 7.2: खण्ड एवं सतर्कता कार्यालयों के बीच कार्य का तुलनात्मक विवरण

कार्यालय का नाम	खंड़ कार्यालयों एवं सतर्कता कार्यालयों द्वारा बनाये गये पंचनामों की संख्या												*प्रतिशत* (13/12 * 100)
	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		कुल		
	खण्ड*	सतर्कता#	खण्ड	सतर्कता	खण्ड	सतर्कता	खण्ड	सतर्कता	खण्ड	सतर्कता	खण्ड	सतर्कता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नीमकाथाना	46	5	18	6	20	5	35	6	58	64	177	86	48.58
सीकर	88	17	63	3	55	0	75	34	110	99	391	153	39.13
कोटपुतली	113	23	188	48	70	24	249	96	212	28	832	219	26.32
अलवर	150	166	159	74	164	64	178	41	146	62	797	407	51.06
मकराना	1	41	0	22	62	13	99	10	75	5	237	91	38.39
योग	**398**	**252**	**428**	**153**	**371**	**106**	**636**	**187**	**601**	**258**	**2434**	**956**	**39.27**

* **खण्ड :** खण्ड कार्यालय **# सतर्कता:** सतर्कता कार्यालय

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर सतर्कता विंग के खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता अपने नियत कर्तव्यों की पालना के मामलो में खण्ड कार्यालयों से बहुत पीछे रहे क्योंकि सतर्कता कार्यालयों द्वारा किए गए कुल पंचनामे खण्ड कार्यालयों द्वारा किए गए पंचनामों का केवल 39.27 प्रतिशत था ।

इसके अलावा यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विभाग में एक विशेष सतर्कता विंग होने के बावजूद; इसी अवधि के दौरान अवैद्य खनन गतिविधियों की प्रवृत्ति बढ़ रही थी । बिना किसी महत्वपूर्ण अंतर के समान कर्तव्यों/कार्यों वाले कार्यालयों के गठन से पता चलता है कि उपलब्ध मानव शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था ।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि विभाग की पुनर्गठन प्रक्रिया (सतर्कता विंग सहित) प्रगति पर थी ।

7.3 प्रशिक्षण और तकनीक का उपयोग

यह एक तथ्य है कि प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए अपने ज्ञान के आधार को विकसित करने और कार्यस्थल में अधिक प्रभावी बनने के लिए अपने कौशल में सुधार करने के लिए एक अच्छे अवसर का प्रतिनिधित्व करता है ।

7.3.1 प्रशिक्षण की कमी

चयनित कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की जांच में पाया गया कि विभाग के कुछ अधिकारियों को ही अवैद्य खनन गतिविधियों की जाँच के लिये नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। चयनित इकाइयों के अधिकारियों को प्रशिक्षण की स्थिति तालिका 7.3 में दी गई है:

तालिका 7.3

प्रशिक्षण की कमी को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	नवीनतम जानकारी अर्थात रिमोट सेंसिंग डेटा, जीआईएस प्रौद्योगिकी, ड्रोन सर्वेक्षण आदि के लिए आयोजित प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2015-16	0	0
2016-17	1	2
2017-18	0	0
2018-19	1	1
2019-20	0	0

चयनित 11 कार्यालयों में से केवल दो कार्यालयों के अधिकारियों को ही नवीनतम प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसके अलावा यह देखा गया कि शेष चयनित कार्यालयों में तैनात किसी भी अधिकारी को नवीनतम तकनीक अर्थात रिमोट सेंसिंग डेटा, जीआईएस तकनीक, ड्रोन सर्वेक्षण के उपयोग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, नवीनतम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण की कमी के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी की सहायता से चयनित खण्ड कार्यालयों में अवैद्य खनन गतिविधियों की पहचान नहीं हुई।

शासन ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जायेगी।

7.3.2 लेजर आधारित मापने की तकनीक और मानचित्रण उपकरण

लेजर तकनीक में लेजर आधारित माप उपकरणों की एक श्रृंखला होती है जो खनन कार्यों को आसान और सुरक्षित बनाती है। एक लेज़र आधारित प्रोफाइलिंग सिस्टम सटीक माप ले सकता है और बेंच हाइट्स के साथ-साथ न्यूनतम और सटीक मलबे की गणना कर सकता है।

खान और भू-विज्ञान विभाग, कर्नाटक के खनिज प्रशासन के व्यापक कम्प्यूटरीकरण के संबंध में एक दस्तावेज में लिडार प्रौद्योगिकी (लाईट डिटेक्शन एवं रेंजिंग टेक्नोलॉजी) उल्लेखित है। दस्तावेज़ के अनुसार, पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों की तुलना में लिडार स्कैनिंग कहीं अधिक सुरक्षित है और इसमें केवल कुछ ही समय लगता है। जिस गति से डेटा एकत्र किया जाता है वह खनन कार्यक्रम और प्रक्रियाओं में देरी को कम करता है। लिडार सॉल्यूशन दो समयावधियों के बीच अंतर खोजने के लिए आदर्श है ताकि भूभाग में होने वाले परिवर्तनों की सटीक निगरानी की जा सके। मौजूदा डेटा कार्यप्रवाह, लिडार सॉल्यूशन के डेटा में सुविधानुसार जुड़ जाता है ताकि इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, अनुरूप निर्माण, कंट्यूर और आयतन आदि का वांछित परिणाम प्राप्त हो सके।

तथापि विभाग द्वारा क्षेत्र कार्यालयों में उपयोग के लिए ऐसे उपकरणों की खरीद नहीं की गई थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप हाथ से नापने वाले फ़ीते (नापने का फ़ीता) का उपयोग किया। पहाड़ी क्षेत्रों में उत्खनित खनिज का मापन जहां बेंच भी नहीं बनाए गए हो एक कठिन कार्य है और इसमें बहुत समय लगता है इसके अलावा गलत माप के कारण परिहार्य मुकदमेबाजी होती है।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि आधुनिक तकनीक अर्थात ड्रोन, लेजर और जीआईएस के उपयोग के लिए उपकरण खरीदे/बाहरी स्रोत से प्राप्त किए जाएंगे। तत्पश्चात, यह उत्तर दिया गया (फरवरी 2022) कि एक जिले अर्थात नागौर में अवैद्य खनन की पहचान करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण किया गया था।

7.4 लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

अवैद्य खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के पास एक सतर्कता विंग है। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सतर्कता कार्यालयों ने 956 मामलों की पहचान की जबकि उसी क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले खण्ड कार्यालयों ने अपने नियमित कार्य के अलावा अवैद्य खनन गतिविधियों के 2,434 मामलों की पहचान की। यह इंगित करता है कि सतर्कता विंग का प्रदर्शन ठीक नहीं था और अवैद्य खनन गतिविधियों की पहचान के लिए विशेष विंग की स्थापना का उद्देश्य भी उस हद तक विफल रहा था। विभाग के केवल कुछ अधिकारियों को अवैद्य खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। विभाग द्वारा क्षेत्र कार्यालयों में उपयोग के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद नहीं की गई थी।

7.5 सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

1. *दोहराव से बचने और उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खण्ड कार्यालयों और सतर्कता कार्यालयों के अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों की समीक्षा करें और सतर्कता विंग के कामकाज को मजबूत करने के उपाय करें;*
2. *उत्खनित खनिजों की मात्रा मापने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाएं।*

अध्याय–VIII

निष्कर्ष और सिफारिशें

अध्याय VIII : निष्कर्ष और सिफारिशें

लेखापरीक्षा उद्देश्य I

क्या विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन और कुशल आईटी प्रणाली है और नवीनतम तकनीक का उपयोग किया है और अवैध खनन की जांच एवं रोकथाम के बारे में जानकारी है ।

प्रौद्योगिकी का उपयोगः राजस्थान खनिज नीति, 2015 में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान और उन्हें रोकने के लिए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया । अनियमितताएं जैसे की पट्टों का ओवरलैपिंग और पट्टों के बीच खाली पड़े क्षेत्रों का आवंटन/नीलामी नहीं करना, ई-रवन्ना का दुरुपयोग (जहां खनिज का उत्खनन नहीं किया गया था लेकिन पट्टेदारों ने ई-रवन्ना का उपयोग करके खनिज भेजा था) की विभाग द्वारा पहचान नहीं की जा सकी । इसके अलावा, विभाग आईटी सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा । डीएमजीओएमएस पर संधारित मांग पंजिका में अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित मांगों को नहीं दर्शाया गया था । ईसी/सीटीओ में अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज के निर्गमन को स्वतः रोकने के लिए प्रणाली में कोई अवरोधक व्यवस्था नहीं थी ।

विभाग विचार कर सकता हैः

1. *अवैध खनन गतिविधियों की पहचान में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग/जीआईएस तकनीक जैसे गूगल अर्थ प्रो के साथ अन्य आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करना;*
2. *खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सभी मौजूदा खननपट्टों का मानचित्रण करना;*
3. *नीलामी नहीं किए गए गैप क्षेत्रों के लिए अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना और गैप क्षेत्रों की नीलामी के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा निर्धारित करना;*
4. *जब भी उत्खनित मात्रा ईसी द्वारा अनुमत्त सीमा को पार करे तो डीएमजीओएमएस प्रणाली में रवन्ना जारी को प्रतिबंधित करने के लिए ऑटो ब्लॉक की व्यवस्था संस्थापित करना, साथ ही अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के लिए राशि की वसूली में तेजी लाना;*
5. *ऑनलाइन मांग और संग्रहण लेखा में मांग को अपलोड करने के बाद ही मांग नोटिस जारी करने के लिए डीएमजीओएमएस में एक प्रणाली संस्थापित करना;*
6. *खनन की अनुमति दिये गये सभी एसटीपी का मानचित्रण करना एवं निर्देशांक को अपलोड करना;*
7. *ई-रवन्ना में प्रेषण के स्थान और गंतव्य के बीच की दूरी को मापने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; और*
8. *वाहनों में जीपीएस संस्थापन और आरएफआईडी प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी अच्छी तकनीक को अपनाना जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा शूरू की गई है और खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान द्वारा प्रस्तावित है।*

ई-रवन्ना और तौल पुल : तुला पुलों के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं जैसे कि एक वाहन की तस्वीर का कई बार उपयोग विभिन्न ई- रवन्नों की पुष्टि के लिए किया गया था जो

इंगित करता है कि वाहनों के वास्तविक वजन के बिना ई-रवन्ना की पुष्टि की गई थी। तुला पुलों की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी की प्रणाली में शिथिलता थी। विभाग के पास मुद्रित क्रमांक वाले पंचनामों का उपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप उच्च अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों की सूचना नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में अवैध खनन के स्रोतों/स्थलों की जांच नहीं की गई थी। यदि खामियों को दूर किया जाये और नियमों के उल्लंघन को रोका जाए तो खनन रॉयल्टी से सरकारी राजस्व को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है।

विभाग विचार कर सकता है:

1. *कदाचार को रोकने के लिए राज्य भर में तुला पुलों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एकल सॉफ्टवेयर का विकास या अनुमोदन जिस पर विभाग का समग्र नियंत्रण हो;*
2. *आईटी प्रणाली के माध्यम से एक केन्द्रीकृत केन्द्र पर तुला पुलों की निगरानी को सुदृढ करना;*
3. *अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के प्रकरणों को परिवहन विभाग के पास कार्यवाही के लिए भेजना ताकि वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके;*
4. *अवैध खनन पर शिकायतों की जांच के लिए डीएमजीओएमएस में उपलब्ध दिनांक और तस्वीरों का बेहतर उपयोग करना तथा कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना ताकि एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके; और*
5. *राजस्थान के परिवहन विभाग द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंचनामों को मुद्रित क्रमांकों के साथ उपयोग करने की अच्छी प्रथा को अपनाना।*

मानवशक्ति संसाधनों का प्रबंधन: अवैध खनन की जांच करने और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति जैसे कि खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता और खनि कार्यदेशक की कमी थी। विभाग के कुछ अधिकारियों को ही अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्र कार्यालयों में उपयोग के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद विभाग द्वारा नहीं की गई थी।

अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सरकारी राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के पास एक सतर्कता शाखा थी। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान, सतर्कता कार्यालयों ने 956 मामलों की पहचान की, जबकि उसी क्षेत्र पर, अधिकार क्षेत्र वाले खण्ड कार्यालयों ने अपने नियमित कार्य के अलावा अवैध खनन गतिविधियों के 2,434 मामलों की पहचान की। यह इंगित करता है कि सतर्कता विंग का प्रदर्शन ठीक नहीं था और अवैध खनन गतिविधियों की पहचान के लिए विशेष विंग की स्थापना का उद्देश्य भी उस हद तक विफल रहा था।

विभाग विचार कर सकता है:

1. *दोहराव से बचने और उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खण्ड कार्यालयों और सतर्कता कार्यालयों के अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों की समीक्षा करें और सतर्कता विंग के कामकाज को मजबूत करने के उपाय करें; और*
2. *उत्खनित खनिजों की मात्रा मापने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाएं।*

लेखापरीक्षा उद्देश्य II

क्या अवैध खनन की जाँच और इसे रोकने के लिए खानों और खनिजों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा था ।

निगरानी और मूल्यांकनः प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों और विनियमों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन विभाग की एक आवश्यक गतिविधि है । विभाग में निगरानी के लिए विभिन्न साधन यथा विवरणियां, ई-रवन्ना, अधिशुल्क निर्धारण, पट्टों का नियमित निरीक्षण आदि का प्रावधान हैं ।

विवरणियों की नमूना जाँच से पता चला कि 28 प्रतिशत पट्टेदारों ने अप्रैल 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी और 72 प्रतिशत पट्टेदारों ने 1,177 दिनों तक की देरी से अपनी विवरणी प्रस्तुत की थी । डीलरों के स्टॉक से रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिजों के निर्गमन की जांच के लिए कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी । इसके अलावा खदान अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा खनिजों के निर्गमन की जाँच के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था ।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पट्टों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए । चयनित पट्टों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि खननपट्टों के निरीक्षण के मानदंडों का भी पालन नहीं किया गया था और जब निरीक्षण किया गया था, तब भी प्रतिवेदनों में कमी थी । लेखापरीक्षा का मत है कि निरीक्षण में कमी बड़े पैमाने पर अवैध खनन का एक कारण हो सकती है । नियमों में पट्टों के वार्षिक अधिशुल्क निर्धारण के प्रावधान हैं । तथापि, राज्य में 31 मार्च 2020 तक 51 प्रतिशत अधिशुल्क निर्धारण बकाया थे । विभाग ने अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । परिणामस्वरूप राजस्व के रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

विभाग विचार कर सकता हैः

1. *विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/विलंब से दाखिल करने वालों की रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें प्रणाली द्वारा स्वतः नोटिस जारी करने के लिए प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना;*
2. *अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों की आवाजाही की प्रभावी निगरानी के लिए डीलरों के लिए आवधिक विवरणी के प्रावधान करना;*
3. *खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए माह में विवरणियों की नमूना जांच किया जाने के प्रावधान करना;*
4. *खदान अनुज्ञप्ति से प्रत्येक निर्गमन के लिए खनिज के स्रोत का पता लगाने के लिए खनिज के साथ एक अनिवार्य वैध दस्तावेज का प्रावधान करना; और*
5. *खनन पट्टों के निरीक्षण के समय लिए गए फोटो सहित निरीक्षणों का विवरण डीएमजीओएमएस पर ऑनलाइन संधारित किया जाने के प्रावधान करना । इसके अलावा, निरीक्षण के लिए पट्टों का चयन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे ताकि एक निश्चित समयावधि के भीतर एक खण्ड के सभी पट्टों का निरीक्षण किया जा सके ।*

लेखापरीक्षा उद्देश्य III

क्या खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी नियंत्रण मौजूद थे ताकि पर्यावरण और पारिस्थितिक सरोकारों को ठीक से संबोधित किया जा सके।

चयनित पट्टों के उपग्रह चित्रों की जांच से पता चला कि वृक्षारोपण पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किए गए थे। किसी भी चयनित खण्ड में अवैध रूप से खनित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था।

राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने बजरी को उसी स्थान पर पुर्नस्थापित करने का आदेश दिया जहां से उसे अवैध रूप से उत्खनित किया गया था। चयनित खण्डों की पंचनामा पत्रावलियों की जांच से पता चला कि 40 मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया था।

विभाग विचार कर सकता हैः

1. *पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीमकाथाना के पट्टाधारकों द्वारा शुरू किए गए सफल वृक्षारोपण की अच्छी प्रथा को अपनाएं और*
2. *माननीय न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।*

निष्कर्ष स्वरूप, हमने पाया कि विभाग अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में असमर्थ था । इस प्रयोजन के लिए लगाए गए संसाधनों की क्षमता अपर्याप्त स्तर की रही और निगरानी की प्रभावशीलता कम पाई गई । इसलिए, विभाग को निगरानी प्रक्रियाओं और इसमें प्रौद्योगिकियों के उपयोग किये जाने की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

जयपुर
दिनांक 25 अक्टूबर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 अक्टूबर 2022

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi